

# महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

मास्टर परिपत्र -  
कार्यक्रम कार्यान्वयन  
के लिए  
दिशा-निर्देश  
2016-17

2 फरवरी, 2016  
ग्रामीण विकास मंत्रालय  
ग्रामीण विकास विभाग

## विषय सूची

1.	अधिनियम और अनुसूची	
2.	महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 10 हकदारियां	
2.1	हकदारी-I - जॉब कार्ड का अधिकार	
	2.1.1 जॉब कार्ड रखना	
	2.1.2 जॉब कार्डों का रद्द किया जाना	
	2.1.3 नए जॉब कार्ड	
2.2	हकदारी-II - कार्य की मांग करने और इसे 15 दिनों के भीतर पाने का अधिकार	
	2.2.1 कार्य की मांग	
	2.2.2 काम की मांग के लिए विविध तंत्र	
	2.2.3 तारीखयुक्त रसीद	
	2.2.4 रोजगार दिवस	
	2.2.5 निरंतर कार्य उपलब्ध कराने पर जोर	
	2.2.6 ई-मस्टर रोल	
2.3	हकदारी-III - बेरोजगारी भत्ता का अधिकार	
	2.3.1 राज्य सरकार की जिम्मेवारी	
	2.3.2 बेरोजगारी भत्ते की गणना और भुगतान	
	2.3.3 बेरोजगारी भत्ते के भुगतान हेतु राज्य सरकारों के लिए सुझाई गई प्रक्रियाविधि	
	2.3.4 बेरोजगारी भत्ते के दावे के अमान्य होने की स्थिति	
	2.3.5 बेरोजगारी भत्ते के दावे की अपात्रता	
	2.3.6 बेरोजगारी भत्ते का स्वतः भुगतान	
	2.3.7 कामगारों द्वारा बेरोजगारी भत्ते की मांग	
2.4	हकदारी IV -योजना बनाने तथा परियोजनाओं की सूची तैयार करने का अधिकार	
	2.4.1 श्रम बजट तैयार किया जाना तथा अभिसरणयुक्त वार्षिक आयोजना कार्य	
2.5	हकदारी-V - 5 किमी. के दायरे में काम पाने का अधिकार	
	2.5.1 महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कार्य का निष्पादन	
	2.5.1.1 कार्यान्वयन अधिकरण /क्रियान्वयन एजेंसियां	
	2.5.1.2 मजदूरी सामग्री अनुपात	
	2.5.1.3 मशीनों का उपयोग	
	2.5.2 कार्यों के प्रकार	

	2.5.2.3 वाटरशेड विकास 2.5.2.4 कमाण्ड क्षेत्र विकास 2.5.2.8 ग्रामीण अवसंरचना 2.5.2.9 कार्यों की निरन्तर उपलब्धता	
	2.5.3 महात्मा गांधी नरेगा के तहत गुणवत्ता नियंत्रण और रख-रखाव	
	2.5.5 महात्मा गांधी नरेगा के तहत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 'कोर स्टाफ' का प्रावधान	
	2.5.6 'बेयरफुट तकनीशियन'	
	2.5.7 राज्य तकनीकी संसाधन दल (एसटीआरटी), जिला तकनीकी संसाधन दल(डीटीआरटी) और ब्लॉक तकनीकी संसाधन दल (बीटीआरटी) का गठन	
	2.5.8 क्लस्टर फेसिलिटेशन टीम कार्यनीति के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ अभिसरण	
2.6	हकदारी VI-कार्य स्थलों पर सुविधाओं का अधिकार	
2.7	हकदारी VII एवं VIII- अधिसूचित मजदूरी दर पाने का अधिकार और 15 दिन के अंदर मजदूरी पाने का अधिकार	
	2.7.7 सहायक संरचनाएं: महात्मा गांधी नरेगा के तहत भुगतान प्रणाली: ई-एफएमएस, पी-एफएमएस और एनई-एफएमएस	
2.8	हकदारी IX मजदूरी के भुगतान में हुए विलंब के लिए मुआवजा	
2.9	हकदारी X: समयबद्ध शिकायत निवारण का अधिकार, समवर्ती सामाजिक संपरीक्षा और महात्मा गांधी नरेगा में हुए संपूर्ण व्यय की संपरीक्षा कराने का अधिकार	
3.	सूचना शिक्षा संचार (आईईसी) संबंधी कार्यकलाप	
4.	एमआईएस (नरेगा सॉफ्ट)	
5.	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी(आईसीटी) अवसंरचना	
6.	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और आधार प्लेटफार्म	
7.	महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत वित्त पोषण	
8.	महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कौशल विकास : प्रोजेक्ट फॉर लाइवलिहुड इन फुल इम्प्लोयमेंट (प्रोजेक्ट लाइफ - महात्मा गांधी नरेगा)	
9.	सिविल सोसायटी संगठनों के साथ भागीदारी	
10.	पुरस्कार	

## 1. अधिनियम और अनुसूची

- 1.1 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2005 में अधिसूचित किया गया। अधिनियम में किए गए संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के पहले 'महात्मा गांधी' शब्द जोड़ा गया। यह अधिनियम पूरे देश में लागू है, इसमें उन जिलों को छोड़ दिया गया है जहां शत-प्रतिशत शहरी आबादी है।
- 1.2 राज्यों ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपनी-अपनी महात्मा गांधी नरेगा योजनाओं को अधिसूचित किया है। इन राज्य योजनाओं को अधिनियम एवं इसकी अनुसूचियों में समय-समय पर संशोधनों के अनुरूप रखना होगा।
- 1.3 अधिनियम की संशोधित अनुसूची-। और ॥ संदर्भ हेतु इस मास्टर परिपत्र के साथ संलग्न है। राज्यों को तदनुसार अपनी-अपनी महात्मा गांधी नरेगा योजनाओं में संशोधन करने की जरूरत है।

## 2. महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 10 हकदारियां

महात्मा गांधी नरेगा कानून के अनेक उपबंधों के माध्यम से ग्रामीण कामगारों को अनेक कानूनी हकदारियां प्रदान की गई हैं। हालांकि मूल रूप से इस अधिनियम में प्रतिवर्ष प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए 100 दिनों के कार्य का प्रावधान किया गया है, लेकिन यह अधिकारों और हकदारियों का एक सुदृढ़ कानूनी फ्रेमवर्क बन जाता है जो कि प्रति वर्ष 100 दिनों के कार्य को संभव बनाने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। इसलिए यह अनिवार्य है कि महात्मा गांधी नरेगा के क्रियान्वयन को इन 10 हकदारियों के नजरिये से पढ़ा जाए।

इन 10 प्रमुख हकदारियों तथा अधिनियम को क्रियान्वित करने में प्रशासन की मदद करने वाली संरचनाओं एवं तंत्रों के साथ वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक मास्टर परिपत्र बनाया गया है।

मास्टर परिपत्र एक व्यापक दस्तावेज है जिसमें महात्मा गांधी नरेगा के क्रियान्वयन के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। तथापि, महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 तथा समय-समय पर संशोधित की गई अनुसूची-1 और II का जरूरत पड़ने पर संदर्भ लिया जा सकता है।

### 2.1 हकदारी I - जॉब कार्ड का अधिकार

#### 2.1 हकदारी I - जॉब कार्ड का अधिकार

प्रत्येक ग्रामीण परिवार कार्य के लिए आवेदन करने और इसे पाने के लिए जॉब कार्ड पाने का हकदार होता है जिसमें सभी वयस्क सदस्यों के फोटोग्राफ और नाम होते हैं। जॉब कार्ड एक ऐसा हकदारी कार्ड होता है जिसमें मांगे गए और प्राप्त किए गए कार्यों, भुगतान की गई मजदूरी इत्यादि का अद्यतन ब्यौरा होता है। इसी वजह से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि परिवार के पास हर समय अद्यतन किया हुआ जॉब कार्ड रहे।

कामगारों की हकदारियां

“पैरा 1, अनुसूची II: प्रत्येक गृहस्थी का वयस्क सदस्य जो किसी ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है, और अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत में (जिसे इस अनुसूची में इसके पश्चात ग्राम पंचायत कहा गया है), जिसके अधिकार क्षेत्र में वह रहते हैं, कार्य कार्ड जारी हेतु अपनी गृहस्थी को रजिस्ट्रीकृत करवाने के लिए नाम, आयु और गृहस्थी का पता, प्रस्तुत कर सकेगा। ,

पैरा 2, अनुसूची 11: ग्राम पंचायत का ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे, यह कर्तव्य होगा कि इस प्रकार के आवेदन की प्राप्ति की तारीख के पंद्रह दिनों के भीतर कार्य कार्ड जारी करें।”

### 2.1.1 जॉब कार्ड रखना

सभी जॉब कार्ड, संबंधित कामगारों के पास रहेंगे और कामगारों के पास जॉब कार्ड का न होना अधिनियम का उल्लंघन है। यदि इसे अद्यतन करने के लिए जमा कराया जाता है तो इसे अद्यतन कर, तत्काल लौटा देना होगा। यदि किसी भी पंचायत या मनरेगाकर्मी के पास बगैर किसी वैध कारण के जॉब कार्ड पाया जाता है तो इसे अधिनियम की धारा 25 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी जिला कार्यक्रम समन्वयक और राज्य सरकार की है कि जॉब कार्ड, जॉब कार्डधारी के पास ही रहे।

### 2.1.2 जॉब कार्डों का रद्द किया जाना

राज्य जॉब कार्डों की वैधता के लिए समयबद्ध अभियान चला सकते हैं। यह सुनिश्चित करना जिला कार्यक्रम समन्वयक और राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि रूटीन तरीके से और केवल काम की मांग न किए जाने/काम के लिए उपस्थित न होने के आधार पर किसी भी जॉब कार्ड को रद्द न किया जाए। जॉब कार्डों को केवल तभी रद्द किया जा सकता है जब परिवार स्थायी रूप से शहरी क्षेत्रों में पलायन कर चुके हों या यह डुप्लिकेट या जाली जॉब कार्ड (अर्थात जो प्राधिकृत कार्मिक द्वारा जारी न किया गया हो और/या फर्जी व्यक्तियों को जारी किया गया जॉब कार्ड) सिद्ध हो चुका हो। यदि कोई परिवार दूसरी ग्राम पंचायत में पलायन कर जाता है तो संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत सत्यापन के पश्चात एक नया जॉब कार्ड जारी किया जा सकता है। यदि ग्राम पंचायत क्षेत्र को नगरपालिका/नगर निगम के रूप में घोषित कर दिया जाता है तो उस क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को मौजूदा जॉब कार्ड पर मिलने वाली रोजगार की सुविधाएं बंद हो जाएंगी। ऐसे सभी जॉब कार्डों को स्वतः ही रद्द मान लिया जाएगा।

कार्यक्रम अधिकारी, सभी मामलों में, तथ्यों की निष्पक्ष जांच के पश्चात, ग्राम पंचायत को जॉब कार्ड रद्द करने का निदेश दे सकता है। रद्द किए गए सभी जॉब कार्डों की सूची रद्द किए जाने के कारणों के साथ सार्वजनिक की जाएगी तथा ग्राम सभा/वार्ड सभा में प्रस्तुत की जाएगी। नामों को जोड़े जाने/ हटाए जाने/ रद्द किए जाने की समस्त जानकारी ग्राम सभा/ वार्ड सभा में प्रस्तुत की जाएगी, कार्यक्रम अधिकारी को सूचित की जाएगी तथा एमआईएस में अपडेट किया जाएगा।

### 2.1.3 नए जॉब कार्ड

उन सभी मामलों में जहां विगत में जारी किए गए जॉब कार्डों का आगे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, नए जॉब कार्ड, उसी विशिष्ट संख्या के साथ ही जारी किए जाएंगे और इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी कार्यक्रम अधिकारी/ जिला कार्यक्रम समन्वयक/ राज्य सरकार की है। तथापि, यदि परिवार के नए सदस्य वयस्क हो जाने पर मनरेगा के अंतर्गत कामगारों के रूप में कार्य करने की इच्छा जताते हैं तो ऐसे मामले में परिवारों से आवेदन प्राप्त होने पर मौजूदा जॉब कार्डों में समय-समय पर नए नामों की प्रविष्टि की जाएगी। विवाह इत्यादि की वजह से परिवारों में नए सदस्यों के आने से यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नए जॉब कार्डों की प्रिंटिंग में हुए खर्च को राज्यों की महात्मा गांधी नरेगा निधि के अधिकतम 6 प्रतिशत प्रशासनिक िनिधि में से पूरा किया जाएगा।

आयोजना चरण के दौरान इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि ऐसे परिवारों जो एसईसीसी (SECC) के अनुसार अपवर्जित या स्वतः समावेशित परिवारों के रूप में सूचीबद्ध किए गए हैं, को प्राथमिकता के आधार पर जॉब कार्ड जारी किए जाएं।

2.1.4 उपर्युक्त में से किसी भी प्रावधान के उल्लंघन को महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अपराध माना जाएगा और इसपर अधिनियम की धारा 25 के प्रावधान लागू होंगे।

## **2.2 हकदारी II - कार्य की मांग करने और इसे 15 दिनों के भीतर पाने का अधिकार**

### **2.2 हकदारी II - कार्य की मांग करने और इसे 15 दिनों के भीतर पाने का अधिकार**

प्रत्येक वित्तीय वर्ष प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के कार्यों के लिए आवेदन करने का अधिकार है। कार्य की प्रत्येक मांग के लिए एक दिनांकित पावती जारी करना जरूरी है। सभी कामगार कार्य की मांग किए जाने की तारीख से 15 दिनों के भीतर कार्य पाने के हकदार हैं। सामान्यतः कम-से-कम 14 दिनों के लगातार कार्यों के लिए कार्य के आवेदन प्रस्तुत किए जाएं और एक ही व्यक्ति द्वारा अनेक आवेदन प्रस्तुत करने के लिए योजना में उपबंध किए जाएं परंतु यह तब जबकि तत्संबंधी अवधि, जिनके लिए नियोजन चाहा गया है, अतिव्याप्त नहीं होती।

## कामगार की हकदारी

“पैरा 6, अनुसूची II: रजिस्ट्रीकृत गृहस्थी का ऐसा प्रत्येक वयस्क सदस्य, जिसका नाम कार्य कार्ड में है, स्कीम के अधीन अकुशल शारीरिक कार्य के लिए आवेदन करने का हकदार होगा; और प्रत्येक ऐसा आवेदन अनिवार्यतः रजिस्ट्रीकृत होगा और तारीख के साथ जारी रसीद कंप्यूटर प्रणाली में दर्ज की जाएगी।

पैरा 11, अनुसूची I: काम के लिए मांग के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से या उस तारीख जिससे कार्य की अग्रिम आवेदनों के मामले में मांग की गई है, इनमें जो भी पश्चातवर्ती हो, पंद्रह दिन के भीतर कार्य उपलब्ध कराया जाएगा।”

### 2.2.1 कार्य की मांग

2.2.1.1 काम की मांग का पंजीकरण महात्मा गांधी नरेगा के क्रियान्वयन का आधार है। कार्यक्रम अधिकारी और कार्यक्रम कार्यान्वयन अधिकरण /क्रियान्वयन एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि कार्यों के लिए आवेदन देने की प्रक्रिया निरंतर खुली रखी जाए।

2.2.1.2 कार्यान्वयन अधिकरण /क्रियान्वयन एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि ऐसे कामगारों, जिन्हें महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार की जरूरत है, को आवेदन की प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर या अग्रिम आवेदन की स्थिति में कार्य मांगे जाने की तारीख से, इनमें से जो भी बाद का हो, कार्य उपलब्ध करा दिए जाएं, जैसा कि अधिनियम में अनिवार्यता जताई गई है। कार्यक्रम अधिकारी और कार्यक्रम कार्यान्वयन अधिकरण /क्रियान्वयन एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि कार्य की मांग के पंद्रह दिन के भीतर कार्य उपलब्ध कराया जाए।

2.2.1.3 इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक परिवार, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 100 दिनों का मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। मंत्रालय ने वन क्षेत्र, में प्रति अनुसूचित जनजाति परिवार के लिए अतिरिक्त 50 दिनों के मजदूरी रोजगार (निर्धारित 100 दिनों के अलावा) का प्रावधान किया है, बशर्ते कि इन परिवारों के पास एफआरए अधिनियम, 2006 द्वारा प्रदत्त भूमि अधिकारों के अलावा कोई अन्य निजी संपत्ति न हो।



2.2.1.4 महात्मा गांधी नरेगा की धारा 3(4) के तहत किए गए उपबंधों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने उन ग्रामीण क्षेत्रों, जो सूखा या प्राकृतिक आपदाओं (गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथापरिभाषित) से प्रभावित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किए जाते हैं, में जॉब कार्डधारकों को सुनिश्चित 100 दिनों के अलावा एक वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त 50 दिनों के अकुशल शारीरिक कार्य उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्य सरकार की अधिसूचना और कृषि मंत्रालय, सहकारिता एवं किसान कल्याण द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है।

## 2.2.2 काम की मांग के लिए विविध तंत्र

2.2.2.1 राज्य सरकारों को ऐसे विविध तंत्र स्थापित करने के निदेश दिए गए हैं जिनके माध्यम से ग्रामीण परिवार ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्य की मांग के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

2.2.2.2 कार्य के लिए आवेदन प्राप्त करने के विविध साधनों में अनिवार्य रूप से कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम रोजगार सहायक, पंचायत सचिव/ ग्राम पंचायत के अन्य कर्मचारी, सरपंच, वार्ड सदस्य, आंगनवाड़ी कर्मी, मेट, एसएचजी, ग्राम स्तरीय राजस्वकर्मी, सार्वजनिक सुविधा केंद्र और महात्मा गांधी नरेगा श्रमिक समूह शामिल होने चाहिए।

2.2.2.3 मांग के पंजीकरण हेतु विविध माध्यमों का प्रावधान अनिवार्य रूप से होने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित कर्मियों को इन विविध साधनों और माध्यमों के बारे में जानकारी दी जाए तथा इनमें से किसी भी माध्यम से प्राप्त मांग को वैध माना जाए और 15 दिनों की समयसीमा के भीतर इनकी पूर्ति की जाए। विविध साधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) काम की मांग के लिए विधिवत लिखित रूप में दर्ज किया गया मौखिक आवेदन

(ख) लिखित आवेदन (विशिष्ट फॉर्मों/फार्म 6/कोरे कागज पर)

(ग) टेलिफोन के माध्यम से आवेदन (इंटरएक्टिव वॉयस रिसपॉन्स सिस्टम (आईवीआरएस)/कॉल सेंटरों के जरिए)

(घ) राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कियोस्कों के जरिए

(ड) ऑनलाइन आवेदन (नरेगासॉफ्ट/उपयुक्त सरकार द्वारा विधिवत अधिसूचित किसी अन्य वेब माध्यम के जरिए)

2.2.2.4 कार्य की मांग के लिए आवेदन प्राप्त होते ही जीआरएस/संबंधित ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मी तुरंत ही ऐसे आवेदन को प्राप्त करते हुए दिनांकितरसीद जारी करेंगे। यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्य की मांग के लिए किसी स्वचालित प्रणाली से प्राप्त आवेदन की स्वतः दिनांकित रसीद जारी हो।

2.2.2.5 मांग का पंजीकरण ग्राम पंचायत कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय, रोजगार दिवस के दौरान तथा कार्यस्थल पर भी किया जा सकता है।

2.2.2.6 ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी, यथास्थिति, कार्यो के वैध आवेदनों को स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे।

2.2.2.7 राज्य कार्यस्थलों पर मांग के पंजीकरण और कार्यो के आवंटन के लिए बायोमीट्रिक या एमएमएस सुविधा की व्यवस्था कर सकते हैं।

2.2.2.8 इसके अलावा, मंत्रालय अन्यो के साथ-साथ राष्ट्रीय आईवीआरएस और नरेगासॉफ्ट (वर्कर मॉड्यूल) के जरिए कार्यो की मांग के आवेदनों के सीधे पंजीकरण को सुचारु बना सकता है।

### **2.2.3 दिनांकित पावती**

कार्यो की मांग किए जाने पर निश्चित रूप से दिनांकित रसीद दी जाएगी। दिनांकित रसीद न दिए जाने को इस अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध माना जाएगा।

### **2.2.4 रोजगार दिवस**

पूरी नहीं की गई मांग को यथार्थ रूप से पंजीकृत करने, कामगारों को उनके अधिकारों एवं हकों की प्रभावी रूप से जानकारी देने और शिकायतों के निवारण के लिए मांग पंजीकरण और शिकायत निवारण के साधनों के रूप में ग्राम रोजगार दिवस का आयोजन किया जाना चाहिए। जिला कार्यक्रम समन्वयक को यह सुनिश्चित करना होगा कि रोजगार दिवस के आयोजन से पूर्व समुचित आईईसी कार्यकलाप किये जाएं। ग्राम पंचायतों को रोजगार दिवस कैलेंडर की विशेष रूप से जानकारी देनी होगी।

#### 2.2.4.1 रोजगार दिवसों के आयोजन की भूमिकाएं एवं जिम्मेवारियां निम्नानुसार हैं:

- क. जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि रोजगार दिवस का आयोजन जिला कार्यक्रम समन्वयक या राज्य सरकार द्वारा तय मासिक सारणी के अनुसार किया जाए। इस सारणी की जानकारी मंत्रालय को दी जाएगी तथा इसे पब्लिक डोमेन में भी उपलब्ध किया जाएगा। रोजगार दिवस का आयोजन ग्राम पंचायत और/या वार्ड स्तर पर एक माह में कम-से-कम एक बार किया जाना चाहिए।
- ख. ग्राम पंचायत प्रधान/पदनामित ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मी इस रोजगार दिवस का संचालन करेंगे। जीआरएस/मेट/एसएचजी संघ के सदस्य इसका प्रबंध करेंगे तथा प्रक्रियाओं को रिकॉर्ड करेंगे।
- ग. जिला कार्यक्रम समन्वयक रोजगार दिवसों के नियत दिनों में निगरानी दौरा करने के लिए लिंक अधिकारियों को तैनात करेंगे। रोजगार दिवस के कार्यवृत्त सार्वजनिक जांच एवं सामाजिक संपरीक्षा के लिए उपलब्ध होंगे तथा संबद्ध पैरामीटरों से संबंधित आंकड़ों को नरेगासॉफ्ट में डाला जाएगा ताकि श्रम दिवस सृजन से सह-संबद्धता बनी रहे।
- घ. राज्य को रोजगार दिवस के आयोजन से संबंधित रिपोर्टें भेजी जाएंगी। राज्य सरकार मांग की जानकारी रखने के लिए जिला रिपोर्टों की नियमित रूप से समीक्षा करेगी।

#### 2.2.5 निरंतर कार्य उपलब्ध कराने पर जोर

महात्मा गांधी नरेगा के पैरा 9, अनुसूची I के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि मांग के पूर्व पंजीकरण के साथ या इसके बगैर जॉब मांगने वालों की कार्य की मांग को हर समय पूरा करने के लिए पर्याप्त कार्यों की सूची को अनुमोदित कर दिया गया है और इसे राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत को उपलब्ध करा दिया गया है। चल रहे तथा अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने पर भी जोर दिया जाएगा। अधूरे पड़े कार्यों को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि समापन की अनुमानित अवधि का उल्लेख किए बिना कोई भी तकनीकी मंजूरी न दी जाए।

#### 2.2.6 ई-मस्टर रोल

93 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में ई-मस्टर रोल की प्रक्रिया लागू है। हालांकि शत-प्रतिशत कवरेज वांछनीय है, फिर भी पहुंच, संबंधता इत्यादि के कारण ई-मस्टर में क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियां सामने आई हैं। इसलिए समुचित विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन लेने के पश्चात राज्य सरकार विनिर्दिष्ट ब्लॉकों के लिए पेपर मस्टर जारी करने की अनुमति दे सकती है। तमिलनाडु की तरह जैसे कुछ राज्यों में एक ऐसी प्रणाली शुरू की गयी है

जहां कार्यों को खोलने, कार्यस्थल पर मांगों के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए विशिष्ट संख्या वाले पेपर मस्टरों का इस्तेमाल किया जाता है। राज्य सरकारों को कार्यस्थलों पर मांगों के पंजीकरण को सरल बनाने वाली व्यवस्था बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

अधिनियम की धारा 15(7) के अनुसरण में राज्य सरकार, आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि कार्यक्रम अधिकारी के सभी या कोई भी कार्य ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किए जाएंगे।

2.2.7 उपर्युक्त में से किसी भी प्रावधान के उल्लंघन को महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत एक अपराध माना जाएगा और इस पर अधिनियम की धारा 25 के उपबंध लागू होंगे।

### **2.3 हकदारी III - बेरोजगारी भत्ता का अधिकार**

#### **2.3 हकदारी III- बेरोजगारी भत्ता का अधिकार**

यदि किसी कामगार को कार्य के लिए आवेदन देने के 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह कामगार दैनिक बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार बन जाता है। दैनिक बेरोजगारी भत्ते की दर वित्तीय वर्ष के दौरान पहले तीस दिनों के लिए मजदूरी दर की कम-से-कम एक चौथाई तथा वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए मजदूरी दर की कम-से-कम आधी होगी।

#### **कामगार की हकदारी**

महात्मा गांधी नरेगा की धारा 7(1), “यदि स्कीम के अधीन नियोजन के लिए किसी आवेदक को, नियोजन चाहने वाले उसके आवेदन की प्राप्ति के या किसी अग्रिम आवेदन की दशा में उस तारीख से जिसको नियोजन चाहा गया है, इनमें से जो भी पश्चात्पूर्वी हो, पन्द्रह दिन के भीतर नियोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह इस धारा के अनुसार दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा।”

#### **2.3.1 राज्य सरकार की जिम्मेवारी**

तदनुसार, राज्य सरकारों से अपेक्षित है कि:

2.3.1.1 देय बेरोजगारी भत्ते की दर विनिर्दिष्ट करें जो कि वित्तीय वर्ष के दौरान पहले तीस दिनों के लिए मजदूरी दर की कम-से-कम एक चौथाई तथा वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए मजदूरी दर की कम-से-कम आधी होगी।

2.3.1.2 बेरोजगारी भत्ते के भुगतान की प्रक्रियाविधि को नियंत्रित करने वाले नियम बनायें।

2.3.1.3 बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के लिए आवश्यक बजट प्रावधान करें।

### **2.3.2 बेरोजगारी भत्ते की गणना और भुगतान**

2.3.2.1 नरेगासॉफ्ट को क्रियान्वयन तंत्र द्वारा प्रविष्ट किए गए आंकड़ों के आधार पर बेरोजगारी भत्ते की स्वतः गणना करने के योग्य बनाया गया है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए वर्तमान दस्तावेज में महात्मा गांधी नरेगा एमआईएस से संबंधित विस्तृत भाग का संदर्भ लिया जा सकता है। मंत्रालय द्वारा इस संबंध में अलग से विस्तृत निर्देश जारी किए जाएंगे। नरेगासॉफ्ट मांगों के उन मामलों की जांच करेगा जिनमें मांग के पंजीयन की तारीख से 15 दिनों के भीतर या जिस तारीख से कार्य की मांग की गई है, इनमें से जो भी पश्चात्पूर्वी हो, काम उपलब्ध नहीं कराया गया है। कार्य का प्रावधान उस तारीख से प्रमाणित हो जाता है जिस तारीख को मस्टर रोल जारी किया गया है।

2.3.2.2 इन आंकड़ों के आधार पर, बेरोजगारी भत्ते की गणना स्वतः कर ली जाएगी और इसे कार्यक्रम अधिकारी के लॉग-इन में डाल दिया जाएगा ताकि वह इस मामले में अपना निर्णय दे सके। कार्यक्रम अधिकारी के निर्णयों को नरेगासॉफ्ट की वेब रिपोर्टों में सार्वजनिक किया जाएगा। कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बेरोजगारी भत्ते से संबंधित सभी प्रविष्टियां केवल नरेगासॉफ्ट के माध्यम से ही की जाएं।

2.3.2.3 राज्य सरकार द्वारा बनाए गए संबद्ध नियमों में निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए, कामगारों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार, जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत में इसपर नजर रखेंगे और साथ ही आवश्यक सुधारात्मक उपाय भी करेंगे जैसे ग्राम पंचायतों में परियोजनाओं की पर्याप्त सूची तैयार करवाना। यदि निर्धारित समयावधि में निर्णय नहीं लिया जाता है तो बेरोजगारी भत्ते के भुगतान से संबंधित एमआईएस रिपोर्टों और किए गए सुधारात्मक उपायों को राज्य स्तर पर निगरानी के लिए रिपोर्टों का अनिवार्य अंग बनाना होगा।

2.3.2.4 यदि बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाता है तो उसकी राशि को जॉबकार्ड में दर्शाया जाना चाहिए। रोजगार रजिस्टर (ग्राम पंचायत में रखे जाने वाला) में कामगारों को दिए गए बेरोजगारी भत्ते की विस्तृत जानकारी रहनी चाहिए।

### **2.3.3 बेरोजगारी भत्ते के भुगतान हेतु राज्य सरकारों के लिए सुझाई गई प्रक्रियाविधि**

प्रक्रियाविधि को अत्यंत सरल रखा जाना चाहिए तथा इसमें निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिए:

2.3.3.1 स्वचालित तरीके से भुगतान आदेश तैयार करना (जिसके लिए अलग से स्वीकृति आदेश की जरूरत नहीं है) और कार्यक्रम प्रबंधन सूचना प्रणाली (नरेगासॉफ्ट) में डाले गए आंकड़ों के आधार पर एसईजीएफ या इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किसी अन्य कोष से बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करना।

2.3.3.2 अधिक-से-अधिक 15 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा। यदि 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो यह उस तारीख से, जिस तारीख से यह देय है, अनुमोदित मान लिया जाएगा।

2.3.3.3 मजदूरी भुगतान इत्यादि की तरह ही बेरोजगारी भत्ते की राशि बैंक/डाकघर खातों में जमा की जाएगी।

#### **2.3.4 बेरोजगारी भत्ते के दावे के अमान्य होने की स्थिति**

किसी वित्तीय वर्ष के दौरान परिवार को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने संबंधी राज्य सरकार के दायित्व समाप्त हो जाएगा जैसे ही:

2.3.4.1 ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कामगार को खुद या उसके परिवार के कम-से-कम एक वयस्क सदस्य को तैनात करके कार्य के लिए रिपोर्ट करने के निदेश देने के साथ कार्य का आवंटन कर दिया जाता है; या

2.3.4.2 वह अवधि जिसके लिए रोजगार मांगा गया है, समाप्त हो जाती है और आवेदक के परिवार का कोई सदस्य रोजगार के लिए आगे नहीं आता है; या

2.3.4.3 आवेदक के परिवार के वयस्क सदस्यों ने वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर कम-से-कम 100 दिनों का कार्य पूरा कर लिया है; या

2.3.4.4 आवेदक के परिवार ने मजदूरी और बेरोजगारी भत्ते को मिलाकर इतनी राशि प्राप्त कर ली है जो कि वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिनों के कार्यों की मजदूरी के समान है।

#### **2.3.5 बेरोजगारी भत्ते के दावे की अपात्रता**

कोई आवेदक जो उसके परिवार को उपलब्ध कराए गए रोजगार को नहीं स्वीकार करता है; या कार्यक्रम अधिकारी अथवा क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा अधिसूचित किए गए 15 दिनों के भीतर कार्य के लिए रिपोर्ट नहीं करता है; या संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी से अनुमति लिए बगैर एक

सप्ताह से अधिक समय तक लगातार काम पर नहीं आता है; या किसी माह में कुल मिलाकर एक सप्ताह से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है तो वह तीन माह की अवधि के लिए इस अधिनियम के तहत देय बेरोजगारी भत्ते का दावा करने का हकदार नहीं होगा किंतु वह इस योजना के अंतर्गत किसी भी समय रोजगार मांगने के लिए पात्र होगा।

### **2.3.6 बेरोजगारी भत्ते का स्वतः भुगतान**

निर्धारित समयसीमा में (अर्थात् देय तारीख से 15 दिनों के भीतर) निर्णय न लेने और बेरोजगारी भत्ते का भुगतान न किए जाने पर देय राशि (नरेगासॉफ्ट द्वारा परिकल्पित) कामगार के खाते में स्वतः भुगतान में परिणित हो जाएगा। इस प्रयोजनार्थ, मंत्रालय में बनाए गए अलग खाते में राशि डेबिट हो जाएगी। इसे केंद्रीय अंश की अग्रिम अंतरण के रूप में माना जाएगा और समेकित राशि राज्य को केंद्रीय अंश की अगली अंतरण से काट ली जाएगी। एमआईएस में एक अलग रिपोर्ट में ऐसे सभी भुगतानों का ब्यौरा दिया जाएगा। मंत्रालय द्वारा इस संबंध में अलग से विस्तृत निदेश जारी किए जाएंगे।

### **2.3.7 कामगारों द्वारा बेरोजगारी भत्ते की मांग**

कामगार बेरोजगारी भत्ते के लिए भी ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय को आवेदन दे सकते हैं।

**2.3.8** उपर्युक्त में से किसी भी प्रावधान के उल्लंघन को महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत एक अपराध माना जाएगा और इस पर अधिनियम की धारा 25 के उपबंध लागू होंगे।

## **2.4 हकदारी IV -योजना बनाने तथा परियोजनाओं की सूची तैयार करने का अधिकार**

### **2.4 हकदारी IV -योजना बनाने तथा परियोजनाओं की सूची तैयार करने का अधिकार**

सभी कामगारों को ग्राम सभा/वार्ड सभा में भाग लेने तथा उनकी पंचायत में महात्मा गांधी नरेगा के तहत शुरू किए जाने वाले कार्यों और उनके प्राथमिकता पर निर्णय लेने का अधिकार है।

### **कामगारों की हकदारियां**

धारा 16(1)'' ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और वार्ड सभाओं की सिफारिशों के अनुसार किसी स्कीम के अधीन ग्राम पंचायत क्षेत्र में कार्यान्वयन के लिए ली जाने वाली परियोजना की पहचान और ऐसे कार्य के निष्पादन और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगी।''

पैरा 7, अनुसूची (1), “प्रत्येक वर्ष अगस्त से फरवरी माह के बीच राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार पंचायत के प्रत्येक स्तर पर व्यवस्थित, भागीदारीपरक आयोजना कार्यक्रम किया जाएगा। ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित किए जाने वाले सभी कार्यों का निर्धारण किया जाएगा और इन्हें ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा तथा मध्यवर्ती पंचायतों या अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों को मध्यवर्ती या जिला पंचायतों के समक्ष संभावित परिणामों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।”

#### 2.4.1 श्रम बजट तैयार करना तथा वार्षिक अभिसरण आयोजना कार्यक्रम

2.4.1.1 श्रम बजट (एलबी) तैयार करना; श्रम बजट एक अनिवार्य वार्षिक कार्य योजना दस्तावेज है जिसमें आयोजना, अनुमोदन, वित्तपोषण तथा परियोजना निष्पादन संबंधी तौर-तरीके का उल्लेख किया जाता है। चूंकि महात्मा गांधी नरेगा की धारा 13 से 16 के तहत किए गए उपबंधों के अनुसार श्रम बजट तैयार किए जाते हैं, इसलिए जिला कार्यक्रम समन्वयक को आयोजना के स्तर से लेकर जिले में प्रत्येक ग्राम सभा/वार्ड सभा द्वारा परियोजनाओं की चयनित सूची के अनुमोदन तक बॉटम-अप एप्रोच के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना है।

2.4.1.2 महात्मा गांधी नरेगा के वार्षिक आयोजना कार्यक्रम, मंत्रालय के अभिसरण आयोजना कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। महात्मा गांधी नरेगा को स्थायी आजीविकाओं के सृजन से जोड़ने पर बल दिया जाएगा।

2.4.1.3 प्रत्येक ग्राम सभा/वार्ड सभा, जहां संबंधित श्रम बजट और परियोजनाओं की सूची अनुमोदित की गई है, की कार्रवाइयों को एमआईएस में संबंधित एलबी के संलग्नक के रूप में अपलोड किया जाएगा।

2.4.1.4 राज्य सरकार को इस आशय का भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि श्रम बजट तैयार करने के लिए महात्मा गांधी नरेगा में किए गए उपबंधों को ध्यान में रखा गया है तथा श्रम बजट तैयार करने में बॉटम-अप एप्रोच का पालन किया गया है।

2.4.1.5 श्रम बजट में, कार्य की मांग की माह-वार अनुमानित मात्रा तथा कार्य की मांग करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराए जाने वाले कार्यों की मात्रा तथा समय सारणी को दर्शाने वाली योजनाओं को शामिल किया जाएगा ।



2.4.1.6 श्रम बजट तैयार करने और इन्हें समेकित करने के लिए किए गए उपाय: ग्राम पंचायत भागीदारीपरक प्रक्रियाओं के जरिए समुदाय स्तर पर अनुमानित मांग का आकलन करेगी तथा महात्मा गांधी नरेगा के जरिए परिसंपत्ति सृजन की जरूरत का मूल्यांकन करेगी। इन प्रक्रियाओं के परिणामों को ग्राम पंचायत स्तर पर समेकित किए जाने तथा अनुमोदन के लिए ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की जरूरत होती है।

2.4.1.7 योजना में ग्राम सभा में निर्धारित किए गए विभिन्न कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

2.4.1.8 इसमें उठाए गए सब-स्टेप इस प्रकार हैं:

- क. मांग का आकलन
- ख. जरूरतों का निर्धारण
- ग. संसाधन क्षेत्र का निर्धारण
- घ. प्रारूप विकास योजना तैयार करना
- ङ. ग्राम सभा/वार्ड सभा द्वारा अनुमोदन।

2.4.2 ग्राम पंचायत की भूमिका: ग्राम पंचायत को तत्पश्चात ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना, कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।

2.4.3 कार्यक्रम अधिकारी की भूमिका: कार्यक्रम अधिकारी को वार्षिक योजनाओं की उन मानदंडों के आधार पर जांच करनी होती है कि क्या ये कार्य अनुमेय कार्यों की सूची के अंतर्गत आते हैं और क्या समग्र मजदूरी सामग्री अनुपात को बनाए रखा गया है। कार्यक्रम अधिकारी तत्पश्चात योजनाओं को ब्लॉक योजना में समेकित करते हैं तथा इसे ब्लॉक पंचायत को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करते हैं।

2.4.4 ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत की भूमिका: ब्लॉक/ मध्यवर्ती पंचायतें कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रस्तावित श्रम बजट पर विचार करके इसे अनुमोदित करती हैं। ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायत फिर इन अनुमोदित योजनाओं को जिला कार्यक्रम समन्वयक के पास भेजती हैं।

2.4.5 जिला कार्यक्रम समन्वयक और राज्य सरकार की भूमिका: जिला स्तर और राज्य स्तर पर भी समेकन और अनुमोदन की इसी प्रक्रिया को दोहराया जाना चाहिए। जिला स्तर पर अनुमोदन के लिए, ग्राम पंचायतों के अलावा अन्य एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले सभी सुनियोजित कार्यों में मजदूरी सामग्री अनुपात की गणना पूरे जिले को एक इकाई मानते हुए की जाएगी। जिले में सभी ग्राम पंचायतों और अन्य सभी क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित किए गए कार्यों में समग्र रूप से 60:40 के

मजदूरी तथा श्रम अनुपात को बनाये रखा जाएगा। जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगे कि लागत की दृष्टि से किसी जिले में किए जाने वाले कम से कम 60 प्रतिशत कार्य भूमि, जल और वृक्षों के विकास के माध्यम से कृषि तथा तत्संबंधी कार्यकलापों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी उपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किए जाएं।

2.4.6 अनुमानित मांग का आकलन, निजी भूमि पर कार्यों की सूची और व्यक्ति को सीधे लाभ पहुंचाने वाले अन्य कार्यों की सूची तैयार करते समय कमजोर तबके के परिवारों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। गरीब तथा कमजोर तबके के परिवारों की पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए अभिसरण आयोजना कार्यक्रम में एसईसीसी (SECC) के स्वतः समावेशित एवं अपवर्जित परिवारों की सूची का उपयोग किया जाएगा।

2.4.7 ग्राम पंचायत, परियोजनाओं की सूची की अभिरक्षक होती है और ग्राम पंचायत में कार्य कर रही सभी परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों को अपने प्लानों की जानकारी संबंधित ग्राम पंचायत को देनी चाहिए। ग्राम पंचायत को चाहिए कि वह ग्राम सभा/वार्ड सभा से मंजूरी लेकर महात्मा गांधी नरेगा की वार्षिक योजना में इन्हें विधिवत समाविष्ट करे। ग्राम पंचायतों के अलावा अन्य कार्यान्वयन अधिकरण द्वारा क्रियान्वित किए गए कार्यों के लिए तैनाती के स्तर के आधार पर ब्लॉक/मध्यवर्ती/जिला पंचायत से अनुमोदन लिया जा सकता है।

2.4.8 ग्राम पंचायत स्तर पर परियोजनाओं की सूची रोजगार की अनुमानित मांग से कम-से-कम दोगुनी होनी चाहिए।

2.4.9 राज्य अभिसरण प्लान के अनुसार अंतरा-विभागीय तथा अंतरविभागीय दोनों स्तरों पर अभिसरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात्, अभिसरण प्लान के आधार पर प्रस्तावित कार्यों को बाद में अनुपूरक कार्य योजना के रूप में शामिल किया जा सकता है और इसे परियोजनाओं की सूची में शामिल किए जाने से पूर्व ब्लॉक/मध्यवर्ती/जिला पंचायत स्तर पर अनुमोदन लेने की जरूरत होती है।

2.4.10 एसईजीएफ को आपस में अभिसरण करने वाले विभागों जो राज्य अभिसरण प्लान में सूचीबद्ध हैं, से प्रदान की गई निधियां प्राप्त हो सकती हैं और इन्हें उपयुक्तता के हिसाब से कार्यक्रम कार्यान्वयन अधिकरण को आवंटित किया जा सकता है।

2.4.11 प्रत्येक कार्य से मिलने वाले परिणाम आकलन का हिस्सा होंगे।

2.4.12 ग्राम पंचायत/ मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत में निर्णीत प्राथमिकता क्रम के अनुसार ही एमआईएस में कार्यों की प्रविष्टि की जाएगी।

2.4.13 ग्राम पंचायत/ मध्यस्तरीय पंचायत/ जिला पंचायत द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार ही कार्यों को क्रियान्वित किया जाएगा।

2.4.14 ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 5 ग्रामीण विकास योजनाओं - महात्मा गांधी नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम तथा दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों में अभिसरण बिठाकर 2569 सर्वाधिक पिछड़े ब्लॉकों पर ध्यान देते हुए समेकित आयोजना को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। राज्य एक राज्य ग्रामीण विकास योजना (एसआरडीपी) बनाएंगे जिसमें कन्वर्जेंट प्लानिंग प्रक्रिया के परिणामों को शामिल किया जाएगा।

2.4.15 आईपीपीई और गैर-आईपीपीई ब्लॉकों के लिए सुझाई गई समयसीमा:

आयोजना और समेकन प्रक्रियाओं के लिए सुझाई गई समयसीमा निम्नलिखित तालिका के अनुसार है:

की जानेवाली कार्रवाई	समयावधि
ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजना प्रक्रिया की शुरुआत तथा ग्राम सभा/वार्ड सभा द्वारा आयोजना प्रक्रिया पर चर्चा	15 अगस्त से 2 अक्टूबर
ग्राम पंचायत स्तरीय वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन के लिए विशेष ग्राम सभा	2 अक्टूबर से 30 दिसंबर
ग्राम पंचायत स्तरीय योजना को ब्लॉक पंचायत में प्रस्तुत करना	5 दिसंबर
ब्लॉक पंचायत द्वारा ब्लॉक स्तर पर समेकित की गई वार्षिक योजना का अनुमोदन तथा इसे जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रस्तुत करना (ब्लॉक स्तर के लिए प्रस्तावित सभी पहलों सहित समेकित श्रम बजट ब्लॉक पंचायत/मध्यस्तरीय पंचायत से अनुमोदित होना चाहिए)	20 दिसंबर
जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जिला पंचायत में वार्षिक कार्य योजना तथा श्रम बजट प्रस्तुत किया जाना (जिले के	20 जनवरी

लिए प्रस्तावित सभी पहले जिला स्तर पर अनुमोदित होनी चाहिए)	
जिला पंचायत द्वारा जिला वार्षिक योजना को मंजूरी देना तथा इसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करना	31 जनवरी
केंद्र सरकार को श्रम बजट प्रस्तुत किया जाना	15 फरवरी
अधिकार-प्राप्त समिति की बैठक तथा श्रम बजट को अंतिम रूप देना	फरवरी के बाद से
मंत्रालय द्वारा राज्यों को श्रम बजट से अवगत कराया जाना तथा उसके बाद राज्यों द्वारा जिलों, ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों को इसकी जानकारी देना	31 मार्च
राज्यों के पास उपलब्ध अथशेष की जानकारी देना, केंद्र द्वारा अप्रैल/पहली किस्त का अंतरण	7 अप्रैल

2.4.16 उपर्युक्त में से किसी भी प्रावधान के उल्लंघन को महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत एक अपराध माना जाएगा और इस पर अधिनियम की धारा 25 के उपबंध लागू होंगे।

## **2.5 हकदारी V - 5 कि.मी. के दायरे में काम पाने का अधिकार**

### **2.5 हकदारी V - 5 कि.मी. के दायरे में काम पाने का अधिकार**

कामगारों को ऐसे कार्यस्थल पर कार्य दिया जाएगा जो अधिमानतः उसके निवास स्थल के 5 कि.मी. के दायरे में हों। कार्य की व्यवस्था निश्चित रूप से उसी ब्लॉक में की जाएगी। यदि कार्य निवास स्थल के 5 किमी. से अधिक की दूरी पर उपलब्ध कराया जाता है तो कामगार को यात्रा भत्ता पाने का अधिकार होगा।

पैरा 18, अनुसूची II: जहां तक संभव हो, आवेदक को उस ग्राम से जहां वह आवेदन करते समय निवास करता है, पांच किलोमीटर के व्यास के भीतर रोजगार प्रदान किया जाएगा।

पैरा 20, अनुसूची II: यदि रोजगार पैरा 18 में विनिर्दिष्ट ऐसे व्यास के बाहर प्रदान किया जाता है तो यह ब्लॉक के भीतर ही प्रदान किया जाएगा और श्रमिकों को अतिरिक्त परिवहन और जीवनयापन खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मजदूरी के रूप में, मजदूरी दर के दस प्रतिशत का संदाय किया जाएगा।

उपर्युक्त में से किसी भी प्रावधान के उल्लंघन को महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत एक अपराध माना जाएगा और इस पर अधिनियम की धारा 25 के उपबंध लागू होंगे।

### 2.5.1 महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कार्य का निष्पादन

अधिनियम का उद्देश्य गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को उनकी मांग के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में गारंटीयुक्त रोजगार के रूप में कम-से-कम 100 दिनों का अकुशल शारीरिक कार्य उपलब्ध कराना है जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित गुणवत्ता और टिकाऊपन वाली लाभकारी परिसंपत्तियों का सृजन होगा।

गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ करने के लिए इस योजना में विभिन्न प्रकार के कार्यों पर बल दिया जाता है जिनके बारे में महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची 1 के पैरा 4 में विस्तार से उल्लेख किया गया है।

#### 2.5.1.1 कार्यान्वयन अधिकरण /क्रियान्वयन एजेंसियां

महात्मा गांधी नरेगा के अनुसार, 'कार्यान्वयन अधिकरण' में केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई भी विभाग, जिला परिषद, मध्यस्तरीय पंचायत, ग्राम पंचायत या कोई भी स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी उपक्रम या योजना के अंतर्गत शुरू किए गए किसी कार्य को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत गैर-सरकारी संगठन शामिल है। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोक्ता संघ भी कार्यान्वयन अधिकरण हो सकती हैं। तथापि, लागत की दृष्टि से कम-से-कम 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों को क्रियान्वयन के लिए आवंटित किए जाएंगे।

ब्लॉक स्तर पर लाइन विभाग का अधिकारी भी कार्यक्रम अधिकारी (महात्मा गांधी नरेगा) के रूप में कार्य कर सकता है जिसे पीओ (एलडी) माना जाएगा।

महात्मा गांधी नरेगा के क्रियान्वयन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायत/ब्लॉक/जिला स्तर पर महिला स्व-सहायता समूहों के संघों को उत्तरोत्तर रूप से तैनात करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

#### 2.5.1.2 मजदूरी सामग्री अनुपात

महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची I, पैरा 20 के अनुसार “ ‘ग्राम पंचायत द्वारा शुरू किए गए सभी कार्यों के लिए, कुशल तथा अर्द्ध-कुशल कामगारों की मजदूरी सहित सामग्री घटक की लागत ग्राम पंचायत स्तर पर 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों और ग्राम पंचायतों द्वारा शुरू किए गए सभी कार्यों के लिए कुशल तथा अर्द्ध-कुशल कामगारों की मजदूरी सहित सामग्री घटक की लागत जिला स्तर पर समेकित रूप में 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।’

### 2.5.1.3 मशीनों का उपयोग

महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची I, पैरा 22 में यह निर्धारित किया गया है कि ‘जहां तक व्यवहार्य हो, कार्यक्रम कार्यान्वयन अधिकरण यथा साध्य कार्यों का निष्पादन श्रमिकों द्वारा ही किया जाएगा और कोई श्रमिक विस्थापित मशीनों का उपयोग नहीं करेगा।’

तथापि, कार्यों के निष्पादन में ऐसे भी क्रियाकलाप हो सकते हैं जिन्हें शारीरिक श्रम से पूरा नहीं किया जा सकता, वहां कार्यों की गुणवत्ता तथा टिकाऊपन को बनाए रखने के लिए मशीनों का उपयोग अनिवार्य बन जाता है। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत इस्तेमाल किए जा सकने वाले मशीनों की प्रस्तावित सूची नीचे दर्शाई गई है:

क्र.सं.	महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-I के पैरा 4 के अनुसार कार्य के नाम	कार्यकलाप का नाम	इस्तेमाल किए जा सकने वाले मशीनों के नाम
1.	II. श्रेणी ख: (i) भूमि की उत्पादकता को बढ़ाना, डग वेल	(i) डगवेल की खुदाई/गहरा करना	(i) पानी निकालने के लिए पंपसेट, (ii) पथरीली सतह के लिए कंप्रेसर हैमरयुक्त ट्रैक्टर (iii) लिफ्टिंग डिवाइस/चेन पुली (मोटर युक्त)
2.	IV. श्रेणी घ: (ii) सड़क संपर्कता	(i) 15 से 23 से.मी. की सतह पर अधिकतम नमी के साथ मिट्टी के तटबंधों का कॉम्पैक्सन	(i) पावर रोलर (ii) ट्रेलर माउंटेड वाटर ब्राउजर

		(ii) 15 से 20 से.मी. की सतह पर अधिकतम नमी के साथ मूरम/रोड़ी का कॉम्पैक्सन	(i) 8-20 टन वजन के स्टैटिक स्मूथ चक्कों वाले रोलर (ii) ट्रेलर माउंटेड वाटर ब्राउजर
		(iii)सीमेंट कंक्रीट की मिक्सिंग	(i)मैकेनिकल मिक्सर
		(iv)सीमेंट कंक्रीट को ठोस बनाना	(i)मैकेनिकल वायब्रेटर
		(v)सीमेंट कंक्रीट में ज्वाइंट की कटिंग	(i)कंक्रीट ज्वाइंट कटर
3.	IV. श्रेणी घ: (v) भवन का निर्माण	(i)आरसीसी फूटिंग, कॉलम, बीम तथा छत	(i)मैकेनिकल मिक्सर और मैकेनिकल वाइब्रेटर
4.	IV.श्रेणी घ: (vii) निर्माण सामग्रियों का उत्पादन	(i) कंप्रेस्ड स्टेबिलाइज्ड अर्देन ब्लॉकों (सीएसईबी) की कंप्रेसिंग के लिए	(i)सीएसईबी के लिए मशीन अर्थात औरम प्रेस, सिनवारम, टर्सटारा, मर्दिनी, तारा-बलराम, इत्यादि
		(ii)फ्लाई ऐश ईटों/ब्लॉकों के उत्पादन के लिए	(ii)पैन मिक्सर तथा ईट/ब्लॉक बनाने वाली मशीन (वायब्रेटरी टेबल/हाइड्रोलिक प्रेस)
5.	I.श्रेणी क: (v)सामान्य भूमि तथा वन भूमियों में वनीकरण, वृक्षारोपण	(i) पौधरोपण के लिए गड्ढों की खुदाई जो कि ऊसर क्षेत्रों में हाथ से नहीं की जा सकती, जहां कंकड़ पैन है और मिट्टी 8.5 से अधिक के पीएच मान वाली क्षारीय मिट्टी है।	(i) मैकेनिकल ऑगर

ऊपर उल्लिखित मशीनों के इस्तेमाल की शर्तें इस प्रकार हैं:

क. महात्मा गांधी नरेगा कार्यों के आकलन में उस क्षेत्र में लाइन विभागों की मौजूदा दरों की अनुसूची (एसओआर) के अनुसार निर्धारित मशीन दरों का उल्लेख होना चाहिए।

**ख.** ऐसे कार्यों की सामाजिक संपरीक्षा विशेष रूप से कराई जाएगी। मशीनों के उपयोग तथा उनकी अनुमानित लागत तथा जिन प्रयोजनों के लिए मशीनों का उपयोग किया जाएगा, से संबंधित ब्यौरे कार्यस्थल पर डिस्प्ले बोर्ड में स्थानीय भाषा में अनिवार्य रूप से दर्शाए जाने चाहिए।

यदि मशीनों को बार-बार उपयोग के लिए लगाए जाने की जरूरत होती है जैसे निर्माण सामग्रियों (सीएसईबी, फ्लाईऐश ईट, पेवर ब्लॉक इत्यादि) के उत्पादन कार्य, तो महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत इनकी खरीद की जा सकती है और लागत की पूर्ति सामग्री घटक के तहत की जाएगी। तथापि, ऐसी मशीनों के प्रापण के लिए महात्मा गांधी नरेगा के अलावा अन्य स्रोतों- सहभागी कार्यक्रम से अभिसरण सहायता के रूप में लेने हेतु प्रयास किए जाएंगे।

#### **2.5.1.4 कार्यों को परिणामोन्मुख बनाना**

महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची I के पैरा 13(ग) में यह प्रावधान किया गया है कि महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित 'प्रत्येक कार्य में प्राक्कलन, डिजाइन और तकनीकी नोट होगा जो कार्य के कार्यान्वयन से प्रत्याशित परिणामों को उपदर्शित करता हो।

**2.5.1.5 निर्माण सामग्रियों का उत्पादन:** महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अनुमेय अनेक कार्यों में ईंटों, टाइलों, पेवर ब्लॉकों इत्यादि का उपयोग किया जाता है। ऐसी निर्माण सामग्रियों के उत्पादन से अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिल सकता है। महात्मा गांधी नरेगा कार्यों के निष्पादन में आवश्यक निर्माण सामग्रियों के उत्पादन को निम्नानुसार मंजूरी दी गई है: ऐसा उत्पादन 'स्टैंडअलोन' कार्यकलाप नहीं होगा अर्थात् महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत तैयार की गई निर्माण सामग्रियों का उपयोग महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के लिए किया जाएगा और इन्हें खुले बाजार में नहीं बेचा जाएगा।

**2.5.1.6 महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सामग्रियों का प्रापण।** सार्वजनिक प्रापण की प्रक्रियाविधि में निम्नलिखित का अनुपालन किया जाएगा:

क. क्रियान्वयन एजेंसियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अतिरिक्त तथा अनावश्यक चीजों को शामिल किए बिना, कार्यविशिष्ट जरूरतों, गुणवत्ता, किस्म इत्यादि को ध्यान में रखते हुए और साथ ही प्रापण की जाने वाली सेवाओं (कुशल तथा अर्द्धकुशल श्रमिक; मेट की सेवाओं के व्यतिरिक्त) और सामग्रियों की गुणवत्ता से संबंधित विनिर्देशनों का स्पष्ट रूप से निर्धारण किया जाना चाहिए।

ख. स्पष्ट, पारदर्शी तथा निर्धारित प्रक्रियाविधि का अनुपालन करते हुए प्रस्ताव मंगाए जाने चाहिए।



- ग. कार्यान्वयन अधिकरण /क्रियान्वयन एजेंसियों को इस बात की संतुष्टि होनी चाहिए कि चयनित प्रस्ताव जरूरतों को समुचित ढंग से पूरा करते हैं।
- घ. कार्यक्रम कार्यान्वयन अधिकरण को अपने आप में संतुष्ट होना चाहिए कि प्रस्ताव की कीमत सही है तथा आवश्यक गुणवत्ता के अनुकूल है।
- ङ. प्रापण के प्रत्येक स्तर पर संबंधित कार्यान्वयन अधिकरण / क्रियान्वयन एजेंसियों संक्षिप्त रूप में उन सभी चर्चाओं का रिकॉर्ड रखेगी जो कि प्रापण संबंधी निर्णय लेते समय ध्यान में रखे गए थे।
- च. खरीद के लिए प्रस्तावित मर्दें/सामग्रियां केवल महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अनुमेय कार्यों के लिए होनी चाहिए।
- छ. किए गए सभी प्रापण अर्थात् खरीदी गई मात्रा, खर्च की गई कुल राशि, कार्य/योजना जिसके लिए सामग्री की खरीद की गई है, सामग्री प्रदान करने की तारीख इत्यादि को निगरानी के उद्देश्य से एमआईएस में प्रविष्ट किया जाना चाहिए।
- ज. सामग्री/मर्दों की खरीद करते समय, सामान्य वित्तीय नियमों में दर्शाए गए सिद्धांतों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए और सभी संबंधित रिकॉर्डों को किसी प्राधिकरण या आम जनता द्वारा जांचे जाने के लिए सावधानीपूर्वक रखा जाना चाहिए।
- झ. बागवानी तथा पौधरोपण में लगे वैयक्तिक लाभार्थियों के मामले में, लाभार्थी डीपीसी के नेतृत्व वाली समिति द्वारा निर्धारित दरों पर सरकारी नर्सरियों, सरकार द्वारा अनुमोदित निजी नर्सरियों से रोपण सामग्रियों की खरीद कर सकते हैं।
- ञ. लाभार्थी परिवार अपनी निजी भूमि पर वैयक्तिक कार्यों (प्रवर्ग 'ब') अर्थात् खेतों में तालाब, डग वेल, आईएचएचएल इत्यादि के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरों पर टीआईएन नंबर वाले किसी भी विक्रेता से आवश्यक सामग्रियों की खरीद कर सकते हैं।

## 2.5.2 कार्यों के प्रकार

### 2.5.2.1 कृषि तथा तत्संबंधी कार्यकलापों पर केंद्रित कार्य

महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची 1 के पैरा 4 के उप-पैरा (2) में यह स्पष्ट किया गया है कि “परंतु जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि लागत की दृष्टि से किसी जिले में किए जाने वाले कम से कम 60 प्रतिशत कार्य भूमि, जल और वृक्षों के विकास के माध्यम से कृषि तथा तत्संबंधी कार्यकलापों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी उपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किए जाएं।”

आजीविका विकास पर विशेष जोर देते हुए वैयक्तिक लाभार्थियों के लिए अभिसरण आयोजना प्रक्रिया से प्राथमिकता प्राप्त कार्यों को तरजीह दी जाएगी।

महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची I के अनुसार सीधे कृषि एवं तत्संबंधी कार्यकलापों से जुड़े महात्मा गांधी नरेगा कार्यों की सूची नीचे दी गई है:

अनुसूची I के अनुसार श्रेणी	कार्य
(1)	(2)
<b>I. प्रवर्ग अ : प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित लोक निर्माण</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. पेय जल स्रोत सहित परिष्कृत भूजल पर विशेष ध्यान के साथ भूमिगत बांध, मिट्टी के बांध, ठहराव बांध, रोक बांधों जैसे भूजल की वृद्धि और सुधार के लिए जल संरक्षण और जल शास्य ;</li> <li>ii. जल संचय के व्यापक उपचार के परिणामस्वरूप खाई रुपरेखा, कगार, खाई पुश्ता, गोलाशम अवरोध पीपा ढांचे और झरना शेड विकास जैसे जलसंभर प्रबंधन कार्य ;</li> <li>iii. सूक्ष्म और लघु सिंचाई कार्य और सिंचाई नहरों तथा नालियों का सृजन, पुनरुज्जीवन और अनुरक्षण;</li> <li>iv. सिंचाई कुंडों और अन्य जलाशयों की डिसिल्टिंग सहित पारंपरिक जलाशयों का पुनरुज्जीवन।</li> <li>v. पैरा 5 में आने वाली गृहस्थी के भोगाधिकार सम्यक रूप से प्रदान करके सामान्य और वन भूमियों, सड़क सीमांतों, नहर बंद, कुंड तटाग्र और तटीय पट्टी में वन भूमि में वृक्षारोपण, वृक्ष उगाना, और बागवानी तथा;</li> <li>vi. चारागाह विकास; स्टाइलो इत्यादि जैसे बारहमासी घास</li> <li>vii. बांस तथा रबर और नारियल पौधरोपण</li> <li>viii. आम भूमि में भूमि विकास कार्य।</li> </ul>
<b>II. प्रवर्ग आ : सामुदायिक आस्तियां या वैयक्तिक आस्तियां</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) भूमि विकास के माध्यम से और खुदे हुए कुंओं, कृषि तालाबों तथा अन्य जल संचयन संरचनाओं सहित सिंचाई के लिए उपयुक्त अवसंरचना उपलब्ध कराकर पैरा 5 में विनिर्दिष्ट गृहस्थियों की भूमि की उत्पादकता में सुधार करना;</li> <li>(ii) उद्यान कृषि, रेशम कृषि, पौधरोपण और कृषि वानिकी के</li> </ul>

	<p>माध्यम से आजीविका में सुधार करना;</p> <p>(iii) जुताई के अधीन लाने के लिए पैरा 5 में परिभाषित गृहस्थियों की परती भूमि या बंजर भूमि, का विकास;</p> <p>(iv) चारागाह विकास; स्टाइलो, वेटिवर इत्यादि जैसे बारहमासी घास</p> <p>(v) बांस तथा रबर और नारियल पौधरोपण</p> <p>(vi) कुक्कुट आश्रय, बकरी आश्रय, सुकर आश्रय, पशु आश्रय चारा द्रोणिका जैसे पशु धन के संवर्धन के लिए अवसंरचना का सृजन करना; और</p> <p>(vii) मछली शुष्कण यार्डों, भंडारण सुविधाओं जैसे मत्स्य पालन और सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जलाशयों में मत्स्यपालन के संवर्धन के लिए अवसंरचना सृजित करना;</p> <p>(viii) जैव उर्वरक (एनएडीईपी, वर्मी-कंपोस्टिंग इत्यादि)</p>
<p>III. <u>प्रवर्ग इ</u> :</p> <p>एनआरएलएम का अनुपालन करने वाले स्वयं सहायता समूहों के लिए सामान्य अवसंरचना</p>	<p>(i) जैव उर्वरकों और पशु कटाई सुविधाएं जिनके अंतर्गत कृषि उत्पाद के लिए पक्का भंडारण सुविधाएं भी हैं, के लिए अपेक्षित टिकाऊ अवसंरचना सृजित करके कृषि उत्पादकता संवर्धन करने के लिए संकर्म; और</p>
<p>IV <u>प्रवर्ग ई</u> : ग्रामीण अवसंरचना</p>	<p>(vi) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए खाद्यान्न भंडारण संरचनाओं का संनिर्माण;</p>

2.5.2.2 ऐसे कार्य जिन पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है:

2.5.2.1.1 वर्ष 2016-17 के दौरान, देश भर में निजी भूमि पर कम-से-कम 5 लाख खेतों में तालाब/डग वेल तथा 10 लाख वर्मी/एनएडीईपी कंपोस्टिंग पिट बनाए जाने का लक्ष्य रखा जाना चाहिए।

2.5.2.1.2 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण (एडब्ल्यूसी/AWC) - श्रमगहन एवं किरायाती प्रौद्योगिकियों और स्थानीय निर्माण सामग्रियों का उपयोग करते हुए महात्मा गांधी नरेगा के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण (एडब्ल्यूसी) शुरू किया जा सकता है।

महात्मा गांधी नरेगा के तहत 5 लाख रु. तक का व्यय करने की अनुमति दी गई है और राज्य विशेष अनुमान के अनुसार शेष लागत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की समेकित बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस/ICDS) से संबंधित योजनाओं और अन्य योजनाओं से जुटाई जा सकती है। एडब्ल्यूसी भवन का कुर्सी क्षेत्र कम से कम 600 वर्ग फीट होना चाहिए और इसका डिजाइन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार होना चाहिए।

2.5.2.1.3 महात्मा गांधी नरेगा के तहत वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों का निर्माण (आईएचएचएल/IHHL) : वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत बनाने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को गति देने के उद्देश्य से महात्मा गांधी नरेगा के तहत आईएचएचएल के निर्माण कार्य से संबंधित योजना में आईएवाई मकानों, अन्य योजनाओं (जैसे निर्माण कामगार कल्याण निधि के तहत बीडी कामगारों, निर्माण कामगारों के लिए आवास योजनाएं) और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत बनाए जा रहे मकानों में आईएचएचएल के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। महात्मा गांधी नरेगा के तहत आईएचएचएल की इकाई लागत 12000 रु. होगी और आईएचएचएल का डिजाइन एसबीएम (जी) के अनुसार होगा। तथापि, ऐसे मामलों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जहां महात्मा गांधी नरेगा निधियों का उपयोग आईएचएचएल के निर्माण के लिए किया जा रहा है, वहां पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एसबीएम(जी) निधियों का उपयोग न हो। यहां यह उल्लेख किया जाता है कि नरेगा के तहत आईएचएचएल का निर्माण सभी पात्र ग्रामीण आवासों (जिनमें शौचालय नहीं हैं) के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसे आवास एसबीएम(जी) या अन्य किसी योजना के तहत कवर न किए गए हों।

2.5.2.1.4 आईएवाई(IAY) या राज्य या केंद्र सरकार की ऐसी अन्य योजनाओं के तहत स्वीकृत मकानों का महात्मा गांधी नरेगा से निर्माण कार्य : कम से कम 20 वर्ग मीटर के कुर्सी क्षेत्र वाले एक मकान का निर्माण करने के लिए आवश्यक अकुशल श्रम दिवसों की संख्या पूर्वोत्तर राज्य, पहाड़ी क्षेत्र और आईएपी जिलों के लिए 95 श्रम दिवस एवं अन्य क्षेत्रों के लिए 90 श्रम दिवस है। आईएवाई/अन्य आवास योजना के लिए निर्धारित इकाई लागत के अतिरिक्त महात्मा गांधी नरेगा के तहत इस अकुशल श्रम का भुगतान किया जा सकता है। मकानों के निर्माण के लिए महात्मा गांधी नरेगा के तहत उत्पादित निर्माण सामग्रियों को लाभार्थी निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

2.5.2.1.5 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई/PMKSY) : 28 राज्यों के ऐसे 1023 पिछड़े ब्लॉक, जहां समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएम/IWMPपी) की परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा हो और गहन भागीदारीपूर्ण आयोजना कार्य - II (आईपीपीई-II/IPPE-II) के तहत महात्मा गांधी नरेगा के लिए वार्षिक कार्य योजना भी तैयार की जा रही हो, वहां महात्मा गांधी नरेगा एवं आईडब्ल्यूएमपी के अभिसरण से पीएमकेएसवाई (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक योजना) का कार्यान्वयन किया जाएगा। पीएमकेएसवाई के तहत परिकल्पित जिला सिंचाई योजनाएं (डीआईपी/DIP) पीएमकेएसवाई की आयोजना और कार्यान्वयन के लिए मूलभूत होगी।

2.5.2.1.6 जिन गांवों में अनुसूचित जाति की आबादी का उच्च अनुपात (50% से अधिक) है, वहां केंद्र एवं राज्य की योजनाओं में अभिसरण के माध्यम से और ग्रामीण आधार पर गांवों को निधियां आवंटित करके गांवों का विकास करने के लिए वर्ष 2009-10 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई। इस योजना को 5 राज्यों अर्थात् राजस्थान, तमिलनाडु, असम, हिमाचल प्रदेश और बिहार राज्यों के 1000 गांवों में कार्यान्वयन करने के लिए स्वीकृति दी गई। संबंधित राज्यों को महात्मा गांधी नरेगा के तहत चयनित गांवों में वरीयता आधार पर अनुसूचित जाति के परिवारों की भू-जोतों पर वैयक्तिक भूमि विकास कार्य शुरू करने के लिए सलाह दी गई है। जरूरतमंद अनुसूचित जाति के परिवारों की मांग दर्ज करने और उन्हें काम देने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए।

### 2.5.2.3 वाटरशेड विकास

उन क्षेत्रों में जहां कोई भी आईडब्ल्यूएमपी परियोजना स्वीकृत नहीं है, वहां महात्मा गांधी नरेगा के तहत स्वतंत्र रूप से परियोजना दृष्टिकोण से वाटरशेड प्रबंधन कार्य शुरू किए जा सकते हैं। इस श्रेणी में व्यापक वाटरशेड योजना के बिना स्टेण्ड अलोन कार्यों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कार्यों की पुनरावृत्ति या कार्य की दो बार गिनती किए बिना उन क्षेत्रों में आईडब्ल्यूएमपी के साथ अभिसरण करके महात्मा गांधी नरेगा के तहत भी वाटरशेड प्रबंधन कार्य शुरू किए जा सकते हैं, जिनमें आईडब्ल्यूएमपी पहले से क्रियान्वित है या नई आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

जहां कहीं भी गरीब व्यक्ति के पास अपनी भूमि है वहां बड़े पैमाने पर खेतों में तालाब बनाने, कुएं खोदने, जैव उर्वरक, कृमि खाद और एनएडीईपी (NADEP) जैसे पहलों को शुरू किया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था को बदला जा सके।

यह सलाह दी गई है कि महात्मा गांधी नरेगा के तहत जल संग्रहण के लिए बोरीबंध की बजाय ड्रेनेज लाइन की अपर एवं मिडिल रिचेज में अर्थन प्लग और गेबियन तथा ड्रेनेज लाइन की अपर एवं मिडिल रिचेज में ड्रॉप स्पिल वे एवं अर्थन डैम जैसी संरचनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए।

वैकल्पिक स्थायी एवं टिकाऊ जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण से सूखे में कमी आती है और इन्हें सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर शुरू किया जा सकता है। पेयजल स्रोतों, छत पर वर्षा जल संग्रहण से संबंधित संरचनाओं सहित भूमि जल का पुनर्भरण करने पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। जहां पेयजल योजनाएं बोरवैल पर आधारित हैं, वहां एक्विफायर रिचार्ज संबंधी संरचनाओं को शुरू किया जा सकता है। राज्य को प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में परंपरागत जल निकायों के पुनरूद्धार और नवीकरण करने पर भी विचार करना चाहिए।

2.5.2.4 कमाण्ड क्षेत्र विकास : महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-1 के पैरा संख्या 4 (I) (iii), (iv) एवं (II) (i) में अनुमेय कार्य इस प्रकार हैं कि कमाण्ड क्षेत्र का विकास उत्पादन बढ़ाने तथा आजीविका संसाधन की वृद्धि हेतु किया जा सकता है।

2.5.2.5 महात्मा गांधी नरेगा के तहत नहर एवं जल निकासी का रख-रखाव और पुनः स्थापना : यह सलाह दी गई है कि ग्राम पंचायतों (ब्लॉक एवं जिला स्तर पर संकलन करने के बाद) के ऐसे प्रस्तावों पर, सिंचाई विभाग के साथ परामर्श करके विचार किया जाना चाहिए। केवल उन मामलों में, जहां रख-रखाव आवश्यक हो गया है लेकिन कार्य के भाग के रूप में नियमित रख-रखाव नहीं किया गया हो, वहां महात्मा गांधी नरेगा के तहत इन पर विचार किया जा सकता है, जिसमें गाद निकालना, नहर की मेढ़ का रख-रखाव और लाईनिंग का रख-रखाव आदि शामिल है। इसके लिए मौजूदा एल-सेक्शन एवं निर्दिष्ट एल-सेक्शन सहित विस्तृत सर्वे अवश्य किया जाना चाहिए।

2.5.2.6 वनीकरण, वृक्षारोपण एवं बागवानी

महात्मा गांधी नरेगा के तहत वनीकरण, वृक्षारोपण और बागवानी जैसे कार्यक्रम निम्न भूमि पर किए जा सकते हैं।

- i. वन भूमि
- ii. बंजर भूमि
- iii. सार्वजनिक एवं सामुदायिक भूमि, चरागाह भूमि
- iv. नदी, नहर और बांध के दोनों ओर
- v. पीएमजीएसवाई(PMGSY) सड़कों एवं अन्य सड़कों के दोनों ओर
- vi. निजी भूमि (ब्लॉक वृक्षारोपण या कृषिगत भूमि की मेढ़ पर)

कार्यस्थल की आवश्यकताओं के आधार पर पौधरोपण रेखीय या ब्लॉक आधार पर किया जा सकता है।

पौधरोपण कार्यों में पौधरोपण से संबंधित सामग्री, गड्ढे खोदने और पौधरोपण के लिए मजदूर, उर्वरक (अधिमानत: जैविकीय), सिंचाई सामग्री, 3-5 वर्षों के लिए पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव कार्य की लागत में कवर किया जा सकता है। भूमि के मालिक/संबंधित विभाग से उनकी भूमि पर पौधरोपण करने से पहले अनुमति ली जानी चाहिए।

**लाभ पाने का अधिकार** - जहां कहीं सामुदायिक भूमियों पर पौधरोपण किया जाता है, वहां अधिमानत: 200 वृक्षों तक इन पौधों का लाभ पाने का अधिकार अधिनियम की अनुसूची I के पैरा 5 में उल्लिखित परिवारों को आवंटित किया जा सकता है।

**वृक्ष लगाने से संबंधित सामग्रियों की खरीदारी** : निम्नलिखित से पौधे खरीदे जाने चाहिए :

- i. मनरेगा के तहत लगाई गई नर्सरियों
- ii. वन विभाग / सरकार की नर्सरियों
- iii. सरकार से अनुमोदित निजी नर्सरियों, जिनकी दर डीपीसी संचालित समिति द्वारा निर्धारित की जाती है।

ब्लॉक पौधरोपण की सुरक्षा के लिए अधिमानत: गहरी मेढ़ वाली लाइव फेंसिंग और अलग-अलग पौधों की सुरक्षा के लिए स्थानीय तौर पर उपलब्ध पौधों की सामग्री से बने वृक्ष गार्ड जैसे बांस आदि को तरजीह दिया जाना चाहिए।

महात्मा गांधी नरेगा के तहत चरागाह भूमि का विकास और सूखा रोधन के लिए ग्राम सभा, वार्ड सभा एवं एसएचजी की भागीदारी से स्थानीय मिट्टी एवं जलवायु के अनुकूल चरागाह वृक्षों और देशी प्रजाति की सदाबहार घास लगाने की सलाह दी जाती है। मृदा एवं नमी संचयन संबंधी

कार्यों के बाद बीजों के बेहतर अंकुरण, गोलाई में बोआई (गोबर एवं काली मिट्टी के साथ मिश्रित) करने की भी सलाह दी जाती है।

11 मुख्य तिलहन की बुआई करके कमजोर वर्गों के आजीविका कार्यकलापों को बढ़ावा देने की सलाह दी जाती है।

**पीएमजीएसवाई सड़कों के दोनों ओर पौधारोपण :** महात्मा गांधी नरेगा के तहत पीएमजीएसवाई सड़कों के किनारों पर पौधारोपण किया जाएगा। ऐसे कार्यों के तहत, अधिनियम की अनुसूची -I के पैरा 5 में उल्लिखित परिवारों को उपयुक्त रख-रखाव अवधि (स्पेशीज प्लांटिड के आधार पर) के साथ 200 वृक्ष तक आवंटित किए जा सकते हैं। रख-रखाव अवधि के परे उस परिवार को आवंटित वृक्षों से होने वाले लाभ को प्राप्त करने का अधिकार होगा। मासिक भुगतान पौधों की उत्तरजीविता और अधिसूचित कार्यों के निष्पादन पर आधारित होता है।

### वृक्षारोपण के लिए कार्यकलापों की मासिक-वार अनुसूची

पौधों के स्थायित्व और उत्पादकता के लिए यह आवश्यक है कि राज्य वृक्षारोपण के लिए कार्यकलापों की मासिक-वार अनुसूची और स्टैकहोल्डरों की जिम्मेदारी निर्धारित करे। यह कार्य अलग-अलग राज्यों में अलग होंगे। वृक्षारोपण के कार्यकलापों की मासिक वार अनुसूची तथा 0 से 1 वर्ष के लिए स्टैक होल्डरों की जिम्मेदारी संदर्भ के तौर पर नीचे दी गई है। इसके बाद कार्यकलापों की अनुसूची तथा स्टैक होल्डर कार्यानुसार, वृक्षों की प्रजाति के अनुसार, भिन्न-भिन्न होंगे, जिसे राज्य द्वारा निर्धारित किया जाएगा तथा जिसका सख्ती से पालन किया जाएगा।

वर्ष	महीना	वृक्षारोपण के लिए कार्यकलापों की अनुसूची	जिम्मेदार स्टैकहोल्डर
(1)	(2)	(3)	(4)
0 वर्ष	अप्रैल से जुलाई तक	महात्मा गांधी नरेगा प्रचलानात्मक दिशा-निर्देश/आयोजना प्रक्रिया, अभिसरण दिशा-निर्देश/परिपत्रों के संबंध में कार्यान्वयन एजेंसी के अधिकारियों/स्वयंसेवकों/संसाधन व्यक्ति/लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, ताकि कार्य योजना और श्रम बजट तैयार करने के लिए उचित आयोजना कार्य शुरू किए जा सकें।	ग्रामीण विकास विभाग (आरडीडी) के अधिकारी, निर्वाचित प्रतिनिधि/ संबंधित विभाग के अधिकारी



	अगस्त	ग्राम सभा के माध्यम से आयोजना शुरू करना, वैयक्तिक / सामान्य / वन भूमियों पर विभिन्न प्रकार के वृक्षों को लगाने के लिए उपयुक्त भूमि जैसे सड़क के किनारे, नहरों के किनारें, पोखरों, तटाग्र, संस्थागत भूमियों, बेकार भूमि, बंजर भूमि, निम्न श्रेणी की भूमियों का निर्धारण करना। लाभ प्राप्त करने का अधिकार देने के लिए लाभार्थियों का निर्धारण करना, लाभार्थियों की विभिन्न प्रकार की मांग का अनुमान लगाना (कृषि संबंधी जलवायु के अनुकूल सिफारिश की गई प्रजातियों में से) नर्सरी तैयार करने के लिए कार्य करना। अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण की संभावनाओं पर काम करना	ग्राम पंचायत से निर्वाचित प्रतिनिधि और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी
	सितंबर से दिसंबर तक	ग्राम सभा द्वारा अभिपुष्टि करना, अनुमान तैयार करना और तकनीकी एवं प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त करना	ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों, पीओ, डीपीसी
1 वर्ष	जनवरी	कार्य आदेश जारी करना	कार्यक्रम अधिकारी (पीओ)
		क्षेत्र का सर्वे करना एवं स्वीकृति देना	जीआरएस की सहायता सहित लाभार्थी (क्षेत्रीय सहायक) और कामगार
	फरवरी	चयनित वृक्षारोपण स्थल की मृदा जांच / भूमि विकास - बोल्टर हटाना (यदि कोई हो), मेढ़ बनाना, गड्डे एवं ट्रेंच खोदना	जीआरएस की सहायता सहित लाभार्थी (क्षेत्रीय सहायक) और कामगार
	मार्च	गड्डे खोदना, गड्डों में कीटनाशी छिड़कना। फेसिंग या लाइव फेसिंग या सोशल फेसिंग लगाने के लिए	जीआरएस की सहायता सहित

		स्थानीय तौर पर पर्यावरण अनुकूल सामग्री की खरीदारी	लाभार्थी (क्षेत्रीय सहायक) और कामगार
	अप्रैल	फार्म यार्ड मेन्यू (एफवाईएम) की खरीदारी, उर्वरक	जीआरएस की सहायता सहित लाभार्थी
	मई	श्वेत जैव उर्वरक (एफवाईएम) और मिट्टी से गड्डों को भरना और किस प्रकार वृक्षारोपण करना है इस संबंध में लाभार्थियों को कार्यस्थल पर प्रशिक्षण देना	संबंधित विभाग / ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी
	जून	पौधों की ढुलाई और पौधरोपना (हरे-भरे छोटे पौधे), लाइवफेसिंग, सिंचाई, निराई और गुड़ाई करना	जीआरएस की सहायता सहित लाभार्थी (क्षेत्रीय सहायता) और कामगार
	जुलाई	पौधों की ढुलाई और पौधरोपना (हरे-भरे छोटे पौधे), लाइवफेसिंग, सिंचाई, निराई और गुड़ाई करना	जीआरएस की सहायता सहित लाभार्थी (क्षेत्रीय सहायता) और कामगार
	अगस्त	पौधों की ढुलाई और पौधरोपना (हरे-भरे छोटे पौधे), लाइवफेसिंग, सिंचाई, रख-रखाव	जीआरएस की सहायता सहित लाभार्थी (क्षेत्रीय सहायता) और कामगार
	सितम्बर	निराई, गुड़ाई और चार बार सिंचाई करना	जीआरएस की सहायता सहित लाभार्थी (क्षेत्रीय सहायता) और कामगार
	अक्टूबर	निराई, गुड़ाई और चार बार सिंचाई करना	जीआरएस की

			सहायता लाभार्थी सहायता) कामगार	सहित (क्षेत्रीय और
	नवम्बर	निराई, गुडाई और चार बार सिंचाई करना	जीआरएस सहायता लाभार्थी सहायता) कामगार	की सहित (क्षेत्रीय और
	दिसम्बर	निराई, गुडाई और रख-रखाव	जीआरएस सहायता लाभार्थी सहायता) कामगार	की सहित (क्षेत्रीय और

#### 2.5.2.7 वनीकरण, पौधरोपण और बागवानी से संबंधित अभिसरण कार्यक्रम :

क) नारियल पौधरोपण : महात्मा गांधी नरेगा के तहत नारियल पौधरोपण से संबंधित सभी श्रम साध्य कार्यों को शुरूआती दो वर्षों के दौरान शुरू किया जा सकता है। सामग्री की आपूर्ति और तकनीकी सहायता सहित कार्यक्रमों को नारियल विकास बोर्ड की योजनाओं या केंद्र / राज्य की अन्य पहलों के तहत कवर किया जा सकता है। शेष कार्यक्रमों को लाभार्थी के योगदान के अनुसार लाभार्थी द्वारा पूरा किया जा सकता है। पुराने नारियल के वृक्षों को हटाने के बाद महात्मा गांधी नरेगा के तहत नए पौधे लगाए जा सकते हैं, लेकिन पुराने नारियल के पेड़ों को हटाने के लिए कोई भी लागत महात्मा गांधी नरेगा के तहत दर्ज नहीं की जा सकती।

ख) रबर पौधरोपण : महात्मा गांधी नरेगा और केंद्र / राज्य सरकारों की योजनाओं में अभिसरण के माध्यम से रबर के पौधे लगाए जा सकते हैं। पौधरोपण कार्यों के लिए महात्मा गांधी नरेगा के तहत निधियां दी जा सकती हैं। अभिसरण पार्टनर रबर पौधरोपण एवं विकास के शुरूआती वर्षों के दौरान किसानों को मौके पर सहायता, खेती शुरू करने तथा खेती के बाद के कार्यक्रमों के लिए उनकी क्षमता निर्माण कराने, मूल्य बढ़ाने में मदद (फारवर्ड लिंकेज) और सुदृढ़ मार्केटिंग नेटवर्क उपलब्ध करा सकता है।

ग) पर्यावरण एवं वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय के राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) और ग्रीन इंडिया मिशन (जीआईएम) या केंद्र/राज्य की अन्य पहलों के साथ वनीकरण से संबंधित अभिसरण शुरू किया जा सकता है। जहां सार्वजनिक एवं सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य शुरू किया गया है, वहां वृक्षों से प्राप्त होने वाला संपूर्ण लाभ कमजोर वर्गों को दिया जाएगा।

#### 2.5.2.8 ग्रामीण अवसंरचना

निम्नलिखित महत्वपूर्ण अनुदेश ध्यान देने योग्य हैं :

क) उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का उपयोग : महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-1 के पैराग्राफ 13(क) में निर्माण कार्य में श्रम गहन एवं किफायती प्रौद्योगिकियों तथा स्थानीय सामग्रियों के उपयोग का प्रावधान किया गया है। तदनुसार, महात्मा गांधी नरेगा के तहत भवन निर्माण के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिसमें स्थानीय निर्माण परम्पराएं/ अन्य उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है ताकि संरचना की मजबूती के साथ कोई समझौता किए बिना मूलतः निर्माण कार्य में सीमेंट, रेत और स्टील के उपयोग को कम किया जा सके। प्रत्येक भवन के लिए उपयुक्त निर्माण सामग्रियों का चयन किया जा सकता है और इसका उत्पादन महात्मा गांधी नरेगा के तहत निर्माण स्थल के पास किया जा सकता है। राज्य, पर्यावरण अनुकूल निर्माण प्रौद्योगिकियों के डिजाइन, प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण और इसको बढ़ावा देने के लिए आईईसी सामग्री की तैयारी/प्रसार के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना पर विचार कर सकता है।

ख) भारत निर्माण सेवा केंद्र (बीएनएसके) : महात्मा गांधी नरेगा का प्रभावी कार्यान्वयन और ज्ञान संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए ग्राम पंचायत या ब्लॉक स्तर पर भारत निर्माण सेवा केंद्र (बीएनएसके) बनाए जा सकते हैं।

ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय का राष्ट्रीय मिड-डे मिल कार्यक्रम (एनपी-एनडीएमएस) के साथ अभिसरण करके महात्मा गांधी नरेगा के साथ किचन शेड के निर्माण का कार्य शुरू किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्कूलों में विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के

लिए अपेक्षित कुर्सी क्षेत्र के भोजन कक्ष का निर्माण भी महात्मा गांधी नरेगा के तहत किया जा सकता है।

घ) खेल के मैदान का निर्माण : महात्मा गांधी नरेगा के तहत एक गांव में एक खेल का मैदान बनाया जा सकता है। खेलों के लिए, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय की योजना - राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए) के अनुसार, खेल के मैदान का विनिर्देशन किया जाएगा। राज्य सरकारें अपनी सुविधा / व्यवहार्यता के अनुसार आरजीकेए या केंद्र/राज्य की अन्य पहलों के साथ अभिसरण कर सकती हैं। महात्मा गांधी नरेगा के साथ अभिसरण के माध्यम से आरजीकेए के तहत ब्लॉक स्तर पर आउटडोर गेम के मैदानों का निर्माण किया जा सकता है।

ड) बारहमासी सड़क संपर्कता : महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) की अनुसूची-1 को इस प्रकार पढ़ा जाए : “असंबद्ध ग्रामों को और विद्यमान पक्का सड़क नेटवर्क के लिये अभिजात ग्रामीण उत्पादन केंद्रों को जोड़ने के लिए सभी मौसमों में ग्रामीण सड़क संयोजकता उपलब्ध कराना; और ग्राम में पक्की आंतरिक सड़कें या गलियां, जिनके अंतर्गत पारश्वक नालियां और पुलियां भी हैं, का संनिर्माण”। गांव की सड़क संपर्कता का उपयोग सभी मौसम में तभी किया जा सकेगा यदि अपेक्षित तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती हैं और पावर रोलर से नमी को पूरा सुखाकर सड़कों को ठोस बनाया जाता है।

2.5.2.9 कार्यों की निरन्तर उपलब्धता : निरन्तरता के आधार पर कार्यों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। जो कार्य किए जा रहे हैं और जो कार्य अधूरे पड़े हैं उन कार्यों को पूरा करने पर जोर दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्य को पूरा करने की अनुमानित अवधि का उल्लेख किए बिना किसी भी प्रकार की तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2.5.3 महात्मा गांधी नरेगा के तहत गुणवत्ता नियंत्रण और रख-रखाव

2.5.3.1 गुणवत्ता नियंत्रण : महात्मा गांधी नरेगा के तहत सृजित की गई परिसम्पत्तियों में उपलब्ध कम संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग और परिणामों को मिलाना केवल तभी संभव होगा जब अपेक्षित गुणवत्ता प्रबंधन समय और व्यवस्थित रूप से पूरा कर लिया जाएगा, ताकि सृजित परिसम्पत्ति किफायती, टिकाऊ और उपयोगी हो। यह हासिल करने के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्य, कार्यस्थल, सर्वे, आयोजना,

डिजाइन, ले-आउट, निष्पादन का चयन, निगरानी तथा अनुवर्ती कार्यवाही तकनीकी मानकों के अनुसार है।

2.5.3.2 उत्पादकता / परिणाम : ग्राम सभा/वार्ड सभा से किसी भी कार्य की स्वीकृति लेने से पहले 'अनुमानित' परिणामों का मापन करके उत्पादकता/परिणाम की कड़ी निगरानी करनी चाहिए और वास्तविक परिणामों का मापन किए बिना इन्हें बन्द नहीं किया जाना चाहिए।

राज्य प्रत्येक प्रकार के कार्य के लिए अनुमानित परिणामों पर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए मॉड्यूल तैयार करेगा और कार्यकर्ताओं को इनका उपयोग करने का प्रशिक्षण देगा।

महात्मा गांधी नरेगा परिसम्पत्तियों की अनुमानित इकाँनामी, स्थायित्व और परिणाम/उपयोगिता की महत्वपूर्ण इकाइयां संदर्भ के लिए नीचे दी गई हैं।

क्र.सं.	महात्मा गांधी नरेगा के कार्य	इकाँनामी	स्थायित्व	परिणाम/ उपयोगता
1	2	3	4	5
1	जल संचयन और जल संग्रहण	जल भण्डारण की प्रति इकाई के अनुसार निर्माण की लागत / लाभान्वित इकाई क्षेत्र	i) पक्का कार्य 15-25 वर्ष ii) कच्चा कार्य 5-10 वर्ष	पुनर्भरण कुंओं की संख्या/ सिंचाई के तहत लाया गया क्षेत्र/ उत्पादन में वृद्धि और भू-जल तालिका में वृद्धि
2	वनीकरण और वृक्षारोपण	वृक्षों के बड़े होने तक प्रति इकाई क्षेत्र/वृक्ष के अनुसार लागत	वनीकरण वृक्ष, 15-25 वर्ष	प्रति वृक्ष परिपक्वता अवधि अर्थात 20-25 वर्ष के अनुसार लाभ
3	सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई सहित सिंचाई नहर	सिंचाई के अधीन आने वाले प्रति इकाई क्षेत्र के अनुसार लागत	15-25 वर्ष	एक वर्ष में फसल की संख्या ध्यान में रखते हुए एक वर्ष में उत्पादकता में वृद्धि

4	क) सिंचाई सुविधा/ बागवानी/ वृक्षारोपण ख) खेत की मेढ़ बनाना/ भूमि विकास	सिंचाई के अधीन आने वाली प्रति इकाई क्षेत्र/ वृक्ष के बड़े होने तक/ विकसित इकाई क्षेत्र के अनुसार लागत	क) 15-25 वर्ष ख) 10-15 वर्ष	सिंचाई/वृक्षारोपण/ भूमि विकास के तहत कवर किए गए क्षेत्र/ 1 वर्ष में फसल की संख्या को ध्यान में रखते हुए उत्पादकता में वृद्धि
5	तालाबों से गाद निकालने के साथ- साथ परम्परागत जल निकायों का पुनरुद्धार/रख-रखाव	प्रति इकाई जल भण्डारण क्षमता बढ़ाना/ हटाई गई गाद के अनुसार लागत	10-15 वर्ष	जल भण्डारण क्षमता और भू- जल स्तर को बढ़ाना
6	भूमि विकास	प्रति इकाई विकसित क्षेत्र के अनुसार लागत	15-25 वर्ष	विकसित क्षेत्र/ प्रति वर्ष उत्पादकता में वृद्धि
7	बाढ़ नियंत्रण एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य	प्रति इकाई विकसित क्षेत्र के अनुसार लागत	10-15 वर्ष	विकसित क्षेत्र/ प्रति वर्ष उत्पादकता में वृद्धि
8	ग्रामीण सड़क संपर्कता क) सीसी रोड़ ख) बजरी वाली / डब्ल्यूबीएम सड़क	सड़क संपर्कता की प्रति कि.मी. की लंबाई के अनुसार लागत	क) 10-15 वर्ष ख) 5-10 वर्ष	ग्रामीणों और लाभान्वित गांवों की संख्या
9	भवन निर्माण कार्य	प्रति इकाई कवर किए गए क्षेत्र के अनुसार लागत	45-60 वर्ष	ग्रामीणों और लाभान्वित गांवों की संख्या
10	कृषि संबंधी कार्य (जैविक-उर्वरक)	समय पर खाद उत्पादन की प्रति इकाई क्षमता के अनुसार लागत	5-10 वर्ष	प्रतिवर्ष कम्पोस्ट/ खाद का कि.ग्रा. के अनुसार उत्पादन करने की

				क्षमता
11	पशुपालन संबंधी कार्य (पशुशाला)	प्रति इकाई कवर किए गए क्षेत्र के अनुसार लागत	10-15 वर्ष	लाभान्वित मुर्गी पालन/बकरी/ मवेशी की संख्या
12	मछली पालन संबंधी कार्य	प्रति वर्ष प्रति इकाई उत्पादन की गई मछली के अनुसार लागत	5-10 वर्ष	प्रति वर्ष क्विण्टल के हिसाब से उत्पादन की गई मछलियां
13	तटीय क्षेत्रों पर कार्य क) मछली सुखाने वाले यार्ड ख) बेल्ट वेजीटेशन	क) प्रति इकाई कवर किए गए क्षेत्र के अनुसार लागत ख) प्रति इकाई कवर किए गए क्षेत्र के अनुसार लागत/ पौधों की संख्या	क) 10-15 वर्ष ख) 15-25 वर्ष	क) प्रति वर्ष क्विण्टल मछलियों को सुखाया जा सकता है। ख) लाभान्वित क्षेत्र
14	ग्रामीण पेयजल संबंधी कार्य जैसे साख्ते गड्डे, पुनर्भरण गड्डे	प्रति इकाई जल पुनर्भरण/ जमीन की खुदाई की लागत	3-5 वर्ष	लाभान्वित क्षेत्र/ पुनर्भरण जल की मात्रा
15	ग्रामीण स्वच्छता संबंधी कार्य	प्रति इकाई शौचालय/ ठोस, द्रव अपशिष्ट प्रबंधन की लागत	10-15 वर्ष	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या

2.5.3.3 रख-रखाव : सृजित परिसम्पत्तियां टिकाऊ रहेगी तथा ग्रामीण गरीबों का आजीविका संसाधन आधार सुदृढ़ होगा यदि परिसंपत्तियों का तैयार अनुसूची के अनुसार रख-रखाव किया जाता है, । महात्मा गांधी नरेगा के तहत सृजित की गई ग्रामीण सार्वजनिक परिसम्पत्तियों का रख-रखाव एक अनुमेय कार्यक्रमलाप है। यदि महात्मा गांधी नरेगा को छोड़कर अन्य योजनाओं से सृजित की गई परिसम्पत्तियां, जैसे नहर/नाले/जल संग्रहण संरचनाओं का एकबारगी व्यवस्थापन/पुनरुद्धार कार्य करने के लिए निधियों का उपयोग किया जाना हो, तो प्रशासनिक स्वीकृति लेने से पहले नियत



तारीख में किए गए पिछले कार्य का पूर्ण ब्यौरा, अनुमान एवं माप-पुस्तिका की प्रति कार्य के रिकॉर्ड के भाग के रूप में रखी जानी चाहिए। नए कार्य के लिए सभी मानकों का पालन करते हुए मापन के पहले और मापन के बाद रख-रखाव कार्य पर पृथक कार्य के रूप में विचार किया जाएगा।

#### 2.5.4 कार्य का मापन

सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत एवं जारी की गई माप-पुस्तिका (एमबी) में किए गए सभी कार्यों की माप को दर्ज किया जाएगा। किए गए कार्यों का मूल्य निर्धारित करने के लिए मनरेगा सॉफ्ट में संबंधित प्रविष्टियां की जाएगी।

सभी भुगतान, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से किए गए कार्य की मात्रा की माप करने और जूनियर इंजीनियर/प्राधिकृत तकनीकी कर्मचारी द्वारा माप की जांच करने के बाद ही किए जाएंगे।

2.5.5. महात्मा गांधी नरेगा के तहत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कोर स्टॉफ का प्रावधान

2.5.5.1 आयोजना बनाने, अनुमान तैयार करने, मैदान पर निशान बनाने और किए गए कार्य की माप करने आदि की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए, कोर स्टॉफ तैनात किया जाएगा। राज्य सरकार निम्नलिखित कोर स्टॉफ की तैनाती सुनिश्चित करेगी :-

- क. कार्यस्थल का सर्वेक्षण करने के लिए प्रत्येक 50 कामगारों पर एक 'मेट' होगा। मेट को कार्य प्रभार से भुगतान किया जाएगा और उसे निशान लगाने, माप लेने, माप-पुस्तिका का रख-रखाव और प्रत्येक कामगार द्वारा किए गए कार्य की मात्रा और प्राप्त मजदूरी के ब्यौरे के साथ जॉब कार्ड का अद्यतन करने जैसे कार्य दिए जाएंगे।
- ख. प्रत्येक 5 ग्राम पंचायतों या 2500 सक्रिय जॉब कार्ड के लिए एक 'तकनीकी सहायक' होगा, जो प्रत्येक सप्ताह या मस्टर के समापन के तुरंत बाद या इनमें से जो भी पहले हो, कार्य की माप करके उसे माप-पुस्तिका में दर्ज करेगा।
- ग. यदि उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलता या राज्य सरकार जैसे निर्णय लेती है, तो एक कामगार परिवार से बेयरफुट तकनीशियन (बीएफटी) का उपयोग किया जा सकता है। बीएफटी तकनीकी सहायक के तौर पर इन कार्यों का निष्पादन करने के लिए प्राधिकृत होगा।

घ. मेट और टीए/बीएफटी सहित तकनीकी कार्मिक को किए जाने वाले भुगतान की लागत सामग्री घटक का भाग होगी।

ड) ब्लॉक स्तर/ग्राम पंचायत स्तर पर एक 'जूनियर इंजीनियर' होगा, जो महात्मा गांधी नरेगा के सभी कार्यों की तकनीकी स्वीकृति देने के लिए प्राधिकृत होगा, माप-पुस्तिका में रिकॉर्ड की गई माप की जांच करेगा।

2.5.5.2 निधियों की अपर्याप्तता के आधार पर कोर स्टाफ की नियुक्ति को स्थगित नहीं किया जा सकता है।

2.5.5.3 सभी भुगतान, किए गए कार्य के मूल्य की माप करने और जूनियर इंजीनियर के द्वारा माप की जांच करने, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो, के बाद ही किए जाएंगे।

#### 2.5.6 बेयरफुट तकनीशियन

बेयरफुट तकनीशियनों का निर्धारण, प्रशिक्षण, नियोजन और भुगतान के लिए दिशानिर्देश :

2.5.6.1 'बेयरफुट तकनीशियन' एक शिक्षित व्यक्ति होता है, जिसे महात्मा गांधी नरेगा के स्थानीय कामगार परिवारों या मेटों/पर्यवेक्षकों में से निर्धारित किया जाता है और जिसे प्रशिक्षण मोड्यूल का उपयोग करते हुए सिविल इंजीनियरिंग के कार्यों में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। वह कार्यों के निर्धारण और अनुमान, कार्यों के लिए मैदान में निशान लगाना और महात्मा गांधी नरेगा की माप-पुस्तिका में किए गए कार्य की माप का रिकॉर्ड रखने के लिए आवश्यक कौशल अर्जित करता है। 2500 सक्रिय जॉब कार्डों के लिए एक बीएफटी तैनात किया जा सकता है।

2.5.6.2 पात्रता : बीएफटी के चयन के लिए पात्रता मानदण्ड इस प्रकार होंगे :

- क. वह 'सक्रिय' (पिछले दो वर्ष कार्य किया हो) कामगार परिवार/मेट/पर्यवेक्षक में से एक होना चाहिए।
- ख. उसके पास कम से कम 10वीं तक की शिक्षा होनी चाहिए।
- ग. वह अधिमानतः स्थानीय क्षेत्र का निवासी होगा।

- घ. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना चाहिए।
- ड तैनात किए गए बीएफटी में से कम से कम आधी संख्या महिलाओं की होगी।

2.5.6.3 निर्धारण : बीएफटी की सेवाओं की जरूरत वाले क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए कार्यक्रम अधिकारी प्राधिकृत होगा। पहले से उल्लिखित कोर स्टाफ आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इनका निर्धारण किया जाएगा।

2.5.6.4 कस्टमाइज्ड मॉड्यूल : बीएफटी के मॉड्यूल में 12 लर्निंग यूनिट और 1 ट्रेनर गाइड है। यह मंत्रालय की वेबसाइट पर एक ओपन सोर्स के रूप में उपलब्ध है।

2.5.6.5 प्रशिक्षण : कस्टमाइज्ड मॉड्यूल के अनुसार निर्धारित संस्थाओं में 3 महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा कर लेने पर निर्धारित किए गए अभ्यर्थियों को राज्य सरकार बीएफटी के रूप में नियुक्त करने की प्रतिबद्धता के साथ प्रायोजित करेगा। एनआईआरडी इस प्रक्रिया में मदद करेगा और एसआईआरडी/ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य संस्था के साथ कार्य करेगा, ताकि मंत्रालय की सहायता से प्रशिक्षण दिया जा सके। निम्नलिखित कार्य किए जाने हैं :-

- क) राज्य सरकार इन मानदण्डों जैसे महात्मा गांधी नरेगा का कार्यान्वयन करने का अनुभव, प्रशिक्षण देने का अनुभव, सिविल इंजीनियरिंग की योग्यता रखने वाले प्रशिक्षकों को नियुक्त करेगा। एसआईआरडी/किसी अन्य संस्थान से नामित व्यक्ति पर विचार किया जा सकेगा।
- ख) मंत्रालय कस्टमाइज्ड मॉड्यूल में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण में मदद करेगा।
- ग) एसआईआरडी/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य संस्था द्वारा अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाएगा।
- घ) कस्टमाइज्ड मॉड्यूल के अनुसार एसआईआरडी/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य संस्था में कम से कम दो प्रशिक्षकों के जरिए 90 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- ड) केंद्र सरकार डीडीयू-जीकेवाई मानकों के अनुसार प्रशिक्षण की लागत वहन करेगी और एसआईआरडी को निधियां प्रदान करेगी।

2.5.6.6 प्रमाण-पत्र : डीडीयू-जीकेवाई कौशल फ्रेमवर्क के अनुसार प्रशिक्षण पूरा करने पर सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

2.5.6.7 रोजगार : सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लेने पर तथा प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेने के बाद अभ्यर्थियों को कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए 'बीएफटी' के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

2.5.6.8 सौंपा गया कार्य : नियुक्त बीएफटी को प्रस्तावित कार्यों का निर्धारण करने, तकनीकी सर्वे करने, अनुमान तैयार करने और आयोजना प्रक्रिया में मदद करने का कार्य सौंपा जाएगा। ये आवश्यकता के अनुसार कार्यों की ले-आउट तैयार करने, कार्य के निष्पादन का पर्यवेक्षण और महात्मा गांधी नरेगा कार्यों की माप-पुस्तिका में माप रिकॉर्ड करने के लिए भी प्राधिकृत होंगे। बीएफटी विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के तहत कार्यों का निष्पादन करने में मेटों/मेसन का भी मार्गदर्शन करेंगे।

2.5.6.9 भुगतान : बेयरफुट तकनीशियन को कुशल कामगारों के रूप में भुगतान किया जाएगा। इसे काम के सामग्री घटक के प्रावधान से प्रदान किया जाएगा।

2.5.7 राज्य तकनीकी संसाधन दल (एसटीआरटी), जिला तकनीकी संसाधन दल(डीटीआरटी) और ब्लॉक तकनीकी संसाधन दल (बीटीआरटी) का गठन

एनआईआरडी ने महात्मा गांधी नरेगा के तहत राज्य तकनीकी संसाधन दल (एसटीआरटी), जिला तकनीकी संसाधन दल (डीटीआरटी) और ब्लॉक तकनीकी संसाधन दल (बीटीआरटी) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संबंधित राज्यों में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन के विषय में निर्धारित तकनीकी विशेषज्ञों का केडर विकसित करना है। राज्यों से डीटीआरटी और बीटीआरटी का सृजन करना अपेक्षित है तथा वे तैयार की गई कार्य योजना के अनुसार, एसटीआरटी के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। मंत्रालय एनआईआरडी एवं पीआर के जरिए गणनानुसार निधियां निर्गत करेगा।

2.5.8 क्लस्टर फेसिलिटेशन टीम कार्यनीति के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ अभिसरण

2.5.8.1 उद्देश्य : इस परियोजना का उद्देश्य महात्मा गांधी नरेगा और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के कार्यों में अभिसरण है, ताकि सिविल सोसाइटी संगठनों/समुदाय आधारित संगठनों की सहायता से महात्मा गांधी नरेगा में सृजित की जा रही परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके और उसके माध्यम से ग्रामीण आजीविकाओं के मसलों को सुलझाया जा सके।

2.5.8.2 ब्लॉकों का चयन : निम्न मानवीय विकास संकेतकों, जनजातीय क्षेत्रों, अनुसूचित जाति की अत्याधिक आबादी, खराब सड़क संपर्कता या सिविल सोसाइटी संगठन(सीएसओ) या समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ) की सक्रिय उपस्थिति जैसे मानदण्डों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा चुनिंदा पिछड़े ब्लॉकों में क्लस्टर फेसिलिटेशन टीम (सीएफटी) नियुक्त की जानी है। राज्य सरकारें मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से पिछड़े ब्लॉकों में इस परियोजना को शुरू कर सकते हैं।

2.5.8.3 सिविल सोसाइटी संगठन का चयन : राज्य सरकार महात्मा गांधी नरेगा में बेहतर अनुभव प्रदर्शित करने वाले सिविल सोसाइटी संगठन या समुदाय आधारित संगठन का चयन करेगी, ताकि चुनिंदा पिछड़े जिलों में इस परियोजना को शुरू किया जा सके। समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) और महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) में मौजूदा सहयोगियों को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य सरकार परियोजना शुरू करते समय संबंधित संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकती है।

2.5.8.4 संरचना और विस्तार :

क. प्रत्येक ब्लॉक में अधिमानतः एक सिविल सोसाइटी संगठन/समुदाय आधारित संगठन आवंटित किया जाएगा।

ख. सिविल सोसाइटी संगठन/समुदाय आधारित संगठन प्रत्येक ब्लॉक में 3 क्लस्टर फेसिलिटेशन टीम नियुक्त करेगा।

ग. क्लस्टर फेसिलिटेशन टीम चयनित ब्लॉकों में सभी ग्राम पंचायतों को कवर करेगी।

घ. प्रत्येक क्लस्टर फेसिलिटेशन टीम में कम से कम तीन सदस्य होंगे और ग्राम पंचायतों की संख्या के संबंध में ब्लॉक की लगभग एक तिहाई आबादी को कवर करेगा।

ड प्रत्येक क्लस्टर फेसिलिटेशन टीम मृदा एवं नमी संचयन, कृषि एवं सम्बद्ध कार्य/ आजीविका कार्यकलापों, समुदाय संगठन आदि में दक्ष होगी और अनुमान तैयार करने, मापन कार्य और परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता का निर्धारण करने में भी दक्ष होगी।

2.5.8.5 कार्यकलाप : क्लस्टर फेसिलिटेशन टीम ग्राम पंचायत के लिए तकनीकी सचिवालय की तरह कार्य करेगी और समुदाय संस्थाओं के साथ अभिसरण करेगी। क्लस्टर फेसिलिटेशन टीम समुदाय को संगठित, योजनाओं को तैयार और ग्राम पंचायत के लिए अनुमान तैयार करेगी तथा कार्यस्थल प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी। लेकिन कार्य का वास्तविक निष्पादन महात्मा गांधी नरेगा के कार्मिक के पास ही रहेगा। क्लस्टर फेसिलिटेशन के अनुमानित कार्यकलापों से संबंधित विस्तृत मानक प्रचालन प्रक्रिया यथावत है।

2.5.8.6 व्युत्पाद्य (डिलिवरेबल्स): क्लस्टर फेसिलिटेशन टीम के पास तीन वर्ष की अवधि के लिए चार व्युत्पाद्य (डिलिवरेबल्स) हैं।

क. समुदाय की भागीदारी के माध्यम से पूर्ण ग्राम पंचायत के लिए समेकित वाटरशेड योजना तैयार करना। राज्य सरकार अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुए महात्मा गांधी नरेगा संबंधी कार्यों की सूची में इसे शामिल करेगी।

ख. राज्य सरकार की सहायता से निष्पादित उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा में महात्मा गांधी नरेगा और एनआरएलएम के कार्यकर्ताओं, महात्मा गांधी नरेगा कामगारों तथा पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की भूमिका और अधिकारों के अनुसार, क्षमता निर्माण करना।

ग. सभी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति परिवार, कार्यक्रम अधिकारी की सहायता से, तीन वर्षों तक एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 75 दिनों का रोजगार प्राप्त हों, यह सुनिश्चित करना ।

घ. मस्टर रोल के समापन की तारीख से 15 दिनों के भीतर 100% भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की प्रणाली को सुविधाजनक बनाना।

2.5.8.7 एनआरएलएम की भूमिका : एनआरएलएम, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) के तहत पहले से काम करने वाले राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और सिविल सोसाइटी संगठनों के माध्यम से इस अभिसरण में मदद करेगा। एनआरएलएम, महात्मा गांधी नरेगा और स्वयं सहायता समूहों(एसएचजी) के साथ अभिसरण करने वाले निम्न तत्वों में, क्लस्टर फेसिलिटेशन टीम की सहायता कर सकता है :

- क. एसएचजी की साप्ताहिक बैठकों में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श करना।
- ख. आयोजना प्रक्रिया में एसएचजी की सहयोग करना और ग्राम सभा में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना
- ग. बिना जॉब कार्ड वाले एसएचजी सदस्यों का निर्धारण करना और यदि वे इच्छुक हो, तो जॉब कार्ड और महात्मा गांधी नरेगा कार्य के लिए आवेदन करने में उनकी मदद करना।
- घ. कार्य की मांग के लिए आवेदन भरने के लिए एसएचजी को प्रोत्साहित करना।

2.5.8.8 परियोजना की अवधि और वित्तपोषण :

- क. परियोजना की अवधि 1 जनवरी, 2014 से 1 मार्च, 2017 तक मानी गई है।
- ख. मंत्रालय तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रति ब्लॉक प्रत्येक वर्ष 28 लाख रु. की वित्तीय सहायता देगा। लागत का सार इस प्रकार है : 21.6 लाख रु. की दर से पारिश्रमिक, 4.3 लाख रु. की दर से अन्य व्यय जैसे यात्रा और 2.1 लाख रु. की दर से विविध लागत। इस बजट का इन बजट शीर्षों के अन्दर आंतरिक आवंटन सिविल सोसाइटी संगठन/ समुदाय आधारित संगठन द्वारा किया जाएगा, बशर्ते सिविल सोसाइटी संगठन/समुदाय आधारित संगठन ने ब्लॉक में कम से कम 9 लोगों को रोजगार दिया हो।
- ग. प्रत्येक वर्ष दो किस्तों में निधियां अंतरित की जाएंगी। मंत्रालय राज्यों को अंतरिम उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी), वर्ष-वार और तारीख वार सीएफटी का प्रचालन और व्युत्पाद्य के निष्पादन से संबंधित प्रगति रिपोर्ट अप्रैल में जमा करने पर परियोजना लागत की प्रारम्भिक 50% लागत अंतरित करेगा। वर्तमान वर्ष में अंतरित की गई निधियों में से 60% निधियों के उपयोग का उपयोग प्रमाण-पत्र, वर्ष-वार और

तारीख-वार सीएफटी का प्रचालन और व्युत्पाद्य के निष्पादन से संबंधित प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर शेष अवधि के लिए निधियां अंतरित की जाएंगी।

- घ. राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की गई निधियां और सिविल सोसाइटी संगठनों को अंतरित की गई निधियों के सभी स्वीकृति आदेश महात्मा गांधी नरेगा वेबसाइट पर अलग से क्लस्टर फेसिलिटेशन टीम परियोजना के टैब पर सार्वजनिक किए जाएंगे।

#### 2.5.8.9 निगरानी संरचना

- क. कार्यक्रम अधिकारी के साथ सिविल सोसाइटी संगठन/समुदाय आधारित संगठन प्रत्येक ब्लॉक के लिए प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्य योजना तैयार करेंगे। इन्हें वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में राज्य सरकार और मंत्रालय को सौंप दिया जाएगा।
- ख. ब्लॉक समन्वय समितियां, जिला स्तर पर संचालन समितियां और राज्य स्तर पर संचालन समितियां सीएसओ के प्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों के साथ गठित की जाएंगी।
- ग. मंत्रालय वार्षिक कार्य योजना और परियोजना व्युत्पाद्य पर आधारित परियोजना की समीक्षा तिमाही आधार पर करेगा।

2.5.8.10 विस्तार : राज्य सरकारें उपर उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार तथा दो अतिरिक्त घटकों के साथ क्लस्टर फेसिलिटेशन टीम परियोजना का विस्तार कर सकती हैं; दो अतिरिक्त घटक हैं: ब्लॉकों का चयन अत्यंत पिछड़े ब्लॉकों से किया हो और जिन राज्यों में 20 से अधिक परियोजना ब्लॉक हैं, उनको निम्नलिखित दायित्वों के लिए एक राज्य क्लस्टर फेसिलिटेशन टीम सेल वास्ते प्रत्येक वर्ष 5 लाख रु. की दर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी:-

- क. परियोजना में शामिल विभिन्न स्टैकहोल्डरों के बीच समन्वय।
- ख. परियोजना की निगरानी और मूल्यांकन में राज्य सरकार की मदद करना।
- ग. क्लस्टर फेसिलिटेशन टीमों की क्षमता निर्माण करने में मदद करना।
- घ. सुचारु समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सीएफटी ब्लॉकों का व्यापक रूप से क्षेत्रीय दौरा करना।



---

## 2.6 हकदारी VI-कार्य स्थलों पर सुविधाओं का अधिकार

---

### 2.6 हकदारी VI-कार्य स्थलों पर सुविधाओं का अधिकार

“अनुसूची-II, पैरा-23: कार्य स्थल पर सुरक्षित पेय जल, बालकों के लिए शेड तथा विश्राम की अवधि , लघु क्षतियों में आपात उपचार के लिए पर्याप्त सामग्री सहित प्राथमिक सहायता पेटी तथा किए जा रहे कार्य से संबद्ध अन्य स्वास्थ्य परिसंकट के लिए सुविधाएं कार्यस्थल पर प्रदान की जाएंगी।”

2.6.1. महात्मा गांधी नरेगा संबंधी कार्य स्थलों पर कामगार निम्नलिखित सुविधाओं के हकदार होते हैं:

2.6.1.1. चिकित्सा सहायता

2.6.1.2. पेयजल

2.6.1.3. छत्र/शेड

2.6.1.4. शिशुगृह /क्रेच

2.6.1.5. यदि कार्य स्थल पर पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे उपस्थित हों तो उनकी देखभाल के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा।

2.6.1.6. अनुसूची-II के पैरा 25 से 28 में कामगारों को हुई क्षति, दुर्घटना एवं मृत्यु के मामले में उनके हकों के बारे में बताया गया है।

1. अनुसूची-II, पैरा 25- ‘यदि स्कीम के अधीन नियोजित व्यक्ति को नियोजन से उदभूत दुर्घटना या उसके क्रम से कोई शारीरिक क्षति होती है, वह ऐसे यथाअपेक्षित निःशुल्क चिकित्सीय उपचार का हकदार होगा।’
2. अनुसूची-II, पैरा 26- ‘जहां आहत कर्मगार को अस्पताल में भर्ति करना आवश्यक है, तो राज्य सरकार अस्पताल में ऐसी भर्ती के लिए प्रबंध करेगा जिसके अंतर्गत आवास, उपचार, औषधियां तथा दैनिक भत्ते के संदाय भी है, जो मजदूरी दर के आधे से कम नहीं होगा।’
3. अनुसूची-II, पैरा 27-‘यदि स्कीम के अधीन नियोजित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या नियोजन के प्रक्रम में और उससे उद्भूत दुर्घटना के कारण वह स्थाई रूप से निःशक्त हो जाता है यथास्थिति, वह या उसके विधिक उत्तराधिकारियों को आम आदमी बीमा

योजना या केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित के अधिन हकदारी के अनुसार, कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा अनुग्रहपूर्वक भुगतान किया जाएगा।'

4. अनुसूची-II पैरा 28: यदि किसी व्यक्ति, जिसे स्कीम के अधीन नियोजित किया गया है, के साथ आने वाले बालक को दुर्घटनावश कोई व्यक्तिव्य क्षति कारित होती है। तो ऐसा व्यक्ति बिना किसी लागत के चिकित्सा उपचार का हकदार होगा और उक्त दुर्घटना के कारण बालक की मृत्यु या निःशक्त होने की दशा में, विधिक संरक्षणों को राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित अनुग्रहपूर्वक संदाय किया जाएगा।

उपर्युक्त किसी भी प्रावधान के उल्लंघन को महात्मा गांधी नरेगा के तहत दण्डनीय अपराध माना जाएगा, इसके लिए अधिनियम की धारा-25 का प्रावधान किया गया है।

---

## 2.7 हकदारी VII एवं VIII- अधिसूचित मजदूरी दर पाने का अधिकार और 15 दिन के अंदर मजदूरी पाने का अधिकार

---

2.7 हकदारी VII एवं VIII- अधिसूचित मजदूरी दर पाने और 15 दिन के अंदर मजदूरी पाने का अधिकार

### कामगार की हकदारी

महात्मा गांधी नरेगा, धारा 6(1): 'न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा, मजदूरी दर विनिर्दिष्ट कर सकेगी:परंतु यह कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए मजदूरी के भिन्न-भिन्न दरें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी:

परंतु यह और कि किसी ऐसी अधिसूचना के अधीन समय-समय पर विनिर्दिष्ट मजदूरी दर साठ रूपए प्रतिदिन से कम नहीं होनी चाहिए।'

महात्मा गांधी नरेगा की धारा 3(2) में दिया गया है कि दैनिक मजदूरी दर का संवितरण साप्ताहिक आधार पर या किसी भी दशा में उस तारीख के पश्चात जिसके द्वारा ऐसा कार्य किया गया था, पंद्रह दिन के अंदर किया जाएगा। मस्टर रोल बंद किए जाने के पंद्रह दिन के

बाद मजदूरी के भुगतान में हुए विलम्ब के लिए अधिनियम की अनुसूची-II के पैरा 29 के अनुसार मुआवजा लगाया जाएगा।

2.7.1. केंद्र सरकार अधिनियम की धारा 6(1) का पालन करेगी और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए मजदूरी दरें अधिसूचित करेगी। राज्य उच्च मजदूरी दर अधिसूचित कर सकते हैं और राशि के अंतर का भुगतान उनके द्वारा उपलब्ध कराए गयी निधियों से किया जा सकता है।

2.7.2. महात्मा गांधी नरेगा से मजदूरी अर्जित करने वालों के खाते कामगारों की सुविधा के अनुसार डाकघर/बैंक में खुलवाए जा सकते हैं और उनकी मजदूरी डाकघर/बैंक खाता, जो भी हो, में जमा की जाएगी।

2.7.3. मजदूरी संबंधी किसी भी प्रकार का भुगतान तब तक नकद नहीं किया जाएगा जब तक कि भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से इसकी अनुमति नहीं दे दी गई हो।

2.7.4. जहां कहीं भी बैंक द्वारा बैंक कर्मी/बिजिनेस कोरेस्पॉण्डेंट (बीसी) नियुक्त कर दिए गए हैं, वहां इन बीसी के द्वारा संचालित बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से मजदूरी संवितरित की जाएगी।

2.7.5. राज्य सरकार मजदूरी को किए गए कार्य की मात्रा से जोड़ेगी। इसका भुगतान विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए एवं अलग-अलग मौसमों से संबंधित काम-काजी प्रभावोत्पादकता संबंधी अध्ययनों के बाद, समय-समय पर संशोधित की गई मजदूरी दरों की ग्रामीण अनुसूची के अनुसार किया जाएगा। महिलाओं, बुजुर्गों, विकलांगों और कमजोर व्यक्तियों के लिए मजदूरी दरों की सूची अलग से तैयार की जाएगी ताकि उत्पादक कार्य में उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सके।

2.7.6. विभिन्न अकुशल मजदूरों की मजदूरी दर इस प्रकार तय की जाएगी कि विश्राम के एक घंटे को जोड़कर यदि कोई व्यस्क व्यक्ति आठ घंटे कार्य करता है तो वह निर्धारित मजदूरी दर के बराबर मजदूरी अर्जित करेगा। व्यस्क व्यक्ति के कार्य के घंटे शिथिलनीय होंगे लेकिन एक दिन में बारह घंटे से अधिक नहीं होंगे। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से मेट और कुशल कामगारों के अलावा अर्द्ध-कुशल कामगारों

की सेवाएं ले सकती हैं। ऐसे कामगारों को देय मजदूरी का निर्धारण परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा ही किया जाएगा।

2.7.7. सहायक संरचनाएं: महात्मा गांधी नरेगा के तहत भुगतान प्रणाली: ई-एफएमएस, पी-एफएमएस और एनई-एफएमएस।

2.7.7.1. इलैक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (ई-एफएमएस) : ई-एफएमएस वित्तीय संस्थानों के भुगतान नेटवर्क अर्थात् एनईएफटी/आरटीजीएस/इलैक्ट्रॉनिक कैश ट्रान्सफर(ईसीएस)/आधार आधारित भुगतान प्रणाली(एपीबीएस)/संचय पोस्ट के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा के कामगारों, स्टाफ और वेंडरों (मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक व्यय) के ई-भुगतान के लिए एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराती है। इससे भुगतान में होने वाली देरी घट जाती है। सभी स्थानों पर ई-एफएमएस लागू करने के प्रयास किए जा सकते हैं। सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से शेष स्थानों पर ई-एफएमएस की व्यवस्था लागू नहीं करने के कारणों की समीक्षा करने और शीघ्रातिशीघ्र ई-एफएमएस व्यवस्था लागू करने के उपाय करने कि सलाह दी गयी है।

2.7.7.2. सार्वजनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस): महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित किए जाने वाले सभी प्रकार के भुगतान 01 अप्रैल, 2015 से पीएफएमएस के माध्यम से किए जा रहे हैं। यद्यपि, इस प्रकार के भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से डाकघरों के द्वारा भी किए जाने बाकी हैं।

2.7.7.3. राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनई-एफएमएस): निधि उपलब्ध कराने वाली व्यवस्था को और अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से तथा निधियों के अप्रयुक्त रहे बिना, अधिनियम में दिए गए प्रयोजनों के अनुसार हकदारी प्रदान करने के लिए राज्यों को सक्षम बनाने हेतु दिनांक 01.01.2016 को प्रायोगिक आधार पर एनई-एफएमएस शुरू की गई है। इस व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। एनई-एफएमएस की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: -

क. मजदूरी घटक: महात्मा गांधी नरेगा का मजदूरी घटक, जिसकी जवाबदेही पूरी तरह से केंद्र सरकार की है, को केंद्रीय सैक्टर स्कीम के रूप में संचालित किया जाएगा।

इस घटक के तहत निधियां प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रोटोकॉल के अनुसार निर्गत की जाएंगी। इसे मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली प्रक्रियाओं के अनुसार, राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा सृजित एफटीओ के आधार पर कामगारों के खातों में राज्य रोजगार गारंटी निधि (एसएजीएफ) विंडो के माध्यम से सैद्धांतिक रूप से आगे बढ़ाया जाएगा।

ख. सामग्री एवं प्रशासनिक घटक: इसे राज्य समेकित निधि में निर्गत की जाने वाली केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में संचालित किया जाता रहेगा।

---

## 2.8 हकदारी IX मजदूरी के भुगतान में हुए विलंब के लिए मुआवजा

---

### 2.8 हकदारी IX मजदूरी के भुगतान में हुए विलंब के लिए मुआवजा

महात्मा गांधी नरेगा की धारा 3(3) के अनुसार, कामगार साप्ताहिक आधार पर मजदूरी के भुगतान के हकदार होते हैं और किसी भी परिस्थिति में मस्टर रोल के बंद होने की तारीख के पंद्रह दिन के अंदर भुगतान पाने के हकदार होते हैं। यदि मस्टर रोल बंद होने की तारीख से पंद्रह दिन के अंदर मजदूरी भुगतान नहीं किया जाता है तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम की अनुसूची-II के पैरा 29 के अनुसार मजदूरी प्राप्त कर्ता मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन के बाद के विलंब के लिए भुगतान न की गई मजदूरी पर प्रतिदिन 0.05% की दर से विलंब मुआवजे के भुगतान के लिए हकदार होता है।

2.8.1 राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि निर्धारण प्रक्रिया और मजदूरी भुगतान को विभिन्न चरणों में विभाजित करें, यथा-

- क. कार्य का मापन;
- ख. मस्टर रोल को कम्प्यूटरीकृत करना;
- ग. मापनों को कम्प्यूटरीकृत करना;
- घ. मजदूरी सूचियां तैयार करना और;
- इ. निधि अंतरण आदेशों (FTO) को अपलोड करना।

2.8.2 इसके अलावा राज्यों को प्रत्येक चरण हेतु विशिष्ट कार्य करने के लिए जवाबदेह कर्मों अथवा एजेंसी को निर्धारित करते हुए प्रत्येक चरण हेतु अधिकतम समय सीमा निर्धारित करनी है।

2.8.3 राज्य इन प्रक्रियाओं को उप-प्रक्रियाओं में विभाजित कर सकते हैं और समय अवधि के साथ कर्मों/एजेंसी का निर्धारण कर सकती है ताकि मजदूरी भुगतान में जबाबदेही और विभिन्न कर्मियों या एजेंसियों की संदोषता की गणना सुनिश्चित की जा सके।

2.8.4 नरेगासॉफ्ट में कुल देय मुआवजे की स्वतः गणना करने का प्रावधान है जोकि मस्टर रोल (एमआर) के बंद होने की तारीख और मजदूरी भुगतान के लिए भुगतान आदेश (निधि अंतरण आदेश) तैयार करने की तारीख पर आधारित होता है जिसमें निम्न का ध्यान रखा जाता है:

क. मजदूरी प्राप्त कर्ता के खाते में मजदूरी भुगतान के लिए एफटीओ अपलोड करने की तारीख

ख. मस्टर रोल बंद करने की तारीख

ग. इस प्रकार के विलंब की अवधि

घ. कुल देय मजदूरी

ङ. मुआवजे की दर (0.05% प्रतिदिन)

2.8.5 प्रत्येक मामले में दिया जाने वाला मुआवजा [www.nrega.nic.in](http://www.nrega.nic.in) पर स्वतः प्रदर्शित हो जाता है और रोजाना इसका अद्यतन होता रहता है।

2.8.6 मुआवजे का भुगतान जांच पड़ताल के बाद किया जाएगा। प्रत्येक कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि पंद्रह दिन के अंदर जब से विलंब के लिए मुआवजा देना हो, उसकी गणना नरेगा सॉफ्ट पर स्वतः हो गई है- उसका भुगतान करने योग्य है अथवा नहीं। इस मुआवजे की पूर्ति राज्य रोजगार गारंटी फण्ड (एसईजीएफ) से की जाएगी। इसकी वसूली विलंब के लिए जवाबदेह कर्मियों/एजेंसियों से की जा सकती है।

2.8.7 मुआवजा नहीं दिए जाने वाले अपवाद इस प्रकार हैं:

क. भुगतान करने वाले प्राधिकरण स्तर पर निधियां उपलब्ध न होने पर।

ख. मुआवजा देय न होने पर।

ग. गृह-मंत्रालय (एमएचए) द्वारा यथा-निर्धारित प्राकृतिक आपदा होने पर।

- 2.8.8 कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि मुआवजे के दावों का निपटान निर्धारित समय-सीमा, अर्थात् मुआवजा देय होने के पंद्रह दिन के अंदर, हो जाए और इस प्रकार के दावों को बिना किसी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के स्थगित परिस्थिति में इकट्ठे करने की अनुमति नहीं होगी। अस्वीकृति वाले सभी मामलों में, कार्यक्रम अधिकारी अस्वीकृति के विस्तृत कारण नरेगा सॉफ्ट पर अपलोड करेगा और भविष्य में जांच पड़ताल के लिए अपने कार्यालय में उनका रिकार्ड रखेगा। मुआवजे के भुगतान के लिए स्वीकृत सभी मामलों का निपटान इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली(ईएफएमएस) के माध्यम से उसी प्रकार किया जाएगा जैसे मजदूरी का भुगतान किया जाता है। जिला कार्यक्रम समन्वयक नियमित रूप से इसकी निगरानी करेगा।
- 2.8.9 निर्धारित समय-सीमा के दौरान इन दावों का निपटान न होने पर कामगार के खाते में देय राशि (नरेगा सॉफ्ट द्वारा गणना की हुई) का स्वतः भुगतान हो जाएगा। इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय के अलग खाते से यह राशि निकल जाएगी। इसे केंद्रीय अंश की अग्रिम अंतरण माना जाएगा और समेकित राशि को राज्य को दी जाने वाली अगली केंद्रीय अंतरण से घटा दिया जाएगा। इस प्रकार के सभी भुगतानों का ब्यौरा अलग से एमआईएस पर दिया जाएगा। इस संबंध में मंत्रालय विस्तृत निर्देश जारी करेगा।
- 2.8.10 राज्य सरकार (जिला कार्यक्रम समन्वयक और विशेष रूप से कार्यक्रम अधिकारी) विलंब से हुए मजदूरी भुगतान के मुआवजे के भुगतान के लिए इस प्रणाली को संचालित करने के लिए जवाबदेह होगी। इसका ब्यौरा नरेगा सॉफ्ट पर अपलोड किया जाए ताकि देर से किए गए भुगतान के मामले में प्रत्येक कर्मी/एजेंसी की जवाबदेही निश्चित हो सके।
- 2.8.11 दिए गए मुआवजे की गणना: दिए गए मुआवजे की गणना के लिए एसईजीएफ के अंदर एक अलग से खाता होगा और स्वतः भुगतान हो चुके मुआवजों के साथ-साथ ई-एफएमएस के अंतर्गत एमआईएस पर प्रदर्शित होगा। जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी इस प्रणाली के तहत भुगतान की जा चुकी मुआवजे की राशि की वसूली प्रचलित

प्रक्रियाओं के तहत, मजदूरी भुगतान में हुए विलंब के लिए जवाबदेह कर्मियों/एजेंसियों से करेगा। वसूल की गई इस राशि को इस खाते में जमा किया जाएगा।

2.8.12 समय से मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने के उपाय: पिछले कुछ वर्षों में मजदूरी का समय से भुगतान महात्मा गांधी नरेगा की मुख्य चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है। इसलिए व्यवस्थित समाधानों की आवश्यकता है ताकि मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके। राज्यों में सर्वरों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार प्रयास करेगी। राज्य यह सुनिश्चित करें:

क. श्रम बजट समय से प्रस्तुत करना, इससे निधियों की अंतरण और राज्यों/जिलों में निधियों की उपलब्धता प्रभावित होगी।

ख. ई-एफएमएस को सर्व-व्यापी बनाना।

ग. संपर्कता और अन्य अवसंरचनाओं कमियों की पहचान करना ताकि उनका वीएसएटी आदि के माध्यम से समाधान किया जा सके।

घ. मोबाइल आधारित निगरानी प्रणाली (एमएमएस) का संचालन करना।

ङ. पर्याप्त तकनीकी कर्मियों/बेयरफुट तकनीशियनों की नियुक्ति करना ताकि मस्टर रोल बंद करने के तीन दिन के अंदर प्राधिकृत कर्मियों द्वारा कार्य स्थल पर मापन किए जा सकें।

2.8.13 उपर्युक्त किसी भी प्रावधान के उल्लंघन को महात्मा गांधी नरेगा के तहत अपराध माना जाएगा, इसके लिए अधिनियम की धारा-25 का प्रावधान किया गया है।

---

**2.9 हकदारी X: समयबद्ध शिकायत निवारण का अधिकार, समवर्ती सामाजिक संपरीक्षा और महात्मा गांधी नरेगा में हुए संपूर्ण व्यय की सामाजिक संपरीक्षा कराने का अधिकार**

---

2.9 हकदारी X: समयबद्ध शिकायत निवारण का अधिकार, समवर्ती सामाजिक संपरीक्षा और महात्मा गांधी नरेगा में हुए संपूर्ण व्यय की सामाजिक संपरीक्षा कराने का अधिकार



कामगार ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायत दर्ज करने और उसकी पावती प्राप्त करने के हकदार होते हैं। कामगारों को संबंधित प्राधिकारियों से 15 दिन के अंदर दर्ज कराई गई शिकायतों का निवारण करवाने का अधिकार दिया गया है।

महात्मा गांधी नरेगा नागरिकों को सभी कार्यों और हुए व्ययों की सामाजिक संपरीक्षा कराने का अधिकार देता है। इसमें सभी दस्तावेजों की जानकारी, एमआईएस जो सही समय पर ऑन-लाइन जानकारी उपलब्ध कराती है, वॉल राइटिंग्स के माध्यम से अपनी ओर से दी गई जानकारी और स्वतंत्र सामाजिक संपरीक्षा इकाइयों के माध्यम से सामाजिक संपरीक्षा की सुविधा शामिल है।

कामगारों की हकदारी

*महात्मा गांधी नरेगा, 2005 की धारा 17(1) में ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत में किए जा रहे कार्यों की निगरानी करने और ग्राम पंचायत द्वारा योजना के तहत सभी परियोजनाओं की नियमित सामाजिक संपरीक्षाएं कराने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि 'सामाजिक संपरीक्षा कराने के प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायत सभी मस्टर रोल, बिल, वाउचर, मापन पुस्तिकाएं, स्वीकृति अनुदेशों की प्रतियां और लेखा एवं कागजात संबंधी अन्य पुस्तिकाएं ग्राम सभा को उपलब्ध कराएंगी'*

स्कीम की लेखा परीक्षा नियमावली, 2011 से संबंधित प्रावधानों के अनुसरण में निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाएगा।

2.9.1 एक स्वतंत्र सामाजिक संपरीक्षा इकाई स्थापित करना:

2.9.1.1 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी नरेगा के तहत किए गए कार्यों की सामाजिक संपरीक्षाएं कराने के लिए ग्राम सभा/ वार्ड सभा की सुविधा के लिए स्वतंत्र सामाजिक संपरीक्षा इकाइयों की पहचान/ महात्मा गांधी नरेगा के तहत सामाजिक संपरीक्षाएं कराने की विशेष जवाबदेही के साथ कार्य करने वाली स्वतंत्र सोसाइटियां स्थापित करनी है।

2.9.1.2 प्रत्येक स्वतंत्र सामाजिक संपरीक्षा इकाई एक संचालक मंडल के अधीन होगी जो कि नियमित आधार पर इकाई के निष्पादन की देख-रेख के लिए जवाबदेह होगी और यथा

आवश्यक इकाई को सलाह और निदेश देगी। संचालक मंडल के न्यूनतम गठन में निम्न शामिल होंगे:

क. प्रधान महा लेखाकार, सी एण्ड एजी (C&AG)

ख. प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास/पंचायती राज विभाग

ग. निदेशक, सामाजिक संपरीक्षा इकाई

घ. पारदर्शिता एवं जन-जवाबदेही से संबंधित मानकों में कार्यरत दीर्घावधि का अनुभव रखने वाले राज्य अथवा इसके बाहर कार्यरत सिविल सोसाइटी संगठनों, शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों के 3 प्रतिनिधि

इ. उन विभागों के अन्य विशेष आमंत्रित व्यक्ति जो उनके कार्यक्रमों की सामाजिक संपरीक्षाएं करते हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्रामीण विकास/ पंचायती राज विभाग का सचिव संचालक मंडल का अध्यक्ष न हो ताकि कार्यान्वयनकारी एजेंसी से सामाजिक संपरीक्षा इकाई की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके।

2.9.1.3 विशेष सामाजिक संपरीक्षा: सामाजिक संपरीक्षा करने वाले दलों को हिंसा, सरकारी/ गैर-सरकारी कर्मियों के असहयोग, नाराजगी का सामना होने के कारण, जिन क्षेत्रों में नियमानुसार सामाजिक संपरीक्षा नहीं कराई जा सकी और उसकी जानकारी लिखित रूप में मंत्रालय को दे दी गई थी, वहां मंत्रालय, प्रतिष्ठित संगठनों के साथ मिलकर निर्धारित समयावधि में संबंधित ग्राम पंचायत की विशेष सामाजिक संपरीक्षा कराएगा।

2.9.1.4 वित्तीय स्वतंत्रता: राज्यों को महात्मा गांधी नरेगा संबंधी कार्यों की सामाजिक संपरीक्षा कराने के लिए राज्य सरकारों से महात्मा गांधी नरेगा के कुल वार्षिक व्यय का 0.5% तक आवंटित करने का निदेश दिया गया है। राज्य सरकारों को महात्मा गांधी नरेगा के कुल वार्षिक व्यय का 0.5% आवंटन सीधे सामाजिक संपरीक्षा इकाई के बैंक खाते में अंतरित कर देना चाहिए।

2.9.1.5 मंत्रालय राज्य और जिला स्तर पर सामाजिक संपरीक्षा इकाई के न्यूनतम कोर स्टाफ की भर्ती की लागत की पूर्ति विशेष वित्तीय सहायता (वर्ष 2017 तक लागू) के माध्यम से करेगा,

जोकि महात्मा गांधी नरेगा संबंधी कार्यों की सामाजिक संपरीक्षा कराने की लागत के लिए महात्मा गांधी नरेगा के कुल वार्षिक व्यय के 0.5% आवंटन के अतिरिक्त है।

2.9.1.6 विशेष वित्तीय सहायता के अंतर्गत न्यूनतम कोर स्टाफ की भर्ती की लागत की पूर्ति के लिए निर्धारित मानक इस प्रकार होंगे:

राज्य स्तरीय सामाजिक संपरीक्षा इकाई के लिए

मुख्य शीर्ष	पारिश्रमिक/लागत प्रतिमाह
निदेशक	60000 रु.
सामाजिक विकास विशेषज्ञ	40000 रु.
सामाजिक संपरीक्षा विशेषज्ञ	20000 रु.
यात्रा भत्ता	पारिश्रमिक का 10%
कार्यालय व्यय	10000 रु.
प्रशिक्षण/अभिमुखीकरण	1000 रु.प्रतिमाह (एक वर्ष में 12 दिन)

जिलास्तरीय- लेखा परीक्षा इकाई के लिए

मुख्य शीर्ष	पारिश्रमिक/लागत प्रतिमाह
यात्रा भत्ता	5000 रु. प्रतिमाह
प्रशिक्षण/अभिमुखीकरण	500 रु. प्रतिमाह (एक वर्ष में 12 दिन)

विशेष वित्तीय सहायता से स्वीकृत न्यूनतम स्टाफ की संख्या इस प्रकार होगी:

राज्य का नाम	स्वीकृत सामाजिक लेखा-परीक्षा निदेशकों की संख्या	स्वीकृत सामाजिक विकास विशेषज्ञों की संख्या	स्वीकृत सामाजिक संपरीक्षा विशेषज्ञों की संख्या
आंध्र प्रदेश	1	1	4 (22 जिलों के लिए )
असम	1	1	5 (27 जिलों के लिए)
बिहार	1	1	7 (38 जिलों के लिए)

छत्तीसगढ़	1	1	5 (27 जिलों के लिए)
गुजरात	1	-	5 (26 जिलों के लिए)
हरियाणा	1	-	4 (21 जिलों के लिए)
हिमाचल प्रदेश	1	-	2 ( 12 जिलों के लिए )
जम्मू एवं कश्मीर	1	-	4 ( 22 जिलों के लिए )
झारखंड	1	1	4 ( 24 जिलों के लिए )
कर्नाटक	1	1	6 ( 30 जिलों के लिए )
केरल	1	1	2 ( 14 जिलों के लिए )
मध्य प्रदेश	1	-	10(51 जिलों के लिए )
महाराष्ट्र	1	-	6 ( 33 जिलों के लिए )
मणिपुर	1	-	2 ( 9 जिलों के लिए )
मेघालय	1	-	1 ( 7 जिलों के लिए )
मिजोरम	1	-	1 ( 8 जिलों के लिए )
नागालैंड	1	-	2 ( 11 जिलों के लिए )
ओडिशा	1	-	6 ( 30 जिलों के लिए )
पंजाब	1	-	4 ( 22 जिलों के लिए )
राजस्थान	1	1	6 ( 33 जिलों के लिए )
सिक्किम	1	-	1 ( 4 जिलों के लिए )
तमिलनाडु	1	1	6 ( 31 जिलों के लिए )
त्रिपुरा	1	-	1 ( 8 जिलों के लिए )
उत्तर प्रदेश	1	1	15(75 जिलों के लिए )
उत्तराखंड	1	-	2 ( 13 जिलों के लिए )
पश्चिम बंगाल	1	1	4 ( 19 जिलों के लिए )

जिले में 30 करोड़ रुपए के प्रत्येक व्यय के लिए एक जिला संसाधन व्यक्ति नियुक्त करने की लागत विशेष वित्तीय सहायता से की जाएगी। विशेष वित्तीय सहायता में निर्धारित किया गया है कि राज्य और जिला स्तर पर सामाजिक संपरीक्षा इकाई न्यूनतम कर्मियों की संख्या और न्यूनतम देय वेतन के साथ नियुक्ति करे। राज्य सरकारें अपनी प्रशासनिक निधियों से अधिक वेतन पर अतिरिक्त संसाधन व्यक्तियों की नियुक्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं।

2.9.1.7 चयन: राज्य और जिला स्तर पर सामाजिक संपरीक्षा संसाधनों व्यक्तियों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों से की जाएगी जो सामाजिक संपरीक्षा करने का अनुभव रखते हों और सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर चुके हों। सामाजिक संपरीक्षा इकाई द्वारा संभावित अभ्यर्थियों की छंटनी करने के बाद तैयार की गई सूची में से अंतिम अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए निम्नलिखित समिति को अधिसूचित किया जाएगा:

क. मुख्य सचिव अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति।

ख. महात्मा गांधी नरेगा का कार्यान्वयन करने वाले विभाग का प्रधान सचिव।

ग. मंत्रालय का प्रतिनिधि जिसका पद निदेशक/उप-सचिव के पद से न्यून न हो।

घ. ग्रामीणों के अधिकारों और हकदारी के लिए कार्य में अनुभव रखने वाले सिविल सोसाइटी संगठन का एक प्रतिनिधि। राज्य सरकारें, इसमें सदस्यता हेतु, अपनी ओम्बड्समेन चयन समिति में सिविल सोसाइटी संगठन के प्रतिनिधि को नामित करने पर विचार कर सकती हैं।

2.9.1.8 सामाजिक संपरीक्षा इकाई में कार्यरत संसाधन व्यक्तियों को भुगतान करना: सामाजिक संपरीक्षा इकाईयां राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर अपने संसाधन व्यक्तियों के बैंक खातों में सीधे भुगतान करने के लिए प्राधिकृत होंगी। सामाजिक संपरीक्षा इकाई में कार्यरत संसाधन व्यक्तियों को भुगतान, किसी भी स्तर पर, कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की स्वीकृति से परे होगा।

2.9.1.9 कलेंडर/समय सारणी: सामाजिक लेखा-परीक्षा इकाई को वर्ष की शुरुआत में एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार करना होगा ताकि वर्ष में नियमानुसार कम से कम पचास प्रतिशत ग्राम पंचायतों में की जाने वाली सामाजिक संपरीक्षा की शुरुआत दर्शायी जा सके। जैसे ही सामाजिक संपरीक्षा का कार्यक्रम तैयार हो जाता है, कड़ाई से इसका अनुपालन किया जाना है और सभी जिला कार्यक्रम समन्वयकों को इसकी जानकारी पहले से दे दी जानी है। इस कार्यक्रम को स्वतः ही, अपनी ओर से सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

- 2.9.1.10 ग्राम सामाजिक संपरीक्षा संसाधन व्यक्तियों की नियुक्ति: किसी पंचायत में सामाजिक संपरीक्षा में सहायता के लिए नियुक्त किए गए ग्राम सामाजिक संपरीक्षा संसाधन व्यक्ति उसी पंचायत के निवासी नहीं होंगे। ग्राम सामाजिक संपरीक्षा संसाधन व्यक्तियों के निर्धारण के लिए और उनके मुख्य कार्यों के मानदंड सामाजिक संपरीक्षा संबंधी राष्ट्रीय पुस्तिका में दिए गए हैं।
- 2.9.1.11 अभिलेखों का प्रावधान: कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक संपरीक्षा कराने के लिए ग्राम सभा/वार्ड सभा की बैठक की निश्चित तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पहले सामाजिक संपरीक्षा कराने में सुविधा हेतु सामाजिक संपरीक्षा इकाई को आवश्यक प्रपत्रों और उनकी प्रतिलिपियों के साथ कार्यान्वयन एजेंसियों को जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराएगा। निम्नलिखित दस्तावेजों को अवश्य भेजा जाए: जॉबकार्ड; मस्टर रोल प्राप्त रजिस्टर; निर्गम रजिस्टर; जॉब कार्ड आवेदन रजिस्टर; जॉब कार्ड प्राप्त रजिस्टर; जॉब कार्ड निर्गम रजिस्टर; रोजगार रजिस्टर; ग्राम सभा/वार्ड सभा की बैठक के कार्यवृत्त का रजिस्टर; कार्यों की सूची; कार्य संबंधी रजिस्टर; परिसंपत्तियों से संबंधित रजिस्टर; शिकायत रजिस्टर; निविदा/ संविदा रजिस्टर; सामग्री आपूर्ति रजिस्टर; वाउचर फोल्डर; रोकड़ पुस्तिका एवं बही; स्टॉक रजिस्टर; बैंक मिलान विवरण फोल्डर; प्रशासनिक स्वीकृति; कार्य संबंधी अनुमान; तकनीकी स्वीकृति; ग्राम सभा/वार्ड सभा का संकल्प; कार्य शुरू करने का आदेश; मापन पुस्तिका; मजदूरी सूची; कार्य समापन प्रमाणपत्र; संपरीक्षा रिपोर्ट; श्रम बजट।
- 2.9.1.12 महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित दस्तावेजों की प्रति, मांगने पर तीन दिन के अंतर प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं और कोई भी जानकारी छिपाई न जाए।
- 2.9.1.13 सत्यापन: ग्राम सभा/वार्ड सभा में सामाजिक संपरीक्षा में सहायता के लिए सामाजिक संपरीक्षा इकाई द्वारा नियुक्त किए गए संसाधन व्यक्ति ग्राम पंचायत के सभी जॉब कार्ड धारकों के संबंधित दर्ज प्रविष्टियों और महात्मा गांधी नरेगा संबंधी कार्यस्थलों का 100% सत्यापन करते हैं।
- 2.9.1.14 ग्राम सभा/वार्ड सभा: सामाजिक संपरीक्षा संबंधी सत्यापन कार्य के निष्कर्षों पर चर्चा करने और पारदर्शिता एवं जवाबदेही, कामगारों के अधिकारों और हकों की पूर्ति और

निधियों के समुचित उपयोग के अनुपालन की समीक्षा के लिए भी ग्राम सभा/वार्ड सभा की बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए।

2.9.1.15 सामाजिक संपरीक्षा रिपोर्टें: सामाजिक संपरीक्षा संबंधी रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए और ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जानी चाहिए। सामाजिक संपरीक्षा पूरी होने के 48 घंटों के अंदर सामाजिक संपरीक्षा इकाई द्वारा सामाजिक संपरीक्षा संबंधी रिपोर्ट सार्वजनिक कर देनी चाहिए। राज्य सामाजिक संपरीक्षा इकाईयों को सामाजिक लेखा संपरीक्षाओं के दौरान सत्यापन के लिए अपेक्षित रिपोर्टें डाउनलोड करने और उसके निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा सामाजिक संपरीक्षा के लिए विकसित किए गए राष्ट्रीय एमआईएस (NREGASoft) का उपयोग करने का निदेश दिया जाता है।

2.9.1.16 सामाजिक संपरीक्षा संबंधी शिकायतों का पंजीकरण: सामाजिक संपरीक्षा प्रक्रिया में निर्धारित महात्मा गांधी नरेगा के कामगार के अधिकार का उल्लंघन होने पर सामाजिक संपरीक्षा इकाई को लिखित शिकायत दर्ज करके ग्राम सभा/वार्ड सभा की बैठक के दौरान कार्यक्रम अधिकारी और ओम्बड्समैन को प्रस्तुत की जाए और शिकायतकर्ता को इसकी रसीद की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। सामाजिक संपरीक्षा के दौरान पायी गयी वित्तीय अनियमितता के प्रत्येक मामले में सामाजिक संपरीक्षा इकाई को एफआईआर दर्ज कराने के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक को लिखित में शिकायत देनी चाहिए। रिकॉर्ड रखरखाव प्रोटोकॉल और निर्धारित पारदर्शिता संबंधी मानकों के उल्लंघन के मामले में सामाजिक संपरीक्षा इकाई को कार्यक्रम अधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक को लिखित रूप से शिकायत करनी चाहिए और उसकी रसीद प्राप्त करनी चाहिए।

2.9.1.17 अनुवर्ती कार्रवाई: कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी समयबद्ध आधार पर लेखा परीक्षा के निष्कर्षों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होती है।

2.9.1.18 जैसे ही ग्राम सभा/वार्ड सभा सामाजिक संपरीक्षा संबंधी रिपोर्टों को मंजूर कर देती हैं, ये रिपोर्टें ग्राम सभा/वार्ड सभा की सामाजिक संपरीक्षा के समापन के 24 घंटे के अंदर जिला कार्यक्रम समन्वयक और राज्य सामाजिक संपरीक्षा इकाई को प्रस्तुत की जानी होती है।

2.9.1.19 ग्राम सभा/वार्ड सभा की बैठक के एक महीने के अंदर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सामाजिक संपरीक्षा की इकाई को प्रस्तुत की जानी चाहिए। आगामी सामाजिक संपरीक्षा के 15 दिन पहले, कार्यान्वयन एजेंसी और पिछली बार संपरीक्षा करने वाले संसाधन व्यक्ति से सामाजिक संपरीक्षा में सहायता करने वाले संसाधन व्यक्ति को एटीआर की प्रति प्राप्त हो जानी चाहिए। क्षेत्रीय दौरों के दौरान, सामाजिक संपरीक्षा इकाई को यह सत्यापित करना चाहिए कि क्या वास्तव में एटीआर पर अपेक्षित कार्रवाई की जा चुकी है। ग्राम सभा/वार्ड सभा की सामाजिक संपरीक्षा शुरू होने पर पिछली रिपोर्ट की एटीआर और क्षेत्रीय सत्यापन के निष्कर्षों को समवर्ती सामाजिक संपरीक्षा इकाई के समक्ष सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

2.9.1.20 ग्रामीण विकास विभाग/पंचायती राज के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, सामाजिक संपरीक्षा की मासिक समीक्षा करेंगे जिसमें सामाजिक संपरीक्षा रिपोर्टों में पायी गई अनियमितताओं और उनके समाधान के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई की प्रगति/स्थिति की समीक्षा होगी।

2.9.1.21 रिपोर्ट देना: राज्य सामाजिक संपरीक्षा इकाईयों द्वारा तिमाही रिपोर्टें राज्यों के प्रधान महालेखाकारों को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की जानी हैं और इसका अनुपालन किया जाना है। इस प्रपत्र में सामाजिक संपरीक्षा इकाई और इसके कर्मियों की स्थिति, उस तिमाही में सामाजिक संपरीक्षा इकाई द्वारा किए गए व्यय और कार्यक्रम की स्थिति तथा उस तिमाही में कार्यक्रम के अनुसार सामाजिक संपरीक्षाएं कराने संबंधी जानकारी शामिल होती है।

## 2.9.2 समवर्ती सामाजिक संपरीक्षाएं

सभी कार्यों के लिए प्रतिमाह समवर्ती सामाजिक संपरीक्षा की जानी है। इस प्रयोजन हेतु सप्ताह के निश्चित किसी भी दिन, किए गए कार्यों के सभी दस्तावेजों और ग्राम पंचायत में किए गए व्यय की जांच करने का अधिकार स्व-सहायता समूहों, ग्राम सामाजिक संपरीक्षकों, ग्राम निगरानी समितियों (वीएमसी) और अन्य ग्राम स्तरीय संगठनों (वीओ) को दिया गया है। कार्यक्रम अधिकारी मामूली लागत पर दस्तावेजों की प्रतियां, जहां कहीं भी आवश्यक हों, उपलब्ध कराएगा।



प्रत्येक ग्राम सभा, ग्राम निगरानी समिति (वीसी) का चुनाव करेगी जिसमें महात्मा गांधी नरेगा के 5 कामगार शामिल होंगे। महात्मा गांधी नरेगा की महिला कामगार, अ.ज./अ.ज.जा. परिवारों के कामगार, वे परिवार जो सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना के अनुसार स्वतः वंचित परिवारों में शामिल हो रहे हैं, इस वीएमसी में शामिल होंगे। जहां महिला स्वयं सहायता समूह वीएमसी की पात्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं उन्हें यथोक्तानुसार ग्राम सभा द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदन करने के पश्चात ग्राम पंचायत की वीएमसी का सदस्य मान लिया जाएगा।

वीसी के सदस्यों को निरीक्षण कार्य करने के लिए प्रत्येक सप्ताह में एक दिन के मजदूरी के बराबर भुगतान किया जाएगा। वीएमसी ग्राम पंचायत के सभी सक्रिय कार्यों की समवर्ती सामाजिक संपरीक्षा करेगी और इस बात की निगरानी करेगी कि प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य स्थलों पर मानकों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं, साथ ही दस्तावेजों का रखरखाव भी देखा जाएगा। वे इस बात की निगरानी भी करेंगे कि क्या अधिनियम के अनुसार कामगारों को उनके हक दिए जा रहे हैं। वीसी अपने हस्ताक्षरित रिपोर्ट कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

### 2.9.3 ओम्बड्समेन:(Ombudsman)

महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची- 1 की धारा 30 में बताया गया है कि जारी निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में शिकायतों को प्राप्त करने के लिए, जांच करने और आदेश पारित करने के लिए एक ओम्बड्समेन होगा। ओम्बड्समेन से संबंधित 16.01.2014 को जारी किए गए मंत्रालय के दिशा-निर्देशों में नियुक्ति प्रक्रिया के लिए केंद्रीय सरकार के मानक, आवेदन, कार्यकाल एवं कार्यकाल की समाप्ति, स्वायत्तता, पारिश्रमिक, शक्तियां एवं उत्तरदायित्व, शिकायत निवारण की प्रक्रिया और ओम्बड्समेन की रिपोर्ट पर की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा दिया गया है, जोकि यथावत मान्य है।

सामाजिक संपरीक्षाओं के माध्यम से संज्ञान में लाए गए उन मामलों को जिनमें हकदारी नहीं दी गई सामाजिक संपरीक्षा इकाई उन्हें ओम्बड्समेन को भेज देती है। ओम्बड्समेन, दिए गए मानकों के अनुसार, अपनी ओर से शिकायत दर्ज करने और

उसके निपटान के लिए शिकायत दर्ज करने की तारीख से 30 दिन के अंदर निर्णय देने के लिए उत्तरदायी होता है।

#### 2.9.4 शिकायत निवारण:

राज्य सरकार को शिकायतें प्राप्त करने, तारीख सहित उनकी पावती देने के लिए एक व्यवस्था करनी चाहिए और महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-1 की धारा 29 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए 15 दिन के अंदर इसका निवारण सुनिश्चित करना चाहिए।

#### 2.9.5 सतर्कता:

सभी राज्यों से अधिनियम के कार्यान्वयन में हुई अनियमितताओं की पहचान करने और सामाजिक संपरीक्षा के दौरान पायी गई अनियमितताओं सहित सभी अनियमितताओं और जुर्मजांच हेतु एक त्रिस्तरीय सतर्कता तंत्र स्थापित करने के लिए कहा गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि दोषियों को दंड मिले तथा अनुचित ढंग से खर्च की गई निधियों की वसूली हो सके।

2.9.5.1 राज्य सरकार को एक राज्य सतर्कता प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए जिसमें एक सतर्कता अधिकारी होगा जिसे शिकायतें प्राप्त करने का उत्तरदायित्व, शिकायतों का सत्यापन और नियमित क्षेत्रीय दौरे करने का कार्य सौंपा जाएगा। राज्य सतर्कता प्रकोष्ठ अधिकारियों के मामले में सार्वजनिक लेखाकार अधिनियम के माध्यम से और अन्य के मामले में राजस्व वसूली अधिनियम के माध्यम से राशियों की वसूली शुरू करने; दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश और जहां आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता हो उन मामलों में पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने में जिला सतर्कता प्रकोष्ठ से सिफारिश करने के लिए प्राधिकृत होगा। मुख्य सतर्कता अधिकारी अनियमितताओं और जुर्म के संबंध में सुझावों के साथ राज्य रोजगार गारंटी परिषद को वार्षिक रिपोर्ट भेजने के लिए उत्तरदायी होगा।

2.9.5.2 राज्य सतर्कता प्रकोष्ठ के दिशा-निर्देशों के अनुसार एक जिला सतर्कता प्रकोष्ठ स्थापित किया जाना चाहिए और इसका अध्यक्ष जिलास्तरीय अधिकारी होना

चाहिए जिसकी सहायता के लिए एक अभियन्ता और एक लेखा परीक्षक होना चाहिए। जिला सतर्कता प्रकोष्ठ स्वतः निरीक्षण कार्य करेगा और वसूली, अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करेगा और ऐसे गैर-सरकारी एवं सरकारी व्यक्तियों के संबंध में आपराधिक मामले दर्ज करेगा जिनके लिए अनुशासनात्मक प्राधिकार जिला स्तर पर होता है।

2.9.5.3 प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5 सदस्यों वाली ऐसी सतर्कता एवं निगरानी समितियां स्थापित की जानी चाहिए जिनमें अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के परिवारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो और उनमें से आधी महिलाएं हों। वीएमसी के सदस्यों का चयन अध्यापकों, एडब्ल्यू कामगारों, स्वसहायता समूहों के सदस्यों, एसए संसाधन व्यक्तियों, प्रयोक्ता समूहों, युवा क्लबों, सिविल सोसाइटी के संगठनों आदि से किया जाए। वीएमसी कम से कम 6 महीने की अवधि के लिए ग्राम सभा द्वारा नियुक्त/नामित/चुनी जाए। वीएमसी के कार्यों में कार्यस्थल के दौरे, कामगारों के साथ चर्चा, दस्तावेजों का सत्यापन कार्यस्थल संबंधी सुविधाओं का सत्यापन, कार्यों के गुणवत्ताओं का मूल्यांकन, लागत का मूल्यांकन, कार्य के आदि से अंत तक की रिपोर्ट देना, कार्य की प्रकृति का गुणवत्तापरक मूल्यांकन शामिल होंगे। वीएमसी सभी कार्यों की जांच करे और कार्य रजिस्टर में इसके मूल्यांकन की रिपोर्ट दर्ज करे और सामाजिक संपरीक्षा के दौरान ग्राम सभा के समक्ष इसे प्रस्तुत करे। वीएमसी की रिपोर्टों को जन-दस्तावेज माना जाना चाहिए और मांग पर ग्राम पंचायत में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

#### 2.9.6 स्वतः अनिवार्य प्रकटीकरण:

राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि नीचे सुझाए गए प्रपत्र के अनुसार, 'जनता सूचना प्रणाली' जिसमें कार्यस्थल, वॉल पेंटिंग, ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड और महात्मा गांधी नरेगा की वेबसाइट शामिल हैं, का उपयोग करते हुए सर्वसाधारण और स्टैक होल्डरों को अपनी ओर से स्वतः ही सूचना और दस्तावेजों का प्रकटीकरण किया जाए।

2.9.6.1 प्रत्येक राजस्व गांव के लिए वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा संबंधी कार्य स्थिति की सूची:

क्र सं..	कार्य का नाम	कार्य आईडी.	स्वीकृत राशि			व्यय की गई राशि			अवधि	कार्यस्थिति पूरे/अधूरे
			मजदूर	सामग्री	कुल	मजदूर	सामग्री	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2.9.6.2. प्रत्येक राजस्व गांव के लिए वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा कार्यों के लिए सामग्री पर किए गए व्यय का ब्यौरा

क्र सं. .	कार्य का नाम	कोड सं ख्या	प्रयुक्त सामग्री का ब्यौरा												
			कुल सिमेंट			कुल बजरी			कुल पत्थर			अन्य सामग्रियां			सामग्रियों पर किया गया कुल व्यय
			प्रयु क्त इका ईयों की सं.	द र	राशि	प्रयु क्त इ का ईयों की सं	दर	राशि	ट्रोलो	दर	राशि	प्रयु क्त इ का ईयों की सं	दर	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

### 2.9.6.3. प्रत्येक वार्ड के महात्मा गांधी नरेगा संबंधी जॉब कार्डों का ब्यौरा

क्र.सं	जॉब कार्ड धारक का नाम	2014-15		2015-16		2016-17		2017-2018		2018-19	
		दिनों की संख्या	राशि	दिनों की संख्या	राशि	दिनों की संख्या	राशि	दिनों की संख्या	राशि	दिनों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### 2.9.7 पारदर्शिता और जवाबदेही के मूल सिद्धांत

मंत्रालय ने अधिनियम के कार्यान्वयन के सभी चरणों में अनुपालनार्थ पारदर्शिता और जबाबदेही के मूल सिद्धान्तों को अधिसूचित किया है।

2.9.7 सभी नागरिकों को उनके नाम से शुरू की गई पहलों के कार्यान्वयन की निगरानी का कार्य प्रभावी रूप से करने के लिए, उन्हें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से, सक्षम और सशक्त बनाने के क्रम में विभिन्न कार्य किए जाने की जरूरत है। इनमें हकदारी, निर्धारित समय सीमा कौन किसके लिए जिम्मेदार है, निर्धारित मानकों और दरों, निर्णयकारी प्रक्रियाओं, अपील की संभावना, शिकायत अथवा शिकायत निवारण, संभावित परिणामों की व्यापक समझ शामिल हैं।

2.9.7.1 पारदर्शिता और जवाबदेही जैसी अवधारणा इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए कि वे सार्वजनिक और समावेशी प्रक्रियाओं द्वारा निर्धारित हों। कार्यक्रम की निगरानी करने का अधिकार देने और लाभार्थियों को अपने अधिकारों का दावा करने में सहायता करने के लिए, सभी को व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से, सशक्त बनाना आवश्यक है।

2.9.7.2 सभी नागरिकों को जानकारी की उपलब्धता समान रूप से मिलनी चाहिए और किसी भी नागरिक की जानकारी के उपयोग करने अथवा सुनवाई के अधिकार पर रोक लगाने वाले किसी भी प्रयास पर रोक लगनी चाहिए।

2.9.7.3 कुछ सीमांत समूहों को विशेष रूप से सशक्त बनाने और सुविधा देने की जरूरत हो सकती है ताकि वे आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकें।

- 2.9.7.4 अपनी ओर से किए जाने वाले प्रकटीकरण अथवा सामूहिक रूप से की जाने वाली निगरानी के मामलों में बाहरी एजेंसियों/व्यक्तियों/समूहों द्वारा सहायता दिए जाने की जरूरत है।
- 2.9.7.5 स्थानीय भाषा की अनुकूलता और अर्द्धशिक्षित, अशिक्षित और विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के माध्यमों से सभी कार्यक्रमों और सार्वजनिक संस्थानों के बारे में संबंधित जानकारी (अनिवार्य रूप से) अपनी ओर से प्रदर्शित की जाए।
- 2.9.7.6 दी गई जानकारी प्रमाणित, अद्यतित एवं सावधिक हो और इस प्रकार प्रदर्शित की जाए की उसे आसानी से समझा जा सके। इसके लिए विशेष प्रोफोर्मा और प्रपत्र तैयार किए जाने की जरूरत है।
- 2.9.7.7 संबंधित जानकारी ग्राम, ग्राम पंचायत, ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायत और जिला स्तर पर अच्छी तरह से प्रदर्शित की जानी चाहिए।
- 2.9.7.8 इसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जहां तक संभव हो सभी प्रकार के निर्णय सार्वजनिक रूप से सभी इच्छुक स्टैकहोल्डरों के सामने लिए जाएं। इसे सुनिश्चित कर लें कि यह सबसे अच्छा तरीका है कि लिए गए निर्णय न केवल सही हों बल्कि सही दिखाई भी दें।
- 2.9.7.9 इसकी पहचान करते हुए कि, किए गए सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, जानकारी उपलब्ध कराने और फीडबैक प्राप्त करने, दोनों के तरीके भ्रष्ट अथवा अवरुद्ध हो सकते हैं अतः लोगों से जानकारी के आदान-प्रदान को सरल बनाने के लिए अनेक प्रकार के माध्यमों और तरीकों का उपयोग किया जाना चाहिए।
- 2.9.7.10 हर तरह से, जहां तक संभव हो, संचार की सांस्कृतिक रूप से उपर्युक्त पद्धतियों विशेषतः ऐसी परंपरागत पद्धतियों जिनसे स्थानीय लोग भली-भांति परिचित हों, पर जोर देना चाहिए और नई एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकियों से होने वाले फायदों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके लिए मोबाइल फोन और सोशल मीडिया विशेष रूप से मेल खाते हैं क्योंकि ग्रामीण परिवारों में इनकी व्यापकता देखी जा सकती है और

लोगों के बीच अभिनव, विश्वसनीय और शीघ्र जानकारी के आदान-प्रदान में ये उपयोगी सिद्ध होते हैं।

2.9.8 उपर्युक्त किसी भी प्रावधान के उल्लंघन को महात्मा गांधी नरेगा के तहत अपराध माना जाएगा, इसके लिए अधिनियम की धारा-25 का प्रावधान किया गया है।

### 3. सूचना शिक्षा संचार (आईईसी) संबंधी कार्यकलाप

3.1 आईईसी (IEC) महात्मा गांधी नरेगा के तहत सभी दस हकदारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशासन और कार्यान्वयन एजेंसी को कामगारों की हकदारी और उसकी उपलब्धता के बारे में जागृति लाने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए।

3.2 आईईसी संबंधी कार्यकलापों के लिए राज्यों/जिलों में किए गए व्यय की पूर्ति प्रशासनिक व्यय (राज्य निधियों का 6%) के लिए निर्धारित निधियों से किया जा सकता है।

3.3 महात्मा गांधी नरेगा के लिए राष्ट्रीय आईईसी कार्यनीति के अनुसार, महात्मा गांधी नरेगा के लिए सुझाए हुए मुख्य संदेश, जिन्हें विभिन्न लक्ष्य समूहों में प्रसारित किए जाने की जरूरत है, इस प्रकार हैं:

3.3.1 महात्मा गांधी नरेगा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिसके व्यस्क सदस्य अकुशल मजदूरी कार्य करने के इच्छुक हैं, को एक वित्तीय वर्ष में सौ दिन का मजदूरी रोजगार देने की गारंटी देता है, , 3.3.2 व्यक्तिक लाभार्थी उन्मुखी कार्य, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, छोटे और सीमान्त किसानों अथवा भूमि सुधारों से लाभ प्राप्त व्यक्तियों अथवा भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के तहत लाभ प्राप्त व्यक्तियों की भूमि पर शुरू किए जा सकते हैं।

3.3.3 आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने के पंद्रह दिन के अंदर अथवा काम की मांग वाले दिन, जो भी पश्चावर्ती हो, से काम उपलब्ध करा देना है।

3.3.4 आवेदन प्रस्तुत करने के पंद्रह दिन के अंदर अथवा काम की मांग करने की तारीख, जो भी पश्चावर्ती हो, से रोजगार उपलब्ध न कराए जाने के मामले में कामगारों को बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार है।

- 3.3.5 मजदूरी का भुगतान कार्य पूरा होने के पंद्रह दिन के अंदर कर देना चाहिए।
- 3.3.6 अनुमेय कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा शुरू किए जा सकते हैं।
- 3.3.7 महात्मा गांधी नरेगा के तहत महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण पर जोर है।
- 3.3.8 महात्मा गांधी नरेगा के तहत “पर्यावरण अनुकूल” और “सम्मानजनक” कार्य उपलब्ध कराया जाता है।
- 3.3.9 महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित कार्यों की सामाजिक संपरीक्षा अनिवार्य होती है। इससे जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
- 3.3.10 महात्मा गांधी नरेगा संबंधी कार्यों से जलवायु परिवर्तन संबंधी जोखिम का ध्यान रखा जाता है और इस प्रकार के जोखिमों से किसानों को सुरक्षा दी जाती है तथा प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखा जाता है।
- 3.3.11 कामगारों को अपनी बात रखने और कार्य की मांग करने के लिए ग्राम सभा/वार्ड सभा एक मुख्य मंच होता है। महात्मा गांधी नरेगा संबंधी कार्यों की सूची और उनकी प्राथमिकता तय करने की स्वीकृति ग्राम सभा/वार्ड सभा तथा ग्राम पंचायत द्वारा दी जाती है।
- 3.4 राज्यों को प्रत्येक वर्ष अपनी राज्य आईईसी योजनाएं बनाने होती हैं और नियमित समयांतराल पर मंत्रालय को रिपोर्ट भेजनी होती है।
- 3.5 बेहतर परिणामों के लिए संदेश देने में एकरूपता सुनिश्चित कि जाने की जरूरत है। कार्यक्रम के उद्देश्य के आधार पर, एक मानक संदेश का प्रचार-प्रसार राष्ट्रीय, राज्य अथवा ग्राम स्तर पर करना चाहिए।
- 3.6 राज्य में महात्मा गांधी नरेगा के आईईसी संबंधी कार्यकलापों की देखरेख करने के लिए राज्यों को राज्य आईईसी नोडल अधिकारी नामित करने होते हैं। राज्य आईईसी नोडल अधिकारियों के नाम और ब्यौरे मंत्रालय को बताने की जरूरत होती है। आईईसी संबंधी



कार्यकलापों के व्यवसायिक कार्यान्वयन के लिए राज्य दूर संचार विकास के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले दूर संचार अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं।

- 3.7 ग्रामीण विकास मंत्रालय के महात्मा गांधी नरेगा प्रभाग ने विभिन्न कार्यकलापों और स्टैकहोल्डरों के साथ हुई चर्चा संबंधी अद्यतन जानकारी के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से एक फेसबुक (एफबी) पेज तैयार किया है। इस पेज को [www.facebook.com/indiaMahatmaGandhiNREGA](http://www.facebook.com/indiaMahatmaGandhiNREGA) लिंक पर देखा जा सकता है। राज्य एफबी पेज तैयार करने और महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित ब्यौरों और फील्ड स्तर के कार्यकलापों के फोटो संबंधी अद्यतन जानकारी इन पेजों पर रखने पर विचार करें और राज्य महात्मा गांधी नरेगा वेबसाइट को राज्य के फेसबुक पेज और मंत्रालय के फेसबुक ([www.facebook.com/indiaMGNREGA](http://www.facebook.com/indiaMGNREGA)) पेज के साथ लिंक करें।
- 3.8 राज्यों को सभी प्रकार की प्रचारक सामग्रियों, रिपोर्टों, प्रेस विज्ञप्तियों आदि को अपलोड करने के लिए व्यापक रूप से वेबसाइट और फेसबुक एड्रेस का उपयोग करना होगा।
- 3.9 आईईसी कार्यकलापों के लिए रोजगार दिवस और सामाजिक संपरीक्षा को एक मुख्य यंत्र माना जाता है, जिसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को अधिकारों और हकदारी के बारे में अधिक जागरूक किया जा सकता है तथा ये शिकायत निवारण के साथ-साथ निगरानी का एक भाग हो सकता है। इन मंचों के माध्यम से योजना से संबंधित मुख्य संदेशों का प्रचार-प्रसार भी किया जा सकता है। राज्यों से रोजगार दिवस घोषित करने और मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, तैयार किए गए वार्षिक कार्यक्रम के आधार पर रोजगार दिवस मनाने के लिए कहा गया है।
- 3.10 मंत्रालय योजना के बारे में अच्छे कार्यों और जानकारी के प्रचार-प्रसार के लिए न्यूज मीडिया का उपयोग करने पर जोर देता रहा है। महात्मा गांधी नरेगा के लिए राष्ट्रीय आईईसी संबंधी कार्यनीति में एक मीडिया एडवोकेसी कार्यनीति शामिल की गई है। राज्यों को राज्य और जिला स्तर पर पत्रकारिता संबंधी अभिमुखी कार्यक्रम कराने होंगे।
- 3.11 राज्यों को विभिन्न कार्यकलापों के फोटो-दस्तावेज तैयार करने हैं और निर्धारित प्रपत्रों में फोटो ग्रामीण विकास मंत्रालय से साझा करना हैं।

#### 4. एमआईएस (नरेगा सॉफ्ट)

4.1 पारदर्शिता और जवाबदेही महात्मा गांधी नरेगा की मूल आवश्यकताएं हैं और इस अधिनियम के कार्यान्वयन से जुड़ी समस्त जानकारी को स्वयंमेव सार्वजनिक करना अनिवार्य है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मंत्रालय ने नरेगा सॉफ्ट नामक कार्य प्रवाह आधारित एवं वेब समर्थित अनुप्रयोग तैयार किया है, जो कि <http://nrega.nic.in> के रूप में पोर्टल पर उपलब्ध है। नरेगा सॉफ्ट में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन की विभिन्न प्रक्रियाओं में सभी अंतरणों का ब्यौरा दर्ज करके उसे सार्वजनिक करने का प्रावधान किया गया है। नरेगा सॉफ्ट की इस सहायक संरचना से राज्यों के लिए समय पर रिपोर्टें भेजना आवश्यक हो गया है ताकि महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन की लगभग तात्कालिक स्थिति दर्शाने वाली जानकारीयां सार्वजनिक (<http://nrega.nic.in>) की जा सकें। किसी भी वित्तीय वर्ष की एमआईएस प्रविष्टि उसी वित्तीय वर्ष के अंत (वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक) में बंद हो जाती है।

#### 4.2 ई-मस्टर रोल

4.2.1 मास्टर परिपत्र के खंड 2.2.6 में जारी किए गए अनुदेश प्रभावी रहेंगे। ई-मस्टरों के विषय में आगे दर्शाए गए कार्यकलाप किए जाने चाहिए :

4.2.2 ई-मस्टर रोल किसी कार्य स्थल के लिए आवंटित कामगारों के पहले से मुद्रित नामों के साथ नरेगा सॉफ्ट (NREGASoft) से उत्पन्न किए गये मस्टर रोल होते हैं।

4.2.3 कोई कार्य शुरू करने से पहले ग्राम पंचायत कार्यक्रम अधिकारी को सूचित करेगी ताकि वह अपेक्षित ई-मस्टर रोल जारी कर सके।

4.2.4 यदि ग्राम पंचायत से भिन्न अन्य कोई प्राधिकार इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा हो तो संबंधित ग्राम पंचायत इसकी जानकारी उस कार्यक्रम अधिकारी को देगी, जो

अपेक्षित मस्टर रोलों के साथ कार्य आदेश संबंधित परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को जारी करेगा।

4.2.5 यदि संबंधित विभाग ने कोई कार्यक्रम अधिकारी अर्थात् संबंधित विभाग का कार्यक्रम अधिकारी (एलडी) अधिसूचित किया हो तो यह कार्य संबंधित अधिकारी करेगा।

4.2.6 राज्य सरकार आदेश जारी करके यह निर्देश दे सकती है कि किसी कार्यक्रम अधिकारी के सभी या कोई भी कार्य ग्राम पंचायत या अन्य कोई स्थानीय प्राधिकार करेगा।

4.2.7 कार्यक्रम अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी (एलडी) ई-मस्टर रोलों को प्राधिकृत करके उस तारीख से तीन दिनों में ग्राम पंचायतों/अन्य कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों को जारी करेगा, जब परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियां कार्य शुरू करने की सूचना देते हैं। उन्हीं मस्टरों को भुगतान आदेश (एफटीओ) जारी करने के लिए प्राधिकृत माना जाता है जिनपर सक्षम प्राधिकारी ने हस्ताक्षर किए हों/जिन्हें प्रमाणित किया हो। जाली मस्टरों की घटनाएं रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। जारी किए जाने वाले मस्टरों का रिकार्ड रखना और उनकी निरंतर निगरानी करना अनिवार्य होगा। यदि ई-मस्टर, मस्टर रोल के नंबर सॉफ्टवेयर से उत्पन्न किए गये हो तो इन्हें सिस्टम में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

4.2.8 ई-मस्टर तैयार करने के लिए दर्ज किया जाने वाला आवश्यक ब्यौरा इस प्रकार है :

- i. पंचायत का नाम
- ii. कार्य का कोड
- iii. तारीख से तारीख तक
- iv. कामगार की श्रेणी (अकुशल या कुशल/अर्द्धकुशल)
- v. एक मस्टर रोल में शामिल कामगारों की संख्या

4.2.9 एमआईएस के मौजूदा प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत नरेगा सॉफ्ट संबंधित लॉगइन पासवर्ड से कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रमाणित/जारी किए गए ई-मस्टर रोल को मुद्रित कर सकती है।

4.2.10 पैरा 2.2.6 में प्रावधानानुसार, सक्षम प्राधिकार की की पूर्वानुमति से ही कागजी मस्टर रोल जारी किए जा सकते हैं।

### 4.3 एमआईएस माप पुस्तिका

कार्य के सभी माप सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्राधिकृत और जारी की गई माप पुस्तिका में दर्ज किए जाएंगे। इस माप पुस्तिका में दर्ज किए गए मापों को नरेगा सॉफ्ट में दर्ज किया जाना आवश्यक है, ताकि कार्य का मूल्य निर्धारित किया जा सके।

4.3.1 इस प्रयोजनार्थ की जाने वाली आवश्यक प्रविष्टियां इस प्रकार हैं :

4.3.1.1 कार्यकलाप घटक :

- क. कार्यकलाप का ब्यौरा
- ख. लंबाई
- ग. चौड़ाई
- घ. ऊंचाई
- ड. इकाई लागत

कुल लागत का परिकलन सिस्टम द्वारा किया जाएगा।

4.3.1.2 मजदूरी घटक

4.3.1.3 सामग्री घटक

- क. सामग्री का नाम
- ख. मात्रा
- ग. इकाई मूल्य
- घ. कुल (स्वतः परिकलित)
- ड. मेट का नाम, इंजीनियर का नाम और इंजीनियर का पदनाम

तत्पश्चात मात्रा का परिकलन सिस्टम द्वारा किया जाएगा।

4.3.2 राज्यों से कहा गया है कि वे माप पुस्तिका की प्रविष्टियां एमआईएस में करने को अनिवार्य बनाएं।

5. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना (ICT)

## 5.1 मोबाइल निगरानी सिस्टम (एमएमएस)

नरेगा सॉफ्ट को मोबाइल इंटर फेस उपलब्ध कराने की परियोजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य कार्य स्थलों संबंधी आकड़ों, डाटा बेस के तत्काल अद्यतनीकरण, आसानी से सत्यापन एवं पूर्णपारदर्शिता के लिए जीयो टैगिंग से परिसंपत्तियों के स्थान के निर्धारण से ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना है। इस योजना की पात्रता मांग, उपस्थिति और कार्यों के माप तथा मस्टरों/मापों की जांच के लिए सभी प्राधिकृत कार्यान्वयन कर्मियों एवं पर्यवेक्षकों के लिए होगी। मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 35 हजार मोबाइल डिवाइस स्वीकृत किए हैं। राज्यों से कहा गया है कि वे इस योजना के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त उपाय करें।

### 5.1 भूमिका पर आधारित मॉडल :

5.1.1 मांग दर्ज करने, कार्य स्थल पर कार्य के आवंटन और उपस्थिति के लिए जिम्मेदार ग्राम पंचायत कर्मों की आवश्यकताओं के अनुसार इस एमएमएस अनुप्रयोग को कस्टमाइज किया जाएगा। आमतौर पर ये जिम्मेदारियां ग्राम रोजगार सहायक (जीआरएस) की होती हैं।

5.1.2 इसके अतिरिक्त माप संबंधी आकड़ों की प्रविष्टियां करने की जिम्मेदारी तकनीकी कर्मचारी (तकनीकी सहायकों) की होगी।

5.1.3 राज्यों से अपेक्षित है कि वे इस मॉड्यूल से कर्मियों की भूमिकाओं की मैपिंग करें।

### 5.2 एमएमएस मॉड्यूल :

5.2.1 एमएमएस योजना के अनुसार राज्यों के लिए 8 मॉड्यूल इस प्रकार होंगे :

- क. कार्यों के फोटो लेना
- ख. मांग का पंजीकरण
- ग. कार्य का आवंटन

- घ. ई-मस्टर तैयार करना
- ड. दैनिक उपस्थिति
- च. माप
- छ. माप की जांच
- ज. आधार नंबर की सीडिंग

5.2.2 राज्यों से कहा गया है कि वे पहले चरण में आगे दर्शाए गए 4 मूल मॉड्यूलों को कार्यान्वित करें :

- क. मांग का पंजीकरण
- ख. कार्य का आवंटन
- ग. दैनिक उपस्थिति
- घ. कार्यों/परिसंपत्तियों के फोटो

मांग और फोटोग्राफ को फिलहाल इस्तेमाल किए जा रहे सभी विकल्पों से दर्ज किया जाता रहेगा।

5.3 स्थानों का निर्धारण :

5.3.1 ग्राम पंचायतों को चिन्हित करने की कार्यनीति अपनाई जा सकती है, ताकि राज्यों द्वारा चयनित अतिरिक्त मॉड्यूलों की पूर्ति हो सके और एमएमएस के अंतर्गत इनका प्रभावी कार्यान्वयन किया जा सके। ऐसी सभी ग्राम पंचायतों और एमएमएस मॉड्यूलों के लिए नरेगा सॉफ्ट के माध्यम से ऑनलाइन प्रविष्टि बंद कर दी जाएगी।

5.3.2 यदि किन्हीं स्थानों - ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों (गैर-आईपीपीई स्थानों सहित) पर इंटरनेट कनेक्टिविटी के आवश्यकता हेतु एमएमएस की आवश्यकता हो तो राज्य डाटा बेस नियंत्रक (डीबीए) नरेगा सॉफ्ट से एकबारगी उपाय के रूप में उन स्थानों में बदलाव कर सकता है।

5.3.3 राज्य डाटा बेस नियंत्रक को नरेगा सॉफ्ट में चयनित एमएमएस स्थान में कार्यान्वयन की तारीखों की घोषणा करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

5.3.4 किसी स्थान के एमएमएस स्थान के रूप में घोषित होने और कार्यान्वयन की तारीख नरेगा सॉफ्ट में दर्ज कर दिए जाने के बाद चार मूल मॉड्यूलों या इन चारों के अतिरिक्त चयनित मॉड्यूलों के लिए नरेगा सॉफ्ट के ऑनलाइन वर्जन से आकड़ों की प्रविष्टि डिसेबल कर दी जाएगी।

5.3.5 राज्य जिन अतिरिक्त मॉड्यूलों को कार्यान्वित करना चाहे उन मॉड्यूलों को नरेगा सॉफ्ट में चिह्नित किया जाना होगा। इसके बाद राज्य में उन चयनित स्थानों के लिए ऐसे सभी मॉड्यूल चालू (enable) हो जाएंगे।

#### 5.4 वीएसएटी के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी

मंत्रालय ने 468 स्थानों पर वीएसएटी के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी की परियोजना अनुमोदित कर दी है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे वीएसएटी के क्रियान्वयन में तेजी लाएं। यदि पहले से निर्धारित वीएसएटी स्थान में बदलाव की अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न हो जाए तो राज्य उस स्थान में बदलाव तभी कर सकेंगे जब उस स्थान पर वीएसएटी न लगाई गई हो और इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध न हो। ऐसे सभी मामलों में नए स्थानों पर स्थानांतरण की लागत महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत प्रशासनिक शीर्ष में केवल एक बार दर्ज की जाएगी।

#### 6. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और आधार प्लेटफार्म

6.1 महात्मा गांधी नरेगा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत सभी भुगतान बैंक/डाकघरों में खोले गए कामगारों के खातों में जमा किए जाते हैं बशर्ते की विशेष परिस्थितियों में मंत्रालय ने इस प्रावधान से छूट न दी हो। यह अंतरण या तो बैंक/डाकघर खातों के ब्यौरे से या लाभार्थी के आधार नंबर से जुड़े खाते से किए जा सकते हैं।

6.2 राज्य एमआईएस में कामगारों के खातों के ब्यौरे का नियमित रूप से अद्यतनीकरण कर रहे हैं, लेकिन आधार आधारित भुगतान (एबीपी) करने के उद्देश्य से आधार सीडिंग और इसकी भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) मैपर में मैपिंग किया जाना आवश्यक है। आधार नंबर का इस्तेमाल माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार किया जाएगा।

6.3 महात्मा गांधी नरेगा की पात्रताएं प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों के पास आधार नंबर होना अनिवार्य नहीं है। उससे पहले कि महात्मा गांधी नरेगा लाभार्थी क्षेत्रीय कर्मियों को अपना आधार नंबर तथा उसके उपयोग की सहमति दे, क्षेत्रीय कर्मियों द्वारा उसे (1) आधार नामांकन (2) कार्यक्रम और बैंक के डाटा बेस में सीडिंग और (3) आधार आधारित भुगतान (एबीपी) पाने के लाभ समझाने चाहिए।

#### 6.4 डीबीटी कार्यनीति

सभी महात्मा गांधी नरेगा जिलों में डीबीटी को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली डीबीटी कार्यनीति इस प्रकार होगी :

6.4.1 सभी महात्मा गांधी नरेगा जिलों में सभी सक्रिय कामगारों के आधार नंबरों की सीडिंग करना।

6.4.2 कार्यक्रम अधिकारी द्वारा यूआईडी आकड़ों से जनसांख्यिकी अधिप्रमाणन विफल होने वाले सभी आधार नंबरों का वास्तविक सत्यापन किया जाना।

6.4.3 सभी सक्रिय कामगारों के खातों का ब्यौरा संबंधित बैंक/डाकघर को भेजकर उन खातों का सत्यापन एवं पुष्टि करना।

6.4.4 बैंक/डाकघर खातों में सत्यापित आधार नंबर की सीडिंग करना और उन्हें एनपीसीआई मैपर में दर्ज करना, जिसके बाद आधार आधारित भुगतान किए जाएंगे।

#### 6.5 खातों को आधार आधारित भुगतानों (एबीपीएस) में बदलने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया

6.5.1 नरेगा सॉफ्ट डाटाबेस में आधार की सीडिंग : सभी कामगारों को स्वेच्छा से आधार में नामांकन कराने का अवसर दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया जा सकता है कि सभी सक्रिय कामगारों से संपर्क किया जाए, उनकी अनुमति ली जाए और उसके बाद आधार में उनका नामांकन किया जाए (यदि ऐसा अब तक न किया गया हो)। इस प्रकार नामांकित किए गए सभी सक्रिय कामगारों के आधार नंबरों की सीडिंग डाटा बेस में की जानी चाहिए। साथ में उपलब्ध ब्यौरे के सत्यापन के बाद इन आकड़ों को दर्ज करने की जिम्मेदारी



ब्लॉक/ग्राम पंचायत कार्यालय में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों को दी जाएगी। इन आकड़ों की प्रविष्टि की प्रगति दैनिक आधार पर वेबसाइट पर दर्शायी जाएगी और साथ ही इसकी जानकारी जिला कार्यक्रम समन्वयकर्ताओं को भी दी जाएगी।

6.5.2 जिला स्तरीय अभियान की अगुवाई जिला कार्यक्रम समन्वयकर्ता करेंगे। राज्य सरकार जिला कार्यक्रम समन्वयकर्ताओं से अपेक्षित कार्य उन्हें समझाने के लिए अभिमुखीकरण सत्र का आयोजन करेगी।

6.5.3 ब्लॉक स्तर पर इस अभियान के प्रभारी अधिकारी ब्लॉक विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी (बीडीओ/कार्यक्रम अधिकारी) होंगे। यह अभियान चलाने के लिए ब्लॉक विकास अधिकारी को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम समन्वयक की होगी।

6.5.4 ब्लॉक विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी आधार नंबर एकत्र करने का कार्य संबंधित ग्राम रोजगार सेवक को सौंपेंगे।

6.5.5 नरेगा सॉफ्ट पर ग्राम-वार रिपोर्ट उपलब्ध है, जिसमें उन सक्रिय कामगारों के नामों की सूची दर्शायी जायेगी, जिनके आधार नंबर डाटा बेस में दर्ज नहीं हुए हैं। ब्लॉक विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस सूची को मुद्रित करके ग्राम रोजगार सेवक को उपलब्ध कराया जाए। यह पूरी प्रक्रिया स्वेच्छिक और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार होगी।

6.5.6 ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सेवक ही कामगारों के आधार नंबर एकत्र करेगा, जिन्होंने अपनी सहमति दी है।

क. यह कार्य शुरू करने के लिए ब्लॉक स्तर पर ग्राम रोजगार सेवकों के लिए उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यशाला के दौरान ग्राम रोजगार सेवकों को यह कार्य समझाया जाएगा और उन सक्रिय कामगारों के नामों की सूची भी दी जाएगी, जिनके आधार नंबर डाटा बेस में उपलब्ध नहीं है।

ख. ग्राम रोजगार सेवक आधार लेटर या आधार कार्ड की छाया प्रति के साथ आधार नंबर एकत्र करेगा, ताकि आकड़ों की प्रविष्टि से पहले ब्लॉक स्तर पर उनकी तुलना की जा सके।

- ग. यह कार्य संतोषजनक करने की जिम्मेदारी ग्राम रोजगार सेवक की होगी।
- घ. हर सप्ताह के अंत में ग्राम रोजगार सेवक सप्ताह के दौरान एकत्र किए गए आधार नंबरों की सूची के साथ अपनी रिपोर्ट ब्लॉक कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। यह कार्य पूर्ण होने तक साप्ताहिक बैठकों का आयोजन किया जाता रहेगा।

6.5.7 कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा अधिप्रमाणन विफल हो जाने की स्थिति में वास्तविक सत्यापन : मंत्रालय यूआईडीएआई (UIDAI) द्वारा नियुक्त अधिप्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसी - अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी की सहायता से नरेगा सॉफ्ट में दर्ज किए गए आधार आकड़ों का जनसांख्यिकीय अधिप्रमाणन करके यह सुनिश्चित करता है कि दर्ज किए गए आधार नंबर सही हैं। जहां कहीं आधार नंबरों के साथ दर्ज किए गए रिकार्ड का जनसांख्यिकीय अधिप्रमाणन विफल हो जाए वहां कार्यक्रम अधिकारी या किसी अन्य वरिष्ठ कर्मी को गलतियों की वास्तविक जांच करनी होती है। यह कार्य कामगारों के आधार लेटरों की वास्तविक जांच करके भी किया जा सकता है। एमआईएस में सत्यापन के लिए प्रतीक्षारत/लंबित मामलों की रिपोर्ट उपलब्ध है। ऐसे नंबरों की सूची प्रत्येक कार्यक्रम अधिकारी के लॉगइन में उपलब्ध कराई गई है। सक्रिय कामगारों का यह सत्यापन पूरा करने की जिम्मेदारी कार्यक्रम अधिकारी की होगी। यह कार्य नियमित आधार पर किया जाए।

6.6 खाता फ्रीज (freeze) करने का अभियान : कार्यक्रम अधिकारी उन सभी बैंक खातों का सत्यापन बैंकों/डाकघरों से कराकर उनकी पुष्टि ऑनलाइन डाटाबेस में करेगा, जिन खातों में भुगतान किए जा रहे हैं। इस कार्य के बिना कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी खातों की सूची कार्यक्रम अधिकारी के लॉगइन में उपलब्ध कराई गई है, जिनकी पुष्टि की जानी है (फ्रीज किए हैं) और बैंक/डाकघर-वार सूची मुद्रित की जा सकती है।

6.7 ब्लॉक स्तर पर बैंक खातों की सीडिंग बैंक/डाकघर के रिकार्ड में दर्ज किए जाने वाले सत्यापित आधार नंबरों की सूची के साथ संबंधित बैंक/डाकघर से संपर्क करने की जिम्मेदारी प्रत्येक कार्यक्रम अधिकारी की होगी। इन रिकार्डों की बैंक/डाकघर-वार सूची कार्यक्रम अधिकारी के लॉगइन में उपलब्ध कराई गई है। कार्यक्रम अधिकारी को हस्ताक्षर करके यह सूची बैंक/डाकघर को प्रस्तुत करनी होगी। तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि वे बैंक/डाकघर अपने कोर बैंकिंग सिस्टम तथा एनपीसीआई मैपर, दोनों में ऐसे रिकार्ड को दर्ज करने का कार्य संपन्न करें।

6.8 आधार भूगतान ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) : एपीबीएस कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) प्लेटफार्म पर उपलब्ध बैंक खातों के संबंध में ही कार्य करता है। इस सिस्टम के अंतर्गत सभी अंतरण इलेक्ट्रॉनिक और लगभग तत्काल किए जाते हैं। भुगतान आदेश अंतरित होते ही एनपीसीआई इन भुगतानों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक कार्रवाइयां करते हुए प्रेषक के खाते से धनराशि निकालकर लाभार्थी के खाते में जमा कर देता है और रिस्पांस फाइल 24 घंटे में भेज देता है। यह सिस्टम देरी के मामलों को समाप्त करने और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने में सक्षम है।

6.9 मंत्रालय ने आगे दर्शाए गए कार्य पूर्ण करने वाला एपीबीएस शुरू करने के लिए केंद्रीय सर्वर के माध्यम से पूर्णतः स्वचालित सिस्टम स्थापित किया है।

6.9.1 डाटा बेस में आधार नंबर दर्ज कर लिए जाने के बाद सर्वर स्वतः 7 दिनों की अवधि में यूआईडी डाटा बेस से इसकी जांच करता है और पुष्टि वाले रिकार्ड को अस्वीकृत रिकार्ड से अलग करेगा।

6.9.2 अस्वीकृत रिकार्ड स्वतः कार्यक्रम अधिकारी को इस अनुरोध के साथ भेजा जाएगा कि वह क्षेत्रीय स्तर पर इसकी पुनः जांच करे।

6.9.3 पुष्टि वाले सभी रिकार्ड बैंक रिकार्ड में दर्ज किए जाने के लिए डिजिटल अधिप्रमाणन के बाद बैंकों को भेजे जाते हैं।

6.9.4 बैंक सीडिंग करके इन आकड़ों को एनपीसीआई मैपर पर दर्ज करते हैं।

6.9.5 मैपर की जांच के बाद बैंक डाटा बेस में आधार से मैप किए गए खातों को एपीबी सिस्टम में परिवर्तित किया जाता है।

6.10 प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) खाते - महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सभी भुगतान लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते के माध्यम से किए जाते हैं, बशर्ते की इस प्रावधान से छूट न दी गई हो। राज्यों से कहा गया है कि वे उन कामगारों के खाते खोलने के लिए बैंकों से समन्वय करें, जिनके बैंक खाते नहीं हैं और महात्मा गांधी नरेगा कामगारों के मौजूदा खातों को प्राथमिकता के आधार पर पीएमजेडीवाई खातों में परिवर्तित कराएं।

7. महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत वित्त पोषण

## 7.1 निधियों का अंतरन

महात्मा गांधी नरेगा की धारा 22 में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत वित्तपोषण पद्धति के फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है।

7.1.1 एनईएफएमएस के प्रभावी होने तक राज्यों/सं.रा.क्षेत्रों को स्वीकृत श्रम बजट (एलबी) और वर्ष के दौरान उनके निष्पादन के आधार पर निधियां आमतौर पर दो किस्तों में अंतरित की जाती हैं।

7.1.2 राज्यों/जिलों को पहली किस्त अप्रैल माह में अंतरित की जाती है। पहली किस्त की राशि श्रम बजट में वर्ष के पहले 6 महीनों (सितंबर तक) के लिए राज्य/सं.रा.क्षे. द्वारा अनुमानित श्रमदिवसों की संख्या पर आधारित होती है। तथापि यह राशि श्रम बजट में स्वीकृत कुल श्रम दिवसों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। जिलों/राज्यों के पास उपलब्ध अप्रयुक्त शेष राशि के समायोजन और लंबित देनदारियां, यदि कोई हो, के विचारोपरान्त ही प्रथम किस्त अंतरित की जाती है।

### 7.1.3 पहली किस्त

7.1.3.1 मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा राज्य के श्रम बजट की जांच व उसे स्वीकृत कर लिए जाने के बाद राज्य सरकार श्रम संबंधी मांग के जिला-वार और माहवार अनुमान तैयार करेगी। इसी जानकारी के आधार पर महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत निधियों की आवश्यकता का अनुमान नरेगा साफ्ट लगाएगा।

7.1.3.2 पहली किस्त का अनुमान वित्तीय वर्ष के शुरूआती 6 महीनों के लिए आवश्यक निधियों या राज्य/सं.रा.क्षे. के लिए स्वीकृत श्रम बजट के 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, पर आधारित होता है और एमआईएस के अनुसार राज्य/सं.रा.क्षे. के पास उपलब्ध प्रारंभिक शेष इसमें से घटाया जाता है। लंबित देनदारी पर भी विचार किया जाएगा।

7.1.3.3 चूंकि निधि का अंतरन एमआईएस रिपोर्टों के आधार पर किया जाता है इसलिए यह आवश्यक है कि समस्त व्यय का ब्यौरा नरेगा सॉफ्ट में दर्ज किया जाए। नरेगा साफ्ट में व्यय का ब्यौरा दर्जन न किए जाने से प्रारंभिक शेष की राशि

वास्तव उपलब्ध राशि से अधिक हो जाएगी तथा पहली किस्त की राशि उतनी मात्रा में कम हो जायेगी।

7.1.3.4 श्रम बजट में प्रस्तावित कार्यों का ब्यौरा इस साफ्टवेयर में दर्ज किया जाना चाहिए और ये कार्य परियोजनाओं की अनुमोदित सूची में से होने चाहिए।

7.1.3.5 राज्य निधि को पहली किस्त आगे दर्शाए गए प्रमाणपत्र/दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर ही अंतरित की जाती है :

- क. इस आशय का प्रमाणपत्र की वित्तीय वर्ष 2014-15 से पहले के वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के सभी जिलों के खातों की जांच व निपटान कर दिया गया है।
- ख. महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सभी लेखा परीक्षा परिच्छेदों के निपटान का प्रमाणपत्र।
- ग. राज्य को भेजी गई शिकायतों पर की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट।
- घ. राज्य/जिलों में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन के विषय में समय-समय पर जारी किए गए मंत्रालय के स्पष्टीकरणों/सुझावों/सलाह/टिप्पणियों के संतोषजनक अनुपालन का प्रमाणपत्र।
- ङ. वर्ष के दौरान निधियों के दुरुपयोग/दुर्विनियोजन का कोई मामला नहीं पाया गया।
- च. एसईजीएफ के केंद्रीय अंश की पहली किस्त की अंतरित के लिए पूर्वापेक्षाओं/अपेक्षित दस्तावेजों की विस्तृत जांच सूची (वर्ष 2013 के प्रचालन दिशा-निर्देशों का अनुबंध 23)।

7.1.3.6 राज्य निधि ने केंद्रीय अंश और तदनुरूप राज्य के अंश की प्राप्ति के बाद, आवश्यकता के निर्धारण और जिलों के पास उपलब्ध निधियों के आधार पर निधियां राज्य द्वारा राज्य निधि से जिलों/पंचायतों को अंतरित की जाएंगी। तथापि यदि राज्य भुगतानों के लिए केंद्रीयकृत ई-एफएमएस निधि का प्रयोग कर रहा हो तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि सभी कार्यान्वयन एजेंसियां इसी केंद्रीयकृत निधि से निधियों का आहरण करेंगी।

7.1.3.7 यदि राज्य सरकार को जिलों/पंचायतों को निधियों का अंतरण करना हो तो ऐसा करते समय अपेक्षित सावधानी बरती जानी चाहिए। यदि इन निकायों को आवश्यकताओं से अधिक निधि अंतरित कर दी गई तो राज्य सरकार के पास उपलब्ध अप्रयुक्त शेष की राशि ज्यादा बनी रहेगी, जिससे दूसरी किस्त की

अंतरित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि दूसरी किस्त के प्रस्ताव पर कार्रवाई करने से पहले राज्य के पास उपलब्ध निधियों में से 60 प्रतिशत को खर्च किया जाना अपेक्षित है।

7.1.4 दूसरी किस्त का अंतरन: राज्य द्वारा प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किए जाने और सभी निर्धारित शर्तों की पूर्ति किए जाने पर दूसरी किस्त अंतरित की जाती है। जिले/राज्य द्वारा कुल उपलब्ध निधियों में से 60 प्रतिशत का उपयोग कर लिए जाने के बाद यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि दूसरी किस्त का प्रस्ताव 1 अक्टूबर के बाद प्रस्तुत किया जाता है तो पिछले वर्ष की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की भी आवश्यकता होगी। दूसरी किस्त के अंतर्गत अंतरित की जाने वाली निधियों की राशि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के निष्पादन पर निर्भर करती है।

#### 7.1.5 दूसरी किस्त

7.1.5.1 राज्य अपने पास उपलब्ध कुल निधियों में से 60 प्रतिशत का उपयोग कर लेने और महात्मा गांधी नरेगा में यथानिर्धारित पूर्वापेक्षाओं का अनुपालन कर लेने के बाद ही दूसरी किस्त का समेकित प्रस्ताव मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा।

7.1.5.2 इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है कि वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यक्रम की किसी भी निधि का विपथन नहीं किया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाना चाहिए कि महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत निधियों का कोई भी गबन या [दुरुपयोग](#) नहीं किया गया और यदि ऐसा कुछ हुआ हो तो दोषियों को दंडित करने तथा गबन या [दुरुपयोग](#) की राशि की वसूली करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं।

7.1.5.3 यदि राज्य वित्तीय वर्ष में 30 सितंबर के बाद दूसरी किस्त के अंतरन का पात्र हो तो वह राज्य इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि राज्य में सभी जिलों से लेखा परीक्षा रिपोर्टें (एआर) और उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) प्राप्त हो गए हैं तथा सभी प्रकार से पूर्ण पाए गए हैं। समेकित लेखा परीक्षा रिपोर्ट भी उस प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

7.1.5.4 यदि पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में कोई देनदारी लंबित हो तो उसे पिछले वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के तुलनपत्र में देनदारी के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।

7.1.5.5 प्रस्ताव के साथ संलग्न किए गए उपयोग प्रमाणपत्र में राज्य के अग्रिम द्वारा लिए गए ऋणों को भी लंबित देनदारी के रूप में दर्शाया जाए।

7.1.5.6 निधि के अंतरन के प्रस्ताव के साथ इस आशय का प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि लेखा परीक्षक की सभी लंबित लेखा परीक्षा टिप्पणियों का अनुपालन कर लिया गया है।

7.1.5.7 केंद्रीय अंश की दूसरी किस्त की रिलीज के लिए पूर्वापेक्षाओं/दस्तावेजों की जांच सूची (वर्ष 2013 के प्रचालन दिशा-निर्देशों का अनुबंध 27)

7.1.6 वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कुल व्यय के अधिकतम 6 प्रतिशत का उपयोग प्रशासनिक खर्चों के रूप में किया जा सकता है।

7.2 शिकायतों के विषय में मानक प्रचालन प्रक्रियाएं

महात्मा गांधी नरेगा की धारा 27(2) में यह कहा गया है कि 'इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के अभाव या इस अधिनियम के अंतर्गत दी गई निधियों के अनुचित उपयोग के विषय में कोई शिकायत प्राप्त होने पर केंद्र सरकार आवश्यक होने पर उस शिकायत की जांच का आदेश दे सकती है और केंद्र सरकार द्वारा यथापरिभाषित यथोचित समयावधि में समुचित कार्यान्वयन के लिए कोई उपयुक्त उपाय शुरू न किए जाने पर इस योजना की निधियों की रिलीज रोकने का आदेश देगी।'

इस अधिनियम की धारा 23 में दिए गए जवाबदेही संबंधी प्रावधानों के साथ पठित धारा 27 (2) के प्रावधानों को लागू करने की मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) आगे दर्शाए गए तरीके से लागू की जाएगी :

मंत्रालय का महात्मा गांधी नरेगा प्रभाग मंत्रालय को प्राप्त सभी शिकायतों की जांच करेगा और इन्हें आगे दर्शाई गई श्रेणियों में वर्गीकृत करेगा :-

7.2.1 याचिकाएं - योजना के कार्यान्वयन के विषय में सामान्य/गैर-विशिष्ट विवरण तथा योजना में सुधार के विषय में सामान्य टिप्पणियां/सुझाव इस श्रेणी में आएंगे। इनमें शामिल विषय इस प्रकार होंगे :

- क. काम के दिनों की संख्या बढ़ाना
- ख. मजदूरी दर बढ़ाना
- ग. कार्य की नई श्रेणियां शामिल करना इत्यादि ।

7.2.2 दिशा-निर्देशों के प्रक्रिया संबंधी उल्लंघन के विषय में शिकायतें - क्षमता विकास के अभाव, कर्मचारियों की कमी, आयोजना के अभाव इत्यादि जैसी कमियों के कारण होने वाली अनियमितताएं इस श्रेणी में आएंगी। इनमें कार्यों के समापन में देरी जैसे वे आरोप शामिल होंगे जिनका कोई आपराधिक उद्देश्य न हो।

7.2.3 अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन न किए जाने से संबंधित शिकायतें - इस श्रेणी में अधिनियम के मुख्य प्रावधानों का बड़े पैमाने पर और लंबे समय तक कार्यान्वयन न किए जाने से संबंधित शिकायतें शामिल होंगी। इनमें शामिल विषय इस प्रकार होंगे :

- क. कार्यों के चयन में ग्राम सभा/वार्ड सभा को शामिल न किया जाना
- ख. सामाजिक संपरीक्षाएं न कराया जाना
- ग. मजदूरी के भुगतान में देरी

7.2.4 वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित शिकायतें - राजकोष की संभावित या वास्तविक क्षति से संबंधित कोई ऐसा आरोप जिसमें आपराधिक उद्देश्य शामिल हो, इस श्रेणी में आएगा। इनमें शामिल विषय इस प्रकार होंगे :

- क. इस योजना को अनुचित क्षति पहुँचाने या किसी अन्य पक्ष को अनुचित लाभ देने के उद्देश्य से लागू वित्तीय प्रक्रियाओं का अनुपालन किए बिना सामग्री खरीदना।
- ख. जाली मस्टर रोल, नकली प्रविष्टियाँ इत्यादि सहित जाली वित्तीय रिकार्ड तैयार करके निधियों का गबन/ [दुरुपयोग](#) करना।

7.2.5 श्रेणी (1) से संबंधित मामले राज्य सरकार को न भेजे जाएं और मंत्रालय ही इस अधिनियम, नियमों और सरकार की स्वीकृत नीति के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई करेगा।



7.2.6 श्रेणी (2) और श्रेणी (3) से संबंधित मामले प्राप्त होने से 15 दिनों की अवधि में राज्य सरकार को भेजे जाएंगे। संबंधित राज्य सरकार से कहा जाएगा कि वे भारत सरकार से उस मामले की जानकारी प्राप्त होने की तारीख से 3 महीनों की अवधि में मामले की जांच के परिणामों के आधार पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट का ब्यौरा प्रस्तुत करें।

7.2.7 श्रेणी (4) से संबंधित मामले 15 दिनों की अवधि में राज्य सरकार को भी इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे कि शिकायतें प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने में की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। तथापि मंत्रालय इन शिकायतों की गंभीरता के अनुसार 3 महीने की इस अवधि को उतना कम कर सकता है जितना कि वह की गई कार्रवाई रिपोर्ट की प्रस्तुति के लिए उपयुक्त समझे। विकल्प के रूप में मंत्रालय केंद्रीय टीम, आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता या किसी तीसरे पक्ष से जांच कराने के लिए भी शिकायत को उपयुक्त मान सकता है। ऐसे सभी मामलों में जहां वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि हो जाए आगे दर्शाए गए उपाय अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किए जाएंगे :

7.2.7.1 गबन/[दुरुपयोग](#) की गई निधि की राशि इत्यादि की वसूली करना

7.2.7.2 दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराना

7.2.7.3 दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की जाए।

7.2.7.4 निर्वाचित पदाधिकारियों के संबंध में : (i) राज्य पंचायती राज अधिनियम या अन्य किसी संगत राज्य अधिनियम के अधीन अपात्र घोषित किए जाने/कार्यकाल की समाप्ति/ निधियों की वसूली की कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए और (ii) यदि विधिवत प्रक्रिया के बाद कोई वसूली देय हो तो औपचारिक वसूली प्रमाणपत्र या लिखित आदेश जारी करके वसूली का आदेश दिया जाना चाहिए।

7.2.8 यदि श्रेणी (4) से संबंधित मामलों में भारत सरकार के निर्देशों पर राज्य सरकार कार्यवाही न कर पाए तो भारत सरकार सचिव (ग्रामीण विकास) के अनुमोदन से इस अधिनियम की धारा 27(2) के अनुसार निधियां रोके जाने सहित उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्णय ले सकती है।

7.2.9 राज्यों में शिकायत प्रकोष्ठों की स्थापना

7.2.9.1 महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित सभी शिकायतों की जांच करने के लिए राज्य सरकारों को शिकायत प्रकोष्ठों की स्थापना करनी चाहिए।

7.2.9.2 महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन के विषय में शिकायत करने वालों या जांच टीमों के अधिकारियों को अपने राजकीय दायित्वों का निर्वहन करने से रोकने के लिए उनके विरुद्ध बल प्रयोग करने, धमकी देने या इसी प्रकार की अन्य कोई कार्रवाई करने की घटना प्रकाश में आने पर संबंधित राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी होगी की वह निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित करे :

क. सरकारी धनराशि के दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार के अन्य मुद्दों के विषय में अलग से आपराधिक मामले दर्ज करने के साथ-साथ हिंसक कार्यों, धमकी दिए जाने और दबाव डाले जाने के मामलों में तत्काल दांडिक कार्यवाही शुरू की जानी चाहिये।

ख. जिला प्रशासन शिकायतकर्ताओं तथा उनके परिवार के सदस्यों और विशेष लेखा परीक्षा/सामाजिक संपरीक्षा टीम के सदस्यों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराए जाये।

ग. संबंधित ब्लॉक/मंडल में राज्य सरकार विशेष सामाजिक संपरीक्षा एक टीम से कराए और उस टीम के निष्कर्षों के आधार पर तत्काल वित्तीय वसूलिया सुनिश्चित करने के उपयुक्त उपाय करे।

7.2.10 उपर्युक्त सूची में दर्शायी गई विस्तृत प्रक्रिया के बावजूद, जोकि मंत्रालय को प्राप्त होने वाली शिकायतों और आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्यों को भेजी जाने वाली शिकायतों पर कार्रवाई करने से संबंधित है, इस अधिनियम की अनुसूची-1 के पैरा 29 के उपबंध कार्यक्रम अधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक या राज्य सरकार को सीधे प्राप्त होने वाली शिकायतों पर लागू होंगे।

8. महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कौशल विकास : प्रोजेक्ट फॉर लाइवलिहुड इन फुल इम्प्लोयमेंट (प्रोजेक्ट लाइफ - महात्मा गांधी नरेगा)

8.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के लिए स्थायी आजीविकाओं का विकास करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत प्रोजेक्ट फॉर लाइवलिहुड इन फुल इम्प्लोयमेंट (प्रोजेक्ट लाइफ - महात्मा गांधी नरेगा) तैयार की गई है, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के कौशल विकास कार्यक्रमों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

(एनआरएलएम) और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के उद्यमी विकास कार्यक्रमों की सफलता को ध्यान में रखा गया है।

8.2 इस परियोजना का उद्देश्य महात्मा गांधी नरेगा कामगारों में आत्मनिर्भरता और कौशलों को बढ़ावा देना तथा उन्हें आत्मविश्वासी, पूर्णरोजगार प्राप्त/स्वावलंबी व्यक्ति एवं उद्यमी बनाना है।

8.3 इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए जो कार्यनीति अपनाई जाएगी वह इस प्रकार है :

8.3.1 इस परियोजना में अपनी आजीविका के लिए महात्मा गांधी नरेगा पर अधिकांशतः रूप से निर्भर परिवारों के युवाओं का निर्धारण करके उनका कौशल विकास/उनकी आजीविकाओं में सुधार एनआरएलएम (NRLM) एवं डीडीयू-जीकेवाई (DDU-GKY) के अभिसरण से किया जाएगा।

8.3.2 पिछले वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कम से कम 15 दिनों का कार्य संपन्न करने वाले सदस्यों वाले ग्रामीण परिवारों के 18-35 वर्ष की आयु के युवा (महिलाओं, अत्यधिक गरीब जनजातीय समूहों, विकलांग व्यक्तियों, ट्रांसजेंडर, अ.जा./अ.ज.जा और अन्य विशेष समूहों के मामले में 45 वर्ष) आजीविका कार्यकलापों में शामिल किए जाने के पात्र होंगे। उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का काम संपन्न किया हो।

8.3.3 नरेगा सॉफ्ट पर उपलब्ध जानकारियों के आधार पर अभ्यर्थियों का निर्धारण किया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण पाने को इच्छुक, कौशल विकास प्रशिक्षण की आवश्यकता/कौशल विकास संबंधी वरीयता, लक्षित युवाओं के मौजूदा कौशलों से संबंधित जानकारियां नियमित सर्वेक्षणों इत्यादि के माध्यम से एकत्रित की जाएंगी।

8.3.4 मुख्यतः तीन श्रेणियों के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा, जो कि इस प्रकार हैं:

8.3.4.1 रोजगार के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण

8.3.4.2 स्व-रोजगार के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण

8.3.4.3 आजीविका का उन्नयन

8.3.5 सर्वेक्षण कराना राज्यों के महात्मा गांधी नरेगा आयुक्तों की जिम्मेदारी होगी। महात्मा गांधी नरेगा आयुक्त सर्वेक्षण के परिणाम की जानकारी औपचारिक ढंग से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) को आगे दर्शायी गई तीन सूचियों के रूप में देंगे:

8.3.5.1 मजदूरी रोजगार के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु इच्छुक युवाओं की सूची

8.3.5.2 स्व-रोजगार के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु इच्छुक युवाओं की सूची और

8.3.5.3 आजीविका के उन्नयन हेतु इच्छुक परिवारों की सूची

8.3.6 जिन राज्यों में एसआरएलएम में कौशल विषय के रूप में शामिल नहीं है उन राज्यों में मजदूरी रोजगार के लिए कौशल विकास की सूची राज्य के राज्य नोडल कौशल विकास मिशन (एसएनएसएम)/उस राज्य की उक्त एजेंसी को दी जाएगी, जिसे राज्य ने ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास का कार्या सौंप दिया हो।

8.3.7 एक सर्वेक्षण पहले ही कराया जा चुका है और इसमें एकत्र की गई जानकारीयां राज्य कौशल विकास योजना का आधार होंगी।

8.3.8 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) इस परियोजना की समग्र कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियां होंगी। एसआरएलएम राज्य कौशल विकास योजनाएं तैयार करेंगे जिनमें उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी की 3 पृथक-पृथक योजनाएं शामिल होंगी।

8.3.9 जिन राज्यों में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में कौशल विकास शामिल नहीं है, उन राज्यों में रोजगार के लिए कौशल विकास योजना को राज्य नोडल कौशल विकास मिशन (एसएनएसएम) तैयार करेंगे तथा अन्य दो श्रेणियों अर्थात् स्व-रोजगार के लिए कौशल विकास तथा आजीविका का उन्नयन की योजनाएं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) तैयार करेगा।

8.3.10 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM)/राज्य नोडल कौशल विकास निगम(SNSM) पहले से स्थापित परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी का निर्धारण करेंगे। रोजगार के लिए कौशल विकास परियोजनाओं को चलाने वाली परियोजना

कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियां डीडीयू-जीकेवाई (DDU-GKY) की वेबसाइट (<http://ddugky.gov.in>) से स्थायी पंजीकरण संख्या (पीआरएन) प्राप्त करेंगी। एसआरएलएम/एसएनएसएम मजदूरी रोजगार के लिए कौशल विकास के विकल्प का चयन करने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ ग्राम पंचायतों को इन परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों को आवंटित करेंगे। ग्राम पंचायत सेचुरेशन मॉडल अपनाया जा सकता है।

8.3.11 स्व-रोजगार के लिए कौशल विकास हेतु व्यापक पैमाने पर आरएसईटीआई की सेवाएं ली जाएंगी, हालांकि राज्य अन्य एजेंसियों की सेवाएं भी ले सकते हैं। वित्तीय लागत प्रति लाभार्थी/प्रतिदिन 200 रु. होगी। मानक के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआई), हैदराबाद/एनएआर, बंगलुरु द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम (और इसकी अवधि) का अनुपालन किया जाएगा।

8.3.12 एसआरएलएम भूमि संबंधी परिसंपत्तियों का उन्नयन करके और एनआरएलएम की महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) की समेकित कृषि कार्यनीति एवं सामुदायिक स्थायी कृषि (सीएमएसए) से पहल इत्यादि के माध्यम से भूमि से होने वाली आय को अधिकतम बढ़ाने की कार्यनीतियों का प्रशिक्षण उन्हें प्रदान करके आजीविका के उन्नयन की इच्छा रखने वाले युवाओं या परिवारों के लिए वैयक्तिक पारिवारिक आजीविका योजनाएं तैयार करेगा।

8.3.13 राज्य कौशल विकास योजनाएं आगे दर्शाए गए घटकों के आधार पर निरंतर चलाई जाने वाली योजनाएं होंगी :

8.3.13.1 ऐसे कौशल विकास कार्यकलापों के लिए उपलब्ध अवसंरचना

8.3.13.2 तकनीकी संसाधन

8.3.13.3 पृथक शीर्षों के अंतर्गत वित्तीय आवंटन जिनमें अभिसरण किया जा सकता है।

8.4 राज्य को प्रोजेक्ट लाइफ - महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन को आगे दर्शाए गए नवाचारों का अनुपालन करना है :

- 8.4.1 मजदूरी रोजगार के लिए कौशल विकास के विकल्प का चयन करने वाले युवाओं के विषय में सर्वेक्षण के परिणाम [nrega.nic.in](http://nrega.nic.in) पर तालिका आर 22.5 में दर्शाए गए हैं।
- 8.4.2 एसआरएलएम/एसएनएसएम निर्धारित युवाओं के कौशल विकास के लिए डीडीयू-जीकेवाई के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे।
- 8.4.3 प्रशिक्षण केंद्रों में गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना होनी चाहिए। ग्रामीण अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण केंद्रों में ले जाया जाए, जिनका ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होना आवश्यक नहीं है।
- 8.4.4 महात्मा गांधी नरेगा आयुक्त द्वारा राज्य के एसआरएलएम/एसएनएसएम को भेजे गए औपचारिक पत्राचार की प्रति (मजदूरी रोजगार के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण शुरू करने को इच्छुक अभ्यर्थियों की सूची) नरेगा सॉफ्ट पर अपलोड की जाएगी।
- 8.4.5 एसआरएलएम/एसएनएसएम आगे परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों (पीआईए) को विशिष्ट पंचायतों के अभ्यर्थियों की सूची की औपचारिक जानकारी देंगे। एसआरएलएम/राज्य नोडल कौशल मिशन पहले से स्थापित पीआईए(PIA) का निर्धारण करेंगे। मजदूरी रोजगार के लिए कौशल विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने वाली पीआईए डीडीयू-जीकेवाई की वेबसाइट (<http://ddugky.gov.in>) से स्थायी पंजीकरण संख्या (पीआरएन) प्राप्त करेंगी। एसआरएलएम/एसएनएसएम इन पीआईए को प्रशिक्षण के लिए ग्राम पंचायतें आवंटित करेंगी और इसी के साथ मजदूरी रोजगार के लिए कौशल विकास के विकल्प का चयन करने वाले व्यक्तियों की सूची भी उपलब्ध कराएंगे। ग्राम पंचायत सेचुरेशन मॉडल अपनाया जाए।
- 8.4.6 परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियां दी गई सूची में शामिल प्रत्येक अभ्यर्थी के परामर्श, अभिरुचि के निर्धारण के माध्यम से अभ्यर्थियों को प्रेरित करने का कार्य शुरू करेंगी और तदनुसार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए उसका चयन करेंगे। निर्धारण एवं परामर्श के आधार पर युवा अपने विकल्पों में बदलाव कर सकते हैं। यह जानकारी एसआरएलएम/ एसएनएसएम को दी जाएगी। राज्य प्रति परिवार के एक सदस्य के कौशल विकास की सीमा निर्धारित कर सकता है।
- 8.4.7 एसआरएलएम नरेगा सॉफ्ट में प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने पीआईए का नाम परियोजना स्वीकृति संख्या और चयनित व्यवसाय का नाम दर्ज करेंगे तथा इसकी जानकारी महात्मा गांधी नरेगा आयुक्त को देंगे।

8.4.8 एसआरएलएम पीआईए से विधिवत जानकारी प्राप्त करके प्रशिक्षण के समापन और उसके बाद नौकरियां पाने वाले अभ्यर्थियों का ब्यौरा दर्ज करेंगे तथा चयनित किए गए प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने इसका उल्लेख करेंगे।

8.4.9 पीआईए द्वारा कराए गए प्रत्येक नियोजन के लिए महात्मा गांधी नरेगा आयुक्त अपने आवंटित बजट में से परियोजना प्रशिक्षण लागत एसआरएलएम/एसएनएसएम को अंतरित करेगा।

8.4.10 इस संपूर्ण प्रक्रिया में प्रत्येक अभ्यर्थी का संदर्भ एसईसीसी टीआईएन नंबर होगा।

8.5 स्व-रोजगार के लिए कौशल विकास योजना तैयार व कार्यान्वित करने का नवाचार :

8.5.1 राज्य के उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) वार विकल्प nrega.nic.in पर तालिका आर 22.5 में दर्शाए गए हैं।

8.5.2 आरएसईटीआई (RSETI) और उनके संसाधनों तथा राज्य द्वारा निर्धारित किसी अन्य एजेंसी/एजेंसियों के संसाधनों का उपयोग मार्च, 2017 तक अभियान के रूप में इन सभी युवाओं के प्रशिक्षण के लिए किया जाना चाहिए। राज्य स्व-रोजगार प्रशिक्षणों के लिए अन्य एजेंसियों की सहायता भी ले सकते हैं।

8.5.3 आगे चलकर बैंकों से इन युवाओं को अपने उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण भी दिलाए जाएंगे।

8.5.4 महात्मा गांधी नरेगा आयुक्त से सूची प्राप्त होने के बाद एसआरएलएम यह सूची आगे आरएसईटीआई (जिला-वार)/या राज्य द्वारा निर्धारित किसी अन्य एजेंसी/एजेंसियों को भेजेंगे। आरएसईटीआई/अन्य एजेंसियों के सहयोग से एसआरएलएम एवं महात्मा गांधी नरेगा के जिला अधिकारियों के परामर्श से पूरे जिले में परामर्श एवं प्रशिक्षण की योजना तैयार करेंगे। कार्यक्रम अधिकारी (महात्मा गांधी नरेगा) यह सुनिश्चित करेंगे कि इन अभ्यर्थियों को सभी संगत दस्तावेजों (जैसे कि जॉब कार्ड, केवाईसी दस्तावेजों) के साथ परामर्श और बाद में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए।

8.5.5 पहले प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अभ्यर्थी प्रशिक्षण के हकदार नहीं होंगे। कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस विषय में सभी संगत प्रविष्टियां नरेगा सॉफ्ट में की जाएं।

8.5.6 आरएसईटीआई के परामर्श से जिला अधिकारी क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं/उपयोग क्षमता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का निर्धारण करेंगे।

8.5.7 एसआरएलएम,महात्मा गांधी नरेगा के जिला अधिकारी और आरएसईटीआई इस वित्तीय वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची एक साथ तैयार करेंगे, जिसमें व्यवसाय/कार्यकलाप की श्रेणी/नाम का उल्लेख भी करेंगे।

8.6 तदनुसार स्वरोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण के प्रारंभ की योजना बनाई जानी चाहिए। जिसमें आगे दर्शाए गए मापदंडों को ध्यान में रखा जाए।

8.6.1 आरएसईटीआई (RSETII) द्वारा एक वर्ष में प्रशिक्षित किए जा सकने वाले अभ्यर्थियों की संख्या की कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

8.6.2 यदि किसी जिले में किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किसी व्यवसाय/कार्यकलाप के अभ्यर्थियों की संख्या कम हो तो उनकी प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें ब्लॉक/जिले के मौजूदा बैचों में समायोजित/शामिल किया जा सकता है।

8.6.3 यदि जिले में प्रशिक्षित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या प्रशिक्षण केंद्र की वार्षिक क्षमता के लगभग बराबर हो तो जिला ब्लॉक-वार बैचों के लिए व्यवसायों पर आधारित योजना तैयार करेगा। प्रोजेक्ट लाइफ - महात्मा गाँधी नरेगा के अभ्यर्थियों को नियमित प्रशिक्षण योजना में प्राथमिकता दी जा सकती है या उनके लिए विशेष बैच शुरू किए जा सकते हैं।

8.6.4 तदनुसार यदि आवश्यक हो तो आरएसईटीई के राज्य निदेशकों और बैंकों के परामर्श से अतिरिक्त आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण केंद्र के संसाधनों में वृद्धि की जा सकती है।

8.6.5 यदि जिले के प्रशिक्षण केंद्र को बहुत अधिक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करना हो तो प्रशिक्षण केंद्र की क्षमता से अतिरिक्त अभ्यर्थियों को आसपास के जिलों के प्रशिक्षण केंद्रों में स्थान दिए जा सकते हैं। इसके लिए आरएसईटीआई के राज्य निदेशकों को सहायता उपलब्ध करानी होगी, जो कि प्रत्येक जिला केंद्र की योजना का समन्वयन करेंगे।



8.6.6 यदि जिले या आसपास के जिले प्रशिक्षण केंद्रों को बहुत अधिक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करना हो तो बैंकों को परामर्श दिया जाता है कि वे ब्लॉक स्तरीय आरएसईटीआई संरचना तैयार करें। वे संकाय, कार्यालय सहायकों को अनुबंध आधार पर भर्ती कर सकते हैं। ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तरीय पंचायत भवन का इस्तेमाल प्रशिक्षण परिसर के रूप में किया जा सकता है। जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ये परिसर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए बैंकों को उपलब्ध कराए जाएं। बैंक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए अपनी उपयुक्तता का निर्धारण करने तथा लाभार्थियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था तैयार करने के लिए इन अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। ऐसे भवनों के अभाव में बैंक प्रायोजित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण का कार्य संपन्न करने के लिए उपयुक्त परिसर किराए पर ले सकते हैं। यह व्यवस्था पूर्णतः परियोजना से संबंधित अवसंरचना है और इसे तब तक बनाए रखा जाएगा जब तक कि ब्लॉक स्तर पर प्रोजेक्ट लाइफ-महात्मा गांधी नरेगा के सभी अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण न हो जाए। अपेक्षित ब्लॉक स्तरीय आरएसईटीआई की संख्या, कर्मचारियों, परिसरों इत्यादि के विषय में निर्णय प्रायोजक बैंक लेंगे। ऐसा निर्णय प्रशिक्षित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर एसआरएलएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और राष्ट्रीय निदेशक, आरएसईटीआई के परामर्श से लिया जाएगा।

8.6.7 जहां कहीं प्रारंभिक ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम (एसवीईपी) चलाया जा रहा हो, वहां प्रोजेक्ट लाइफ- महात्मा गांधी नरेगा के लाभार्थियों को एसवीईपीमें शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे।

8.6.8 केवाईसी (KYC) दस्तावेजों के साथ अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने के बाद आरएसईटीआई समुचित आयोजना के माध्यम से निर्धारित व्यवसाय का प्रशिक्षण प्रदान करने का उपाय इस प्रकार करेंगे कि निर्धारित समयावधि में प्रारंभिक योजना के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

8.6.9 आरएसईटीआई बैच बनाएंगे और इनका ब्यौरा राज्य निदेशकों के माध्यम से एसआरएलएम को देंगे। आरएसईटीआई यह ब्यौरा नरेगा सॉफ्ट पर अपलोड करेंगे। एसआरएलएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यह सूची महात्मा गांधी नरेगा आयुक्त को देंगे। महात्मा गांधी नरेगा आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि बनाए गए

बैचों के अनुसार प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थी कार्यक्रम अधिकारी/जीआरएस के माध्यम से जुटाए जाएं।

8.6.10 आरएसईटीआई द्वारा दिए गए प्रमाणित विवरण/घोषणा पर आधारित दावों की प्रतिपूर्ति एसआरएलएम करेंगे। अन्य कोई दस्तावेज/वाउचर, सत्यापन नहीं मांगा जाएगा।

8.6.11 आरएसईटीआई प्रशिक्षण के पहले दिन पीएमजेडीवाई (PMJDY) के अंतर्गत लाभार्थियों के खाते खुलवाने में मदद करेंगे। प्रशिक्षण संपन्न होने से पहले इच्छुक प्रशिक्षुओं से ऋण आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। निदेशक परियोजना रिपोर्ट तैयार करके उन्हें स्वीकृति के लिए संबंधित बैंक शाखा को भेजने में मदद करेंगे। निदेशक बीएलबीसी/डीसीसी/डीएलआरएसी/डीएलआरसी की बैठकों में लंबित ऋण आवेदनों के निपटान की समीक्षा करने के अतिरिक्त ऋण वितरित किए जाने तक इस विषय की निरंतर निगरानी करेंगे। आवेदनों के निपटान की समयबद्ध निगरानी व्यवस्था स्थापित की जाए। आरएसईटीआई से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के ऋण आवेदनों के निपटान के लिए “क्रेडिट कैंप एप्रोच” अपनाई जाए।

8.7 आजीविका के उन्नयन की योजना तैयार व कार्यान्वित करने संबंधी नवाचार :

8.7.1 राज्य के आजीविका कार्यक्रम-वार विकल्प [nrega.nic.in](http://nrega.nic.in) पर तालिका आर 22.5 में दर्शाए गए हैं।

8.7.2 महात्मा गांधी नरेगा आयुक्त द्वारा एसआरएलएम को भेजे गए औपचारिक पत्राचार की प्रति (अभ्यर्थियों की सूची) नरेगा सॉफ्ट पर अपलोड की जाएगी।

8.7.3 एसआरएलएम इन सभी परिवारों के लिए परिवार स्तरीय योजनाएं (एचएलपी) तैयार करेंगे। एनआरएलएम गहन ब्लॉकों के परिवारों को प्राथमिकता दी जाए। आईपीपीई-2 संसाधनों से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एनआरएलएम गहन/भागीदार ब्लॉकों के ऐसे सभी परिवारों की परिवार स्तरीय योजनाएं तैयार करके नरेगा सॉफ्ट पर अपलोड की जाएं।

8.7.4 ब्लॉक आयोजना टीम (बीपीटी) के सदस्य की किट में शामिल आईपीपीई सर्वेक्षण रिपोर्टों का इस्तेमाल महात्मा गांधी नरेगा के अधीन अनुमेय व्यक्तिगत

परिसम्पत्तियों की सूची से इन परिवारों को दी जा सकने वाली उपयुक्त परिसम्पत्तियां दर्शाने हेतु सहायक आकड़ों के रूप में किया जाएगा।

8.7.5 तदनुसार एसआरएलएम प्रशिक्षण और मार्गदर्शी सहायता से प्रत्येक परिवार स्तरीय योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

8.7.6 एसआरएलएम निधियों का उपयोग प्रशिक्षण कार्यक्रमों और मार्गदर्शी सहायता संबंधी खर्चों के लिए किया जाएगा।

8.7.7 एसआरएलएम द्वारा यह जानकारी नरेगा साफ्ट पर दर्ज कर दिए जाने के बाद प्रशिक्षित किए गए ऐसे परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अनुमेय व्यक्तिगत परिसम्पत्तियां आवंटित की जाएंगी। एसआरएलएम परिवार की परिवार स्तरीय योजना के आधार पर अन्य संबंधित विभागों से प्राप्त की जा सकने वाली परिसम्पत्तियों का समुचित लिंकेज सुनिश्चित करेंगे।

8.7.8 पूरे राज्य में एसआरएलएम के लागू होने के साथ प्रत्येक परिवार की आजीविका के उन्नयन का कार्य किया जाएगा।

## 9. सिविल सोसायटी संगठनों के साथ भागीदारी :

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की धारा 2 (छ) में यह कहा गया है कि “कार्यान्वयन एजेंसी” में केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग, जिला परिषद, मध्यवर्ती स्तर की पंचायत, ग्राम पंचायत या अन्य कोई स्थानीय प्राधिकार या सरकारी निकाय शामिल हैं। वैसे गैर-सरकारी संगठन जो इस योजना के अधीन कोई कार्य शुरू करें या किसी कार्य का कार्यान्वयन शुरू करने के लिए प्राधिकृत हैं भी “कार्यान्वयन एजेंसी” में शामिल हैं।

9.1 सामाजिक संगठन (सीएसओ) महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन में सहायक की भूमिका आगे दर्शाए गए कार्यकलापों के माध्यम से निभा सकते हैं :

9.1.1 जागरूकता का प्रचार-प्रसार, मांग का पंजीकरण, ग्राम रोजगार दिवसों का आयोजन, कामगार जुटाना और उनकी क्षमताओं में सुधार करना।

9.1.2 राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और उप-ब्लॉक स्तरों पर प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास सहायता प्रदान करना।

9.1.3 ग्राम पंचायत में ग्राम सभा/वार्ड सभा में परियोजनाओं की सूची के अनुमोदन में सहायता करना।

9.2 मंत्रालय ने निदेश दिया है कि इस अधिनियम के वास्तविक कार्यान्वयन में सामाजिक संगठनों को शामिल किया जाए और श्रम दिवस सृजित करने की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हें दी जाए। यह सलाह दी गई कि सामाजिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका सहायक की होनी चाहिए।

9.3 पात्र सामाजिक संगठनों का निर्धारण यथा स्थिति राज्य कार्यक्रम समन्वयक या महात्मा गांधी नरेगा आयुक्त कर सकते हैं। भागीदारी के फ्रेमवर्क में कार्यक्षेत्र, व्युत्पाद्यों, समयसीमाओं और वित्तीय व्यवस्थाओं का स्पष्ट ब्यौरा दर्शाया जाना चाहिए। सामाजिक संगठनों के सहयोग के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य कार्यक्रम समन्वयक (एसपीसी)/महात्मा गांधी नरेगा आयुक्त की है।

9.4 कार्यान्वयन संरचना में सामाजिक संरचनाओं का इंटरफेस बेहद आवश्यक है, ताकि सामाजिक संगठन सभी स्तरों पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सकें। सहयोग की ऐसी व्यवस्था में प्रशासन और सामाजिक संगठन दोनों की जवाबदेही की सूची शामिल होनी चाहिए।

9.5 सामुदायिक संगठन (सीबीओ) और ग्राम संगठन (वीओ) जैसे स्वयं-सहायता समूह, वॉटरशेड समितियां इत्यादि जमीनी स्तर पर महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन के लिए नितांत आवश्यक हैं। सहयोग करने वाले सामुदायिक संगठनों के कार्यकलाप इस प्रकार हैं :

9.5.1 मिशन अंत्योदय सहित आयोजना प्रक्रियाओं में पंचायती राज संस्थाओं की सूक्ष्म स्तरीय आयोजना में सहायता करना।

9.5.2 ग्राम सामाजिक संपरीक्षक और स्वयंसेवकों के निर्धारण में मदद करके सामाजिक संपरीक्षा प्रक्रिया में सहायता करना।

9.5.3 ग्राम पंचायत के कामकाज में सक्रिय भागीदारी के साथ-साथ कार्यस्थल पर संवर्ती सामुदायिक निगरानी कार्य करना।

9.5.4 पीपल्स कलेक्टिव के रूप में मांग के पंजीकरण और शिकायत निपटान के समन्वयन के लिए श्रमिक समूहों के गठन में सहायता करना।

## 10. पुरस्कार :

10.1 2 फरवरी के दिन आयोजित महात्मा गांधी नरेगा दिवस के रूप में मनाए जाने वाले “महात्मा गांधी नरेगा सम्मेलन” में वार्षिक महात्मा गांधी नरेगा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस अवसर पर दिए जाने वाले पुरस्कार इस प्रकार हैं:

राज्य पुरस्कार	जिला पुरस्कार	ग्राम पंचायत पुरस्कार	वित्तीय समावेशन पुरस्कार
2.8.13.1 अभिसरण के माध्यम से स्थायी आजीविकाएं	महात्मा गांधी नरेगा प्रशासन में प्रभावी पहल/नूतन प्रयोग :	सर्वोत्तम कार्य निष्पादन करने वाले ग्राम पंचायत/सरपंच	महात्मा गांधी नरेगा प्रशासन (वित्तीय समावेशन) में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार डाक विभाग और बैंकों को दिया जाता है।
2.8.13.2 पारदर्शिता और जवाबदेही	1. जिला कार्यक्रम समन्वयक		
2.8.13.3 सामाजिक समावेशन	2. कार्यक्रम अधिकारी		

10.2 आवेदन की प्रक्रिया और चयन के मानदंड इस प्रकार है :

10.2.1 राज्य सरकारें राज्य जांच समिति के माध्यम से राज्य और जिला पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित करके यह प्रक्रिया शुरू करती हैं और विधिवत संस्तुत नामांकनों को मंत्रालय द्वारा गठित पुरस्कार समिति के विचारार्थ भेजती हैं।

10.2.2 वित्तीय समावेशन पुरस्कार के लिए डाक विभाग विधिवत संस्तुत प्रशस्ती पत्रों के साथ अपने कर्मचारियों के नामांकन इस मंत्रालय को विचारार्थ भेजता है।

10.2.3 ग्राम पंचायत द्वारा सर्वोत्तम कार्य निष्पादन के पुरस्कार के लिए ग्राम पंचायतों के नामों की जांच व संस्तुति पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किए गए क्षेत्रीय सत्यापन पर आधारित होती है।

10.3 पुरस्कारों का समग्र फ्रेम वर्क और योजना का ब्यौरा महात्मा गांधी नरेगा वेबसाइट ([nrega.nic.in](http://nrega.nic.in)) पर अपलोड कर दिया गया है।

22 जनवरी, 2016

### संदेश

महात्मा गांधी नरेगा 2 फरवरी, 2006 से लागू किया गया। इसे, चरणबद्ध ढंग से पूरे देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों को, वर्ष 2008 तक कवर करने के लिए शुरू किया गया। राज्य इसके क्रियान्वयन संबंधी प्राधिकरण हैं तथा मंत्रालय ने इस कार्यक्रम का सुदृढ़ क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ लगातार सहयोग किया है।

मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आपको वित्तीय वर्ष 2016-17 का वार्षिक मास्टर परिपत्र भेज रहा हूं। पिछले 10 वर्षों में, महात्मा गांधी नरेगा के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर 1039 परिपत्र जारी किए गए थे। इन परिपत्रों की मौजूदगी की वजह से कर्मियों में संदेह और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वर्तमान मास्टर परिपत्र इन मुद्दों को सुलझाने, अनावश्यक तथा/अथवा अतिरिक्त निदेशों को छांटने तथा सभी निदेशों को एक समेकित मास्टर परिपत्र के रूप में सरल तथा स्पष्ट बनाने के लिए कार्यक्रम प्रभाग द्वारा किया गया एक अनूठा प्रयास है। यह मास्टर परिपत्र प्रत्येक वर्ष जारी किया जाएगा।

कार्यक्रम प्रभाग ने सुव्यवस्थित तरीके से इस कार्य को पूरा किया। एक दल का गठन किया गया था तथा कार्यप्रणाली का प्रारूप राज्यों को परिचालित किया गया था। तत्पश्चात इस प्रारूप की समीक्षा करने तथा गहन परामर्श के आधार पर इसमें संशोधन करने के लिए 6 राज्यों के राज्य आयुक्तों और ग्रामीण विकास सचिवों की एक समिति बनाई गई थी। समिति द्वारा तैयार किए गए संशोधित प्रारूप की बाद में ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समीक्षा की गई थी। गहन चर्चा तथा इस त्रि-स्तरीय समीक्षा प्रक्रिया से इनपुट प्राप्त होने के बाद वित्तीय वर्ष 2016-17 के मास्टर परिपत्र का तैयार संस्करण प्रस्तुत किया जाता है।

मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने बहुमूल्य इनपुटों से इस कार्य में सहयोग दिया है। मुझे उम्मीद है कि यह वार्षिक मास्टर परिपत्र खासतौर पर क्षेत्रीय स्तर पर कर्मियों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन को सुदृढ़ बनाएगा।

(जे.के. महापात्र)

